खण्ड–35, अंक–07
शुक्रवार, 23 अग्रहायण, शक संवत्, 1934
(14 दिसम्बर, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2012)

(खण्ड 35 में 07 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग – – –	1
प्रश्नोत्तर	1–6
प्रश्नों की संख्या की परिसीमा तय किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न – – –	6–7
शिक्षा मित्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	7–9
महाधिवक्ता के सदन में आने और बिना परिचय चले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न – – –	9–10
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं – – –	10
प्रदेश में सरकार द्वारा पंचायत निधि का धन अवमुक्त न करने से विकास कार्यों के न हो पाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	10
प्रदेश में कार्यरत पुलिस/पी०ए०सी० कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों के हनन के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना –	11
प्रदेश में पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	11–12
जनपद बागेश्वर में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा रात्रिकालीन सेवा शुरू न करने से क्षेत्रीय जनता और पर्यटकों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – –	12
प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण/सुरक्षा हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – –	13
उत्तराखण्ड सचिवालय के मुख्य संवर्ग में मुख्य रक्षक से उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	13
विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा में द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग व ध्योली–सिमोली पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	14

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड राज्य में बी0पी0एड0 बेरोजगारों को राज्याधीन विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	14
श्री पूरन चन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 श्री मथुरा दत्त तिवारी द्वारा श्री नीरज चौधरी मकान नं0 6/312 कलावती कालोनी, नवाबी रोड, पो0 हल्द्वानी के इलाज हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना –	15
जनपद देहरादून के विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम कुन्जा ग्रान्ट में गढ़वाल जल संस्थान द्वारा पेयजल हेतु नलकूप न लगाये जाने के सन्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – –	15
विधान सभा सल्ट के स्याल्दे ब्लाक के चमोली गांव में एलोपैथिक चिकित्सालय में चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	16
प्रदेश में पेड़ों के कटान हेतु अनुमति के नाम पर किसानों का हो रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना –	16
जनपद उत्तरकाशी में वाहन दुर्घटना में घायलों और मृतकों को मुख्यमंत्री द्वारा समाचार पत्रों में घोषित मुआवजा राशि न मिल पाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना –	17
विधान सभा क्षेत्र भीमताल अन्तर्गत तहसील धारी में स्थानीय प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय किसानों पर भूमिधरी मुकदमे लागू कर प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	17
जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम डौडा एस0सी0पी0 गांव में सिंचाई की एकमात्र ध्वस्त नहर के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	18
विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के काफलीगैर में खाद्यान्न गोदाम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना –	18
प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रथम पीढ़ी (उत्तराधिकारी) को पेंशन शुरू करने की घोषणा पर कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना –	18–19

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत मालन एवं हेवल नदी के किनारे बसे किसानों की फसल एवं भूमि को बचाने हेतु तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	19
जनपद हरिद्वार के मंगलौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आम खेड़ी के पास सोनाली नदी पर स्वीकृत पुल के लम्बित होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	19–20
जनपद देहरादून के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जनरल महादेव सिंह रोड के दोनों ओर कालोनियों में बारिश के पानी की उचित निकासी न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	20
जनपद पौड़ी के चौबट्टाखाल विधान सभा के अन्तर्गत बीरोंखाल ब्लाक में बैजरों, जोगमड़ी, सराईखेत निर्माणाधीन मोटर मार्गों में कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	20–21
नियम–65 के अन्तर्गत सूचना – – –	21–25
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग – – –	25
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत) – – –	25–26
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं – – –	26–32
उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 (पारित)	32–53
उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 (पारित) – – –	53–75
उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 (पारित) – – –	75–93
उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर विधेयक, 2012 (पारित)	93–116
उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 (पारित)	116–132
उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 को प्रवर समिति के सुपुर्द सम्बन्धी प्रस्ताव (स्वीकृत)	132–138

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (पारित)_	138–141
उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 (पारित) – – –	141–145
प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा (जारी) _	145
जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा (जारी) – – –	145
वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक होने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा (जारी) – – –	146
विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊंचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार के निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा (जारी) – – –	146
उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) – – –	146
जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिये एक नये रेल मार्ग को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) _ –	147
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित करने के संबंध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) – – –	147
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं – – –	147–148

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के ग्राम पंचायत चांदा में खाकरा नदी में बाढ़ आने से चांदा, गिलइया एवं बरी गांव के आस–पास के क्षेत्रों की कृषि भूमि, राजकीय भूमि एवं भवन तथा आवासीय भवनों को हुई अत्यधिक क्षति एवं किसानों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आपदा प्रबन्धन मंत्री का वक्तव्य	148–149
जनपद पिथौरागढ़ के बड़ालू में ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर के भवन एवं छात्रावास के निर्माण को दो वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी उसमें ट्रेनिंग न दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा, द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य – –	149
विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला तथा मुनस्यारी के अनेकों गांव में भारी वर्षा तथा भू–स्खलन की दैवीय आपदा से पेयजल स्रोतों, पैदल मार्गों, मोटर मार्गों तथा सम्पत्ति को हुए नुकसान के सम्बन्ध में श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आपदा प्रबन्धन मंत्री का वक्तव्य – – –	149–150
जनपद देहरादून तहसील विकासनगर के विकास खण्ड विकासनगर की 18 बाढ़ सुरक्षा सिंचाई योजनाये आपदा ग्रस्त होने के कारण सिंचाई विभाग के मरमम्त के प्रस्ताव के उपरान्त भी पुनः निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य – – –	150–151
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर की प्रबन्ध परिषद में विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) – – –	151
विकलांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत राज्य समन्वय समिति में विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) – –	151–152
सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) – – –	152
राष्ट्रगान – – –	152–153

'क'

<u>उपस्थिति</u>

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अजय भट्ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्री आदेश चौहान
7&J her h bfUhj k हृदयेश
8–श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9–श्री विजय बहुगुणा
10–श्री गणेश गोदियाल
11–श्री गणेश जोशी
12–श्री चन्दन राम दास
13–श्री चन्द्र शेखर
14–डा0 जीत राम
15–श्री तीरथ सिंह
16–श्री दलीप सिंह रावत
17–श्री दान सिंह भण्डारी
18–श्री दिनेश अग्रवाल
19–श्री दिनेश धनै
20–श्री नवप्रभात
21–श्री नारायणराम आर्य
22–श्री पुष्कर सिंह धामी
23–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
24–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
25–श्री प्रदीप बत्रा
26–श्री प्रीतम सिंह
27–श्री प्रीतम सिंह पंवार
28–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
29–श्री फुरकान अहमद
30–श्री बंशीधर भगत
31–श्री भीमलाल आर्य
32–श्री मदन कौशिक
33–श्री मदन सिंह बिष्ट
34–श्री मनोज तिवारी
35–श्री मयूख सिंह
36–श्री माल चन्द
37–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
38–श्री यतीश्वरानन्द
39–श्री यशपाल आर्य
40–श्री राजकुमार
41–श्री राज कुमार ठुकराल
42–श्री राजेन्द्र भण्डारी
43–श्री राजेश शुक्ला
44–श्री ललित फर्स्वाण
45–श्री विक्रम सिंह नेगी
46–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
47–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
48–श्री बिशन सिंह चुफाल
49–श्रीमती शैला रानी रावत
50–श्री संजय गुप्ता
51–श्री सरवत करीम अंसारी
52–श्रीमती सरिता आर्या
53–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
54–श्री सुबोध उनियाल
55–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
56–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
57–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
58–श्री सुरेन्द्र राकेश
59–डा0 हरक सिंह रावत
60–श्री हरबन्स कपूर
61–श्री हरिदास
62–श्री हरीश धामी
63–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64–श्री हेमेश खर्कवाल

शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे उत्तराखण्ड में बारिश भी हुई और बर्फ भी कई जगह पर गिर चुकी है। मान्यवर, उत्तरकाशी में तो इतनी ठंड है, लोगों के पास मकान नहीं हैं, आपदा का मामला है। मान्यवर,जिनके पास मकान नहीं हैं वे बाहर ठंड से अकड़ रहे हैं, इसलिए इनके लिए मैंने नियम–310 में मामला इसलिए दिया है कि आपदा का मामला इतना इम्पोर्टेन्ट मामला है, पूरे उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में।

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद आ जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ठीक है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत लोहाघाट में क्षतिग्रस्त पेड़ों की नीलामी की जमा धनराशि का ब्यौरा

*1–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत नगर पंचायत लोहाघाट के अधीन नगर पंचायत द्वारा बेनाप भूमि में खड़े क्षतिग्रस्त पेड़ों की नीलामी की गयी है ?

यदि हॉं, तो नीलामी से प्राप्त धनराशि क्या राज्य सरकार के सम्बन्धित खाते में जमा है?

यदि हॉं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास एवं पशुपालन मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत, लोहाघाट द्वारा नए मीट मार्केट के निर्माण के उद्देश्य से यह धनराशि नगर पंचायत, लोहाघाट के कोष में जमा की गई है।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्या बेनाप भूमि में नगर पंचायत, लोहाघाट को क्षतिग्रस्त पेड़ों को नीलामी करने का अधिकार है या फॉरेस्ट विभाग से नीलामी का कोई आदेश नगर पंचायत को प्राप्त था?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, नगर पंचायत लोहाघाट की जिस जमीन पर यह पेड़ थे, वह नजूल की भूमि है और वह नगर पंचायत के स्वामित्व की भूमि है, उसमें वन विभाग ने कोई आपत्ति नहीं की।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, तो नीलामी में नगर पंचायत को कितना पैसा मिला और मीट की दुकानों में कितना पैसा खर्च हुआ और कितनी दुकानें वहाँ पर बनाई गयी?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, 5 लाख 46 हजार 5 सौ रूपये इस नीलामी से प्राप्त हुए हैं और इसमें 17 दुकानें बनायी गई हैं।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मान्यवर, क्या जो नगर पंचायत या किसी ग्राम पंचायत की बेनाप भूमि होती है उसका अधिकार पंचायतों को होता है, फॉरेस्ट विभाग से कोई एन0ओ0सी0 वगैरह नहीं ली जाती है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, यह भूमि नजूल की भूमि है और यह नगर पंचायत के स्वामित्व की नहीं बल्कि इनके प्रबन्धन में है इसमें वन विभाग का मामला नहीं बनता है।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

मानतीय अध्यक्ष जी, मैं लास्ट प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि कहीं पर भी फॉरेस्ट की या बेनाप भूमि में अगर कोई भी पेड़ कटते हैं तो शायद मेरी जानकारी में है कि उसकी निरापत्ति लेना अनिवार्य होता है, तो क्या नगर पंचायत ने उसकी निरापत्ति प्राप्त की थी ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, उसमें वन विभाग से कोई अनापत्ति नहीं ली गई है और न ही वन विभाग के द्वारा कोई आपत्ति की गई है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का क्रम समाप्त हुआ।

*2–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सह कौशल भत्ता नियमावली में मानकों एवं आयु सीमा में छूट की योजना.

1–श्री गणेश जोशी–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सह कौशल भत्ता दिये जाने को लेकर बनायी गयी नियमावली में अधिकतम आयु सीमा 35 से 40 वर्ष किये जाने, परिवार के सभी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिये जाने, आवेदक रोजगार/स्वरोजगार में न लगा हो तथा अन्य जटिल निर्धारित मानकों में छूट दिये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षित बेरोजगार, जिनकी राजकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग की आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है ऐसे बेरोजगारों के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नोटः– तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल)–

जी नहीं।

योजना दिनांक 9.11.2012 से राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लागू की गई है। इतने अल्प समय में योजना में संशोधन पर फिलहाल विचार करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

bl l e; esdkfeZ vuqHkkx&2 l sfuxZ vf/k puk l a; k 1222/XXX(2)/2012 5(41) 2004, दिनाँक 10 दिसम्बर, 2012 में आवश्यक आदेश प्रसारित किये गए हैं।

नियोजकों से माँग प्राप्त होने पर विभाग द्वारा योग्यतानुसार पंजीकृत अभ्यर्थियों के नाम सम्प्रेषित किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्य आखेट से सरकार को राजस्व नुकसान एवं रोकने हेतु उपाय

2–डा0 जीत राम–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार को कितना राजस्व नुकसान होता है ?

तथा अवैध मत्स्य आखेट रोकने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मत्स्य विभाग के नियंत्रणाधीन जल संसाधनों में अवैध मत्स्य आखेट नहीं हुआ है, जिस कारण सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के पृथ्वीपुर पशु चिकित्सालय भवन निर्माण के प्रस्ताव की प्रगति

3–श्री नवप्रभात–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के पृथ्वीपुर पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति की गई है?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी, नहीं।

पृथ्वीपुर पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 271/2012 दिनाँक 13 मई, 2012 के क्रम में पशु चिकित्सालय के भवन हेतु भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय में विचाराधीन है।

उत्तराखण्ड के विभिन्न शहरों में ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत पानी की डाली गयी कुल पाइप लाइनें एवं टूटी सड़कों के मरम्मत हेतु कार्ययोजना

4–श्री मदन कौशिक–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के विभिन्न शहरों में ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत पानी की लाइन डाली गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या ए0डी0बी0 योजना के द्वारा पानी की लाइनें डालने का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो गया है?

यदि हाँ, तो कुल कितनी कि0मी0 लाइनें डाली गयी हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या शहरी विकास मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पानी की लाइनें डालने के कारण टूटी सड़कों की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनायी गयी है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

जी नहीं।

देहरादून नगर में कुल 96 कि0मी0 एवं नैनीताल नगर में कुल 24 कि0मी0 पेयजल लाइनें डाली गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

पेयजल लाईनें बिछाये जाने हेतु खोदी गयी सड़कों की मरम्मत ए0डी0बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत ही किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बागेश्वर नगर में सीवर लाइन योजना का प्रस्ताव

5–श्री चन्दन राम दास–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर नगर में सीवर लाइन स्वीकृत हुई है ?

यदि हॉं, तो इस सीवर लाइन की कुल लागत कितनी है तथा कार्य कब से प्रारम्भ किया जाएगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बागेश्वर नगर हेतु सीवर योजना ए0डी0बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रांच–3 में प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों की संख्या की परिसीमा तय किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन का संचालन उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 जो बनायी गयी थी, उसके अनुसार परम्पराओं पर आधारित होता है। इसमें पूरे दिन के मद के रूप में एक एजेण्डा भी तैयार किया जाता है इसमें पहला, प्रश्नकाल के रूप में मद संख्या–एक के रूप में लेते हैं, तो इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली 2005 में अगर आप नियम संख्या–35 देखेंगे तो उसमें प्रश्नों की संख्या की परिसीमा तय की गई है। मान्यवर, इसके पहले पार्ट में कहा गया है कि "एक सदस्य एक दिन में केवल पॉंच प्रश्नों की ही सूचना दे सकेगा, जिसमें अल्पसूचित प्रश्न, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सम्मिलित हैं। यदि कोई सदस्य पॉंच प्रश्नों से अधिक सूचना किसी दिन देता है तो उसकी प्रथम पॉंच सूचनायें ली जा सकेंगी और शेष सूचनायें अस्वीकृत समझी जायेंगी।"

मान्यवर, इसके बिन्दु संख्या–दो में कहा गया है कि तारांकित प्रश्नों की सूची में तारांक लगाकर विभेद किये गये 20 से अधिक प्रश्न नहीं रखे जायेंगे, यानि कि 20 प्रश्न रखे जायेंगे। मान्यवर, इसमें नियमों में ही कहा गया है कि वे प्रश्न किस समय दिये जायेंगे और कितने दिन पहले दिये जायेंगे। मैं समझता हूँ कि यह जो पूरा हाउस है, इसमें 1000 से अधिक प्रश्न आये होंगे। लेकिन सरकार की ओर से बिना तैयारी के उत्तर नहीं आते हैं और मजबूरी में आज के एजेण्डे में केवल एक प्रश्न आया, जिस वजह से पाँच मिनट में ही प्रश्नकाल समाप्त हो गया। मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि सरकार पूरी तैयारी के साथ प्रश्नों के उत्तर दे दे और कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। मान्यवर, एक घंटा बीस मिनट का प्रश्नकाल है यह कम से कम एक घंटा बीस मिनट तो चले। माननीय अध्यक्ष जी, आप से निवेदन है कि आप इसमें सरकार को कोई व्यवस्था दें, ताकि आने वाले समय में जो प्रश्न आते हैं, माननीय मंत्री जी उनका तत्काल उत्तर भेज दें, जिससे कि अधिक से अधिक प्रश्न आ सकें और जनता की समस्या का निराकरण हो सके। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, आज शहरी विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय का वार था, इन दोनों मंत्रालयों के प्रश्न पहले आ चुके हैं जो निरूत्तर हो चुके हैं।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, एक हजार प्रश्न थे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बैठे–बैठे बोलने पर व्यवधान।)

* परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के पास प्रश्न तो हैं नहीं। (व्यवधान)

शिक्षा मित्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री हेमेश खर्कवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, विगत दिवस शिक्षा मित्रों पर लाठी चार्ज होने के उपरान्त इस सदन में उसकी न्यायिक जांच की मांग की गयी थी। मेरा आपसे अनुरोध है कि भावुकता में, शिक्षा मित्र भी सब नये लड़के हैं, उन्होंने लम्बी नौकरी करनी है और कहीं ऐसा न हो कि उस न्यायिक जांच से हमारे बहुत से शिक्षामित्रों के भविष्य पर कोई बात आये। ऐसा भी न हो कि विधान सभा की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए जो सुरक्षा बल तैनात है, उसके मनोबल पर भी कोई विपरीत प्रभाव पड़े। अब समझौता भी हो गया है,

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहाँ हैं, नेता सदन ने भी कहा है कि तीन हजार रुपये बढ़ाने की बात हो गई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को ऐसा निर्देश दें कि या तो इसमें मजिस्ट्रेटी जांच करायी जाय और जो वर्ष 2008 के मुकदमे शिक्षामित्र, शिक्षा बंधुओं पर हैं और नये मुकदमे भी हैं, चूंकि ये सब उनके भविष्य की बात है। इसलिए वापस लिये जायं और सरकार, जो वर्ष 2008 और कल के लाठीचार्ज के मुकदमे हैं उनको वापस ले और इसमें या तो मजिस्ट्रेटी जांच करा ली जाय। वह जांच सदन की पटल पर आ जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

* श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, जांच ही वापस कर ली जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

* श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मुकदमे वापस लिये जायं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, जब समझौता हो गया है तो मुकदमे ही वापस लिये जायं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय खर्कवाल जी द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के आधार पर, माननीय सभी सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए। पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज के मामले पर, सरकार की तरफ से न्यायिक जांच कराने का आदेश हुआ था, उस आदेश को वापस लेने का मैं सरकार को निर्देश देता हूँ। साथ में जाँच निश्चित रूप से होनी चाहिए कि गलती किसकी है और उस जांच में जो भी दोषी पाया जायेगा, उसको मैं दण्डित करने के निर्देश भी देता हूँ।

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आदेश सिर माथे पर है। आपने जो आदेश दे दिये हैं, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है परन्तु मेरी एक प्रार्थना है कि सरकार सारे मुकदमे वापस कर ले क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस अपने मामले तो वापस कर लेती है। लेकिन बाद में जब जनता के ऊपर बात आती है तो उस समय बहुत दिक्कत होती है। एक तो जब आपने यहाँ पर निर्देश दे ही दिया है तो हमारे बोलने का कोई औचित्य नहीं होता है। आपका आदेश सिर माथे, लेकिन मान्यवर, आपका निर्देश यह भी जाए कि उनके सब मुकदमे वापस हों, जो दायर किये गये हैं।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मुकदमे भी वापस लें। (मेजों की थपथपाहट)

महाधिवक्ता के सदन में आने और बिना परिचय के चले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ, चूँकि आपने अभी आगे की मद नहीं ली है, वही मद चल रही है। इसलिए एक छोटे से विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कभी–कभी संवैधानिक प्रक्रियाओं की व्याख्या ठीक तरह से आपके निर्देशों से स्पष्ट हो जाया करती है। अभी बीच में जब सदन चल रहा था तो महाधिवक्ता महोदय सदन में आए तो उस दिन बड़ी अजीब सी स्थिति हो गयी थी क्योंकि उनको कोई जानता नहीं था तो लोगों ने कहा कि यह अजनबी कौन घुस आया अन्दर। हालांकि उनको सदन में आने के लिए संविधान में जो अनुच्छेद–177 है, उसमें उल्लेख है "सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार–प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले और विधान मण्डल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। एक बहुत बड़ी गलती रही। सरकार को चाहिए था। अगर महाधिवक्ता यहाँ आ गये थे, आपसे परामर्श कर लेते या फिर उनको सीधे अन्दर ले आते और पूरे सदन से महाधिवक्ता जी का परिचय कराया जाना चाहिए था। मान्यवर, सरकार की बहुत बड़ी गलती रही है, उनको यहाँ से जाना पड़ा, उन्होंने बहुत अफसोस जताया, चूँकि इस सदन के वे भी माननीय सदस्य होते हैं, सिर्फ वे मत नहीं दे सकते हैं और तो और विधान सभा की जो हमारी समितियां हैं, उसमें तक उनको नामित किया जा सकता है परन्तु मान्यवर, यह आपके बिना नहीं चल सकता, इसके पूरे मालिक आप होते हैं। इसके अन्दर बिना आपकी आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप वे आए, यहाँ के कोई सिस्टम उनको ज्ञात नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि इस पर आपका कोई विनिश्चय छोटा सा दो लाईन का आ जाए ताकि भविष्य में ऐसा न हो और आपके माध्यम से मैं सरकार से भी यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं, तो ऐसी स्थिति आने से पहले जब–जब भी महाधिवक्ता नामित होते हैं, उनका कम से कम अपने सदन के लोगों से परिचय अवश्य करा देना चाहिये। मान्यवर, इस पर आपके विनिश्चय की माँग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

परम्परा के अनुसार जब कभी सरकार को आवश्यकता पड़ती है कानूनी सलाह लेने के लिए, तब मैं समझता हूँ कि महाधिवक्ता जी को बुला लिया जाता है। जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, संविधान में निश्चित रूप से यह व्यवस्था है कि अधिवक्ता सदन में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन सदन कुछ परम्पराओं के आधार पर भी चलता है। परम्परा यह है कि जब भी सरकार को आवश्यकता पड़ेगी, तो सम्मानपूर्वक उनको बुलाकर उनकी राय ले ली जाएगी।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री राज कुमार ठुकराल, श्री राजकुमार, श्री ललित फर्स्वाण, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री संजय गुप्ता एवं श्री यतीश्वरानन्द, श्री अजय टम्टा, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री हरिदास, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री सुरेन्द्र सिह जीना, श्री आदेश चौहान, श्री माल चन्द, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री चन्दन राम दास, श्री राजेश शुक्ला, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री सरवत करीम अंसारी, श्री हरबन्स कपूर तथा श्री तीरथ सिंह की कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूँ तथा सरकार को निर्देशित करता हूँ कि इन सभी सूचनाओं के उत्तर माननीय सदस्यों को भेज दिये जायें। सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

प्रदेश में सरकार द्वारा पंचायत निधि का धन अवमुक्त न करने से विकास कार्यों के न हो पाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन कौशिक–

[मान्यवर, प्रदेश में प्रत्येक ब्लाक के लिए पंचायत निधि के रूप में 35 लाख रूपये प्रति वर्ष दिये जाते रहे हैं। जिससे ब्लाक स्तर पर विकास के कार्य जनहित में होते रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में पंचायतों को अभी तक पंचायत निधि का धन अवमुक्त नहीं किया गया है, जिसके कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में विकास के जरूरी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। विकास नहीं होने से जनता के मन में सरकार के प्रति नाराजगी व्याप्त है। पंचायत प्रतिनिधि भी लगातार पैसा जारी करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। विकास व जनहित के कार्य न होने से जनता आन्दोलन का मन बना रही है।

इस अविलम्बनीय तात्कालिक लोकमहत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित कर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ]

नोटः– [ ] ये अंश पढ़े हुए माने गये।

प्रदेश में कार्यरत पुलिस/पी0ए0सी0 कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों के हनन के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राज कुमार ठुकराल–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में पुलिस निरीक्षक (इन्सपेक्टर) स्तर के अधिकारियों को उच्चीकृत वेतनमान का लाभ दिनाँक 01–01–2006 से दिया गया है, जबकि वह भी कांस्टेबिल, सिपाही या सब इन्सपेक्टर (उप निरीक्षक) के पद से भर्ती होते हैं, परन्तु इन्सपेक्टर से नीचे के कर्मचारियों को यह लाभ दिनाँक 12–12–2011 से दिया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि यह दोनों प्रकरण शासन को एक ही साथ प्रेषित किये गये थे। जब पुलिस/पी0ए0सी0 के कर्मचारी किसी प्रकार की हड़ताल, बन्द व धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन क्यों किया जाता है। इसके साथ ही पुलिस विभाग के दो बल जिला पुलिस व पी0ए0सी0 हैं, दोनों ही बलों में नियुक्ति हेतु अर्हताएं समान हैं। परन्तु सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्त पुलिस हैड कांस्टेबिल को वरिष्ठता के आधार पर उनके सेवा अभिलेखों एवं कार्य आचरण को देखते हुए उपनिरीक्षक विशेष श्रेणी के पद पर पदोन्नति प्रदान की तथा जनपदों में नियमानुसार उपनिरीक्षक विशेष श्रेणी के पद धारकों से उपनिरीक्षक स्तर का कार्य कराया जाता है, जो कि न्यायसंगत व नियमानुसार है, जबकि पी0ए0सी0 बल में उसी पदोन्नत धारकों से (इसकी विपरीत परिस्थिति) में हेड कांस्टेबिल का ही कार्य कराया जाता है। जब पी0ए0सी0 में उपनिरीक्षक विशेष श्रेणी से हेड कांस्टेबिल का ही कार्य कराया जाना था, तो उन्हें उपनिरीक्षक विशेष श्रेणी का कोर्स कराया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार से कोर्स एवं पद की गरिमा को नुकसान पहुँचाया जा रहा है।

उपरोक्त प्रकरण से पुलिस कर्मियों व पी0ए0सी0 कर्मियों का मनोबल गिरा हुआ है। अतः अति लोक महत्व की इस सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल निवारण की माँग करता हूँ।]

प्रदेश में पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकुमार–

[मान्यवर, 1–प्रदेश की विषम भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप आदर्श पंचायतीराज एक्ट अतिशीघ्र लागू किया जाए।

2– संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 विषयों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी पंचायतों को अतिशीघ्र सौंपे जाएं जिसके प्रथम चरण में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2003 में जिन 14 विषयों को पंचायतों को सौपने का शासनादेश जारी किया था, उनमें से कई विभागों को पूर्ववर्ती सरकार ने अघोषित तरीके से पंचायत से वापस ले लिया था। उन्हें पूर्ण रूप से पंचायतों को सौंपा जाए।

नोटः– [ ] ये अंश पढ़े हुए माने गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

3– पंचायतों के कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक–एक पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति कर ग्राम सचिवालयों की स्थापना की जाए।

4– ग्राम पंचायत के प्रधानों को सम्मानजनक वेतन भत्ते एवं कार्यकाल पूर्ण होने पर पेंशन दी जाए तथा उप प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को बैठक का भत्ता दिया जाए।

5– जिला योजना समिति में प्रधानों को प्रतिनिधित्व दिया जाय।

6– वर्ष 2011–2012 की अवशेष देय राज्य वित्त की किश्त पंचायतों को अतिशीघ्र जारी की जाए।

7– पिछले डेढ़ वर्ष से पंचायत प्रतिनिधियों का रुका हुआ मानदेय अतिशीघ्र जारी किया जाए।

8– भूमि प्रबन्ध समिति के अधिकार बहाल किए जाएं।

9– पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएं।]

जनपद बागेश्वर में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा रात्रिकालीन सेवा शुरू न करने से क्षेत्रीय जनता और पर्यटकों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललित फर्स्वाण–

[मान्यवर, जनपद बागेश्वर में उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस (1) बागेश्वर–देहरादून (2) बागेश्वर–दिल्ली (3) सानिउडियार–दिल्ली (4) काण्डा–देहरादून (5) काण्डा–दिल्ली (6) कपकोट–देहरादून (7) कपकोट–दिल्ली (8) कौसानी–देहरादून (9) कौसानी–दिल्ली रूटों पर रात्रिकालीन सेवा शुरू करने के विषय में क्षेत्रीय जनपद वासियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया जाता रहा है। जनपद में अनेक पर्यटन स्थल व धार्मिक स्थल हैं। रूटों पर बसों का संचालन न होने से जनता में भारी आक्रोश है, बसों का संचालन न होने से जनता के साथ–साथ पर्यटकों को भारी असुविधा हो रही है। मामला पर्यटक क्षेत्र व जनता से जुड़ा होने से महत्वपूर्ण है। इसका निस्तारण होना आवश्यक है।

अतः मैं सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोटः– [ ] ये अंश पढ़े हुए माने गये।

प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण/सुरक्षा हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

[मान्यवर, प्रदेश गठन को 12 वर्ष बीत गये हैं, किन्तु प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण/सुरक्षा हेतु किसी भी नीति का निर्धारण नहीं हो पाया है, जिससे वरिष्ठजनों को भारी परेशानी हो रही है। केन्द्र सरकार ने मेन्टिनेंस एण्ड वेलफेयर ऑफ पैरेन्टस एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट, 2007 ही लागू किया, जबकि क्रियान्वयन नहीं हो पाया। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा समय–समय पर विभिन्न माध्यमों से उनके कल्याण के के लिए नीति घोषित करने की मांग की जाती रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये अविलम्ब ठोस कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

उत्तराखण्ड सचिवालय के मुख्य संवर्ग में मुख्य रक्षक से उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री संजय गुप्ता तथा श्री यतीश्वरानन्द–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा संवर्ग की नियमावली, 2006 में बनायी गयी थी एवं वरिष्ठता सूची वर्ष, 2006 में जारी कर दी गयी थी। सुरक्षा संवर्ग में नियमावली में वर्ष 2009 में संशोधन कर कार्मिकों को पदोन्नति में समान अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से संशोधन किये गये थे। इसके उपरान्त भी पद रिक्त होने के बावजूद सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची में विवाद का बहाना बनाकर कार्मिकों की पदोन्नति लगभग तीन वर्ष विलम्ब से की गयी है। जब वरिष्ठता सूची जारी है, नियमावली बनी है। तब वरिष्ठता का कोई औचित्य नहीं है।

विभाग द्वारा कार्मिकों की पदोन्नति के मानदण्ड पूर्ण होने के उपरान्त भी वरिष्ठता सम्बन्धी विवाद बताकर विलम्ब से पदोन्नति की गयी है। निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण किये जाने के उपरान्त मुख्य रक्षक के पदों पर पदोन्नति में विलम्ब होने से कतिपय कार्मिक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं हो पाये हैं। अतः जो कार्मिक मुख्य रक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2009 में ही पात्र हो चुके थे, की पदोन्नति वर्ष 2009 में किये जाने एवं पात्र मुख्य रक्षकों की निर्धारित योग्यता वर्ष 2011 में पूर्ण हो जाने की स्थिति में वर्ष 2011 से उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोटः– [ ] ये अंश पढ़े हुए माने गये।

विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा में द्वारसो–काकड़ीघाट मोटर मार्ग व घ्योली–सिमोली पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अजय टम्टा–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा में द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग 25 वर्षों से निर्माणाधीन है, लेकिन इस मोटर मार्ग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इस मोटर मार्ग में घ्योली– सिमोली के बीच पुल का निर्माण होना है, रोड कटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन कहीं पर बहुत ही कम रोड कटी है । इस मोटर मार्ग में काकड़ीघाट से ह्योली तक, दूसरी ओर द्वारसों से सिमोली तक प्राइवेट जीप टैक्सी चलती है, लेकिन दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। यह रोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रोड लगभग 23 गांवों को जोड़ती है। आज भी रोड का कार्य सही नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं आपके माध्यम द्वारा सरकार से इस अति लोकमहत्व के विषय पर प्रभावी कार्यवाही हेतु सदन में मांग करता हूँ।]

उत्तराखण्ड राज्य में बी0पी0एड0 बेरोजगारों को राज्याधीन विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पुष्कर सिंह धामी–

[शिक्षा विभाग द्वारा व्यायाम शिक्षकों के पद पर भर्ती न किये जाने से बी0पी0एड0 धारक काफी आक्रोशित हैं तथा उनके द्वारा उपरोक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी उन्हें रोजगार के कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। जबकि अन्य राज्यों में बी0पी0एड0 धारकों को प्रशिक्षण प्राप्त करते ही उनको रोजगार प्राप्त हो जाने के कारण उन राज्यों के विद्यालयों द्वारा खेल–कूद की शिक्षा दिये जाने के बाद, राज्याधीन विद्यालयों द्वारा खेल–कूद एवं व्यायाम में जिला स्तरीय, मण्डल स्तरीय, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने–अपने प्रदेश के नाम की ख्याति बढ़ाने में उपयोगी हो रहे हैं, जबकि उत्तराखण्ड राज्य में बी0पी0एड0 धारकों को राज्य विद्यालयों में ना तो नियुक्ति प्रदान की जा रही है ना ही कोई विज्ञप्ति निकाली जा रही है।

अतएव मैं उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयान्तर्गत राज्याधीन शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक कितने बी0पी0एड0 धारकों को नियुक्ति प्रदान की गई है और कितने पद राज्याधीन विद्यालयों में रिक्त हैं एवं इन रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञप्ति निकालने की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है तथा कब तक विज्ञप्ति निकालकर बी0पी0एड0 धारकों को नियुक्ति प्रदान करेगी, सम्बन्धी प्रश्नगत प्रकरण पर नियम–300 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।]

नोटः– [ ] ये अंश पढ़े हुए माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पूरन चन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 मथुरा दत्त तिवारी द्वारा श्री नीरज चौधरी मकान नं0 6/312 कलावती कालोनी, नवाबी रोड, पो0 हल्द्वानी के इलाज हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि की स्वीकृत के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिदास–

[मान्यवर, श्री पूरन चन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 मथुरा दत्त तिवारी द्वारा श्री नीरज चौधरी मकान नं0 6/312 कलावती कालोनी, नवाबी रोड पो0 हल्द्वानी जिला नैनीताल, शुगर, हार्ट तथा ब्लड प्रेशर की गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है। इन्होंने मेडिकल कालेज भोजीपुरा (बरेली) मेडिकल कालेज, हल्द्वानी में इलाज कराया, अन्त में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कराया। मा0 मुख्यमंत्री जी से हार्ट सर्जरी के लिए आर्थिक सहायता के लिए ` 90,000/– का एम्स का इस्टीमेट प्रेषित किया। मा0 मुख्यमंत्री जी ने ` 50,000/– स्वीकृत किये जो मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सीधे एम्स को प्रेषित किये गये। इसी बीच श्री पूरन चन्द्र तिवारी की तबीयत बिगड़ गयी और स्वीकृत धनराशि एम्स पहुंचने से पहले इन्हें आपरेशन कराना पड़ा। अब इनका हार्ट का आपरेशन हो चुका है। दवाई बराबर लेनी है किन्तु स्वीकृत धनराशि इन्हें नहीं मिल पाई है।

मैं सदन के माध्यम से एक गरीब अभ्यर्थी की समस्या पर ध्यान आकर्षित करते हुए इन्हें मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनाँक 12.09.2012 को स्वीकृत धनराशि सीधे इन्हें भुगतान करने की मांग करता हूँ।]

जनपद देहरादून के विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम कुन्जा ग्रान्ट में गढ़वाल जल संस्थान द्वारा पेयजल हेतु नलकूप न लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

[मान्यवर, जनपद देहरादून के विकासनगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा कुन्जा ग्रान्ट में पेयजल की बहुत समस्या है अतः विभाग को कई बार ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम सभा कुन्जा ग्रान्ट में पेयजल हेतु एक नलकूप लगाया जाए लेकिन गढ़वाल जल संस्थान द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही न होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। अतः इस लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोटः– [ ] ये अंश पढ़े हुए माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा सल्ट के स्याल्दे ब्लॉक के चमोली गाँव में एलोपैथिक चिकित्सालय में चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना.

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा सल्ट के स्याल्दे ब्लॉक के चमोली गाँव में सन् 1976 से स्थापित एलोपैथिक चिकित्सालय प्रारम्भ से ही चिकित्सक विहीन था। परन्तु फार्मासिस्ट व अन्य कर्मचारियों के द्वारा अति दुर्गम में स्थापित चिकित्सालय द्वारा स्थानीय जनता की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति हो रही थी। परन्तु उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के बाद जहां जनता चिकित्सकों की नियुक्ति की आस लगाये बैठी थी, वहीं इस वर्ष वहाँ से फार्मासिस्ट व वार्ड बॉय को भी हटा दिये जाने से और वहाँ की सारी व्यवस्था एकमात्र सफाई कर्मचारी द्वारा किये जाने से अत्यधिक रोष है और उनका यह रोष कभी भी एक बड़े आन्दोलन का रूप ले सकता है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र उचित कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

प्रदेश में पेड़ों के कटान हेतु अनुमति के नाम पर किसानों का हो रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आदेश चौहान–

[मान्यवर, प्रदेश में किसानों द्वारा अपनी स्वयं की भूमि पर लगाये फलदार वृक्षों के अधिक पुराने हो जाने या फल देना बन्द करने के बावजूद किसानों को ऐसे पेड़ों को काटने में वन विभाग से स्वीकृति की प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल होने के कारण किसानों का भारी शोषण हो रहा है। पेड़ों की कीमत से ज्यादा किसान को उसको काटने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश में अभी भी उत्तर प्रदेश का 1976 का ही अधिनियम चल रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश ने इसमें परिवर्तन कर कुछ प्रजातियों को मुक्त कर दिया है। उत्तराखण्ड में इमारती लकड़ी वाले वृक्षों के लिए भी प्रक्रिया बहुत जटिल है। इन सब स्थितियों को देखते हुए किसानों ने फलदार वृक्ष व इमारती लकड़ी वाले वृक्ष लगाने बन्द कर दिये हैं। ऐसे किसान जिनकी समस्त भूमि पर पेड़ लगे हैं किन्तु अत्यधिक पुराने होने के कारण उन्होंने फल देना बन्द कर दिया, ऐसे पेड़ों की कटान की अनुमति न मिलने के कारण ऐसे किसानों की स्थिति भूखों मरने की हो गयी है। इसलिए नियमों का सरलीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है जिसमें किसान अपने पुराने पेड़ काटकर नये पेड़ लगा सके। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

नोटः– [ ] ये अंश पढ़े हुए माने गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद उत्तरकाशी में वाहन दुर्घटनाओं में घायलों और मृतकों को मुख्यमंत्री द्वारा समाचार पत्रों में घोषित मुआवजा राशि न मिल पाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माल चन्द-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा जनपद उत्तरकाशी में कई वाहन दुर्घटनाओं में विगत वर्षों से कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं। जिससे त्यूनी, हडोली, बड़कोट तिलाड़ी, चकराता त्यूनी मोटर मार्ग पर बस द्वारा मेरी विधान सभा पुरोला के कई व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, कई व्यक्ति घायल हुये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से घोषणा की गई है। लेकिन अभी तक मृतकों को एवं घायलों को मुआवजा नहीं दिया गया और कोई निश्चित राशि भी शासन/सरकार द्वारा सुनिश्चित नहीं है। जिसके कई उदाहरण हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र में वाहन दुर्घटना के मृतक व्यक्तियों को 50 हजार रूपये मृतक राशि एवं 25 हजार रूपये घायलों के लिए समाचार पत्रों द्वारा सुना है। इसी वाहन दुर्घटना में अन्य क्षेत्रों एवं जनपदों में मृतकों को 2 लाख रूपये आदि-आदि तक और घायलों को उचित राशि बढ़ाकर दी जा रही है। लेकिन मेरे क्षेत्र में अभी तक लगभग-लगभग सभी मृतक एवं घायल मुआवजा से वंचित हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आज सदन की सभी कार्यवाही रोक कर चर्चा की माँग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र भीमताल अन्तर्गत तहसील धारी में स्थानीय प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय किसानों पर भूमिधरी मुकदमे लागू कर प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दान सिंह भण्डारी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत तहसील धारी जनपद नैनीताल के स्थानीय किसानों पर भूमिधरी कानून को लेकर जो मुकदमे चल रहे हैं वे नाजायज हैं। क्योंकि सितारगंज विधान सभा उप चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों के लिए भूमिधरी कानून लागू करने की घोषणा की गयी थी। लेकिन क्षेत्रीय किसानों पर भूमिधरी के मुकदमे चल रहे हैं तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस भूमि पर ये किसान काबिज हैं वह सरकार के किसी भी उपयोग की भूमि नहीं है। स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में भी यह मामला है।

अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि लोक महत्व, अविलम्बनीय विषय पर नियम- 300 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराई जाये।]

नोटः- [ ] ये अंश पढ़े हुए माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम डौडा एस0सी0पी0 गाँव में सिंचाई की एकमात्र ध्वस्त नहर के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बिशन सिंह चुफाल–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम डौडा, एस0सी0पी0 गाँव के साथ–साथ नेपाल के सीमा के पास लगा हुआ है। जिनकी जनसंख्या एक हजार से अधिक है। ग्राम सभा डौडा में एक मात्र जो नहर से सिंचाई होती है वह बगड़ीहाट रणुडा अवलतडी सड़क निर्माण से ध्वस्त हो गई है। सिंचाई के अन्य साधन नहीं होने के कारण सिर्फ बरसात पर निर्भर रहते हैं। जिस कारण गाँव में रोजगार पर असर पड़ा है। नहर की मांग को लेकर क्षेत्र की जनता विभाग से बार–बार मांग करती आई है। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन से कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के काफलीगैर में खाद्यान्न गोदाम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्दन राम दास–

[मान्यवर,मेरे विधान सभा क्षेत्र के काफलीगैर में खाद्यान्न गोदाम न होने के कारण राशन विक्रेताओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा 50 ग्राम सभाओं के लिए राशन हेतु अल्मोड़ा जिले के ताकुला गोदाम से राशन उठाने में काफी कठिनाईयां हो रही हैं तथा गाड़ी एवं घोड़ों का भाड़ा भी अधिक मात्रा में देना पड़ रहा है।

स्थानीय जनता द्वारा काफी लम्बे समय से काफलीगैर क्षेत्र में खाद्यान्न गोदाम की मांग की जा रही है। मांग पूरी न होने से क्षेत्रीय जनता आक्रोशित व आंदोलित है। अतः इस अविलम्बनीय एवं महत्वपूर्ण विषय पर, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों की प्रथम पीढ़ी (उत्तराधिकारी) को पेंशन शुरू करने की घोषणा पर कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेश शुक्ला–

[मान्यवर, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हैं की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गत वर्ष राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों की प्रथम पीढ़ी को 6000/– (रू0 छः हजार) मासिक पेंशन राशि देने की घोषणा की गयी थी ? क्या सरकार देश के

नोट–[ ] में वह पढ़े हुए माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत माता के सपूत स्वतंत्रता संग्राम के इन सैनानियों के उत्तराधिकारियों की दयनीय स्थिति का संज्ञान लेगी ? जहाँ समाचार पत्रों में छपता है कि स्वतंत्रता संग्राम सैनानी जनों के उत्तराधिकारी रिक्शा चला रहे हैं या गुजर–बशर को मोहताज हैं। क्या देश के कई राज्यों में इस तरह दी जा रहीं पेंशन योजना का अनुसरण राज्य सरकार करेगी जैसे कि बिहार राज्य। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दुनिया के कई देशों ने अपने देश की आजादी की लड़ाई–लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के परिवारों को राष्ट्रीय परिवार घोषित किया है तथा उनकी 7वीं पीढ़ी तक पेंशन दी है। मैं इस लोक महत्व एवं राष्ट्र स्वाभिमान से जुड़े प्रश्न पर सरकार से जवाब चाहता हूँ।]

जनपद पौढ़ी के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत मालन एवं हेवल नदी के किनारे बसे किसानों की फसल एवं भूमि को बचाने हेतु तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

[मान्यवर, जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत मालन एवं हेवल नदी के दोनों ओर कृषि भूमि का बरसात में बहुत अधिक कटाव हो चुका है प्रत्येक बरसात में फसलों को भी भारी क्षति होती है। ग्रामीण द्वारा तटबन्ध बनाये जाने हेतु शासन–प्रशासन से कई बार मांग की जाती रही है, लेकिन सरकार बहुत कम बजट देकर अपना कर्तव्य पूरा कर दे रही है। लेकिन पर्याप्त धन न मिलने के कारण तटबन्ध अधूरे रह जाते हैं और अगले वर्ष वह भी टूट जाते हैं।

अतः इन दोनों नदियों के किनारे बसे किसानों की फसल एवं भूमि को बचाने हेतु तटबंध बनाये जाने के लिए सरकार से इस अति लोक महत्व के विषय पर प्रभावी कार्यवाही हेतु मांग करती हूँ।]

जनपद हरिद्वार के मंगलौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आम खेड़ी के पास सोनाली नदी पर स्वीकृत पुल के लम्बित होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरवत करीम अंसारी–

[मान्यवर, जनपद हरिद्वार के मंगलौर विधान सभा के अन्तर्गत आम खेड़ी गाँव के पास सोनाली नदी पर बनने वाले पुल, जो कि वर्ष 2004 से लम्बित है। उक्त पुल से क्षेत्र के सैकड़ों गाँव को लगभग 50 किलोमीटर की दूरी से घूमकर आना पड़ता है। यदि यह पुल बन जाये तो सैकड़ों गाँव को समय की बचत होगी एवं यातायात सुगम होगा और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से सीधे नजीबाबाद, मुरादाबाद जाने की दूरी कम से कम 100

नोट–[ ] ये यह पढ़े हुए माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किलोमीटर घट जायेगी। उक्त पुल वर्ष 2004 में स्वीकृत हो चुका था। किन्तु आज तक निर्माण न होने से क्षेत्र की जनता प्रतिदिन धरने प्रदर्शन कर रही है और बड़े आन्दोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, जनता में भारी आक्रोश है।]

अतः इस लोकमहत्व के मामले पर सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद देहरादून कैन्ट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जनरल महादेव सिंह रोड के दोनों ओर कालोनियों में बारिश के पानी की उचित निकासी न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरबन्स कपूर–

[मान्यवर, देहरादून कैन्ट विधान सभा के अन्तर्गत जनरल महादेव सिंह रोड के दोनों ओर लगभग बीस आवासीय कालोनियां हैं। ये कालोनियां नवविकसित हैं, इन कालोनियों की आबादी लगभग एक लाख है। पानी निकासी का उचित प्रबन्ध न होने के कारण थोड़ी सी बारिश से भी जल भराव हो जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जान–माल का नुकसान होना सामान्य सी बात हो गयी है। क्षेत्रवासियों द्वारा समय–समय पर स्थानीय प्रशासन को समस्या की गम्भीरता से अवगत भी कराया गया है, परन्तु समस्या का समाधान नहीं हो सका। प्रशासन ने समस्या की गम्भीरता को देखते हुये यद्यपि देहरादून के सम्पूर्ण शहर के लिए स्टोर्म वाटर ड्रेनेज प्लान बनाने हेतु एक निजी कम्पनी से मास्टर प्लान भी बनवाया है, जिसे भी लगभग दस वर्ष से अधिक समय हो गया है ,परन्तु शासन–प्रशासन की लापरवाही के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रतिदिन समस्या गम्भीर रूप धारण कर रही है।

मान्यवर, लोक महत्व की इस महत्वपूर्ण सूचना पर मैं नियम–300 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ और तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद पौड़ी के चौबट्टाखाल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बीरोंखाल ब्लाक में बैजरों, जोगमड़ी सराईखेत निर्माणाधीन मोटर मार्ग में कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री तीरथ सिंह–

[मान्यवर, पौड़ी जनपद के चौबट्टाखाल विधान सभा, बीरोंखाल ब्लाक में बैजरों, जोगमड़ी सराईखेत निर्माणाधीन मोटर मार्ग के अवशेष 6.250 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य विगत 10 वर्षों से रूका है। जबकि वन पंचायत सराईखेत द्वारा अपना निरापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है, उसके बाद भी रोड कार्य लम्बित पड़ा है। जबकि यह रोड अल्मोड़ा क्षेत्र (गढ़वाल और कुमाऊँ मण्डल) को भी जोड़ेगी। आज भी रोड न होने के कारण लोग कठिनाईयों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तत्काल उक्त रोड पर कार्य प्रारम्भ हो, जिससे क्षेत्र के लोगों को कठिनाईयों से न जूझना पड़े।

नोट–[ ] ये अंश पढ़े हुए माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं आपके माध्यम द्वारा सरकार से इस अति लोकमहत्व के विषय पर प्रभावी कार्यवाही हेतु मांग करता हूँ।]

नियम–65 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज कुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले विधान सभा सत्र के अन्तिम दिन, दिनाँक 8 जून को सरकार ने सदन में यह वचन दिया था कि हमारे विरूद्ध दर्ज मुकदमे वापस ले लिये जायेंगे। परन्तु अत्यन्त दुःख के साथ आपको तथा माननीय सदन को अवगत कराना है कि सरकार द्वारा सदन में वक्तव्य दिये जाने के पाँच माह व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक हमारे विरूद्ध दर्ज मुकदमों को वापस लिये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जो कि सदन की अवमानना तथा सदन को गुमराह करना मात्र है। कृपया इसका संज्ञान लेकर हमें न्याय दिलाने का कष्ट करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री राज कुमार ठुकराल जी सदन और क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहते हैं और उनकी सुरक्षा के प्रति हम चिन्तित हैं, इनकी सुरक्षा के आदेश तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कर दिये हैं और सामान्यता उतनी सुरक्षा पहले ही मिल चुकी थी, इनके पास दो गनर हैं।

श्री राज कुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, रूद्रपुर का जो वातावरण चल रहा है और वहां पर जो 2 अक्टूबर, 2011 को घटना घटित हुई थी, उसके सम्बन्ध में और विपक्षियों के द्वारा किये जा रहे षडयंत्रों के कारण रोज कोई न कोई घटना वहां पर घटित होती रहती है। इसलिए दोनों बातें अति आवश्यक हैं, पहला जो झूठे मुकदमे मेरे ऊपर कायम किये गये हैं, मैं उस समय जनता के बीच में था। दो अक्टूबर, 2011 को मैं जनता के मध्य में था और सात महीने बाद मेरे विरूद्ध कत्ल करने का मुकदमा धारा–302 में दर्ज किया गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको गम्भीरता से लेते हुये सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि मेरे विरूद्ध दर्ज यह मुकदमे तत्काल वापस लिये जायं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह वैसे बड़ी दुःखद घटना है कि सात महीने बाद डिले एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, जिसे कानून भी संज्ञान नहीं लेता है। यह बहुत बड़ा अन्याय है, सदन में हमें आपका संरक्षण चाहिये, सरकार को इन बातों को गम्भीरता से देखना चाहिये कि जो आदमी बचाने के लिए गया, मैं रूद्रपुर व्यक्तिगत तौर पर गया था, सभी लोगों ने मुझे बताया कि यदि राजकुमार उस दिन यहां नहीं होते तो पता नहीं क्या हो

नोट–[ ] ये अंश पढ़े हुए माने गये।

जाता। जो आदमी बचाने के लिये गया और कई लोगों को बचा कर लाया, उस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। पुलिस के अधिकारियों ने भी यह कहा कि अगर माननीय विधायक नहीं होते तो हम भी उसमें घिर गये थे, हमारी जान को भी खतरा था। उस आदमी के खिलाफ 07 महीने के बाद एफ0आई0आर0 हुई, इससे खराब और इससे जो व्यक्तिगत रंजिश लगने का मामला है, इसका उदाहरण और कहीं नहीं है। मान्यवर, आज आपकी तरफ से इसमें निर्देश आना चाहिए कि सरकार इनके मुकदमों को वापस ले।

श्री राज कुमार ठुकराल–

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है 02 अक्टूबर, 2011 को जो घटना हुई थी, उसमें सरकार के द्वारा एक अनुभवी आई0पी0एस0 को जो डी0आई0जी0 थे उनको बतौर एस0एस0पी0 बनाकर और तत्काल दंगों पर काबू करने के लिए भेजा गया था। सारा मामला कन्ट्रोल में आ गया था। उस दिन पुलिस ने 02 अक्टूबर, 2011 को 39 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा 302, 307 एवं अन्य गम्भीर धाराओं में। उस दिन उनको या उसके बाद 39 लोगों को जेल भेजा गया और दो महीने, ढाई महीने, तीन महीने रहने के बाद वो लोग बेल आउट हो गये। मेरा सदन में आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैं कोई दोषी था या मैं अलग से था तो मेरे खिलाफ पुलिस उस दिन मुकदमा कायम करती। मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जो 16 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 15 गाड़ियां पुलिस की जलायी गयीं, पुलिस को बचाना भी गुनाह है, तो मैं सदन में कह रहा हूँ कि वह गुनाह मैंने किया है। अगर दुकानदार को बचाया, मंदिरों को, गुरूद्वारों को, पब्लिक को, सबको बचाया तो यह गुनाह मैंने किया है। मैं आपके बीच में सदन में कह रहा हूँ पब्लिक के बीच में रहकर मैंने कौन सी किसकी हत्या कर दी, आप इसकी इन्टेलीजेन्स से इन्क्वायरी भी करा सकते हैं। मेरे विरूद्ध एक षड़यंत्र के तहत 08 महीने बाद 02 अक्टूबर, 2011 की घटना के 07 महीने बाद मेरे खिलाफ 302, 307 कत्ल करने का मुकदमा कायम हुआ है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, सदन के माध्यम से न्याय चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वो सभी प्रकरण क्षेत्र में रहने के नाते और वैसे भी हम लोगों के संज्ञान में है। उसमें पार्लियामेंट की कमेटी और प्रशासनिक कमेटी, दिल्ली से कमेटी, प्रदेश स्तर पर कई कमेटी, पार्लियामेंट के एम्स पार्लियामेंट मेम्बर्स, उन्होंने भी अपनी सूचनाएं इसमें दी हैं। यह सही है कि उसमें बहुत किस्म के वाद–विवाद और भ्रम पैदा किये गये क्योंकि वो साम्प्रदायिक दंगों से जुड़ा हुआ प्रकरण है यह भी सही है कि इसमें कुछ लोगों ने राजनीति करने का भी प्रयास किया। लेकिन किसी भी तौर पर किसी सम्मानित सदन के सदस्य के विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने के प्रति न सरकार की कोई मंशा है और न इस प्रकार कार्य जैसा इन्होंने बताया कि धारा 307 है, ये मुझसे भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, वो सारे प्रकरण दिल्ली से लेकर प्रदेश के माध्यम से जिन पर

जांच हुई है, उनके सारे दस्तावेज माननीय मुख्यमंत्री जी से मंगा लिए हैं, उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। सबका अध्ययन किया जा रहा है। उसमें यह भी खोजा जा रहा है कि दोषी कौन है और भी बहुत से लोग दोषी हैं। वे किसी भी दल के हों, उस सम्बन्ध में भी हो रहा है। ये जानकारी आपके पास भी है मैं इस सम्बन्ध में आज ही होम सेक्रेट्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो शायद थोड़ी देर में हाउस में आते होंगे, उनसे बात करके इस पर तत्काल कार्यवाही करने का प्रयास करती हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली से यहां तक कमेटियां आयीं। मैं विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ क्या किसी निर्दोष व्यक्ति को धारा 302 जैसी धारा में लटका डालेंगे फांसी पर आप कमेटियों के आधार पर? क्या कोई व्यक्ति कहीं से कोई रिपोर्ट ले आये और कह दे कि इसको फंसाना ही है तो क्या आप फंसा डालेंगे, क्या वो भी एक माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य है ? ये तो बिल्कुल उत्तर ठीक नहीं है मान्यवर, इसलिए आपकी तरफ से इसका विनिश्चय आना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, किसने कह दिया कि कमेटी ने रिपोर्ट दी इनके खिलाफ, मैंने तो नहीं कहा। दिल्ली से लेकर यहां पर उस सारे प्रकरण पर, उस सारे प्रकरण पर दिल्ली की पार्लियामेंट की कमेटी, यहां की कमेटियां सब गयीं, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट आयी। मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि नहीं है इनके ऊपर, किसी ने नहीं कहा, इनके ऊपर नहीं हैं, तब भी इनके ऊपर वाद दायर क्यों हो गया। जब कमेटी में नहीं थे। एक विधायक पर क्या गुजर रही होगी सदन के, जिस पर धारा 302 का मुकदमा हो। वो तो राज कुमार ठुकराल हर समय हंसने वाला व्यक्ति है, सबको खुश रखता है कहीं हम जैसे लोग हों, कोई कमजोर दिल का आदमी हो तो वहीं तड़प कर मर जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस सदन में जो आता है, उसका दिल मजबूत हो जाता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें कोई न कोई विनिश्चय आपकी तरफ से आना चाहिए कि माननीय सदस्य के खिलाफ अगर कुछ नहीं है मामला, जैसा सरकार ने भी कह दिया है। किसी कमेटी ने इसके खिलाफ नहीं कहा है तो फिर क्यों उनको इतने दिन तड़पाया जाय, क्यों? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ऐसा नहीं है। बहुत से किस्म की रिपोर्ट आयी हैं, जिन बहुत सारी चीजों को मैं जानती भी हूँ। आप अननेसेसरी ऐसी बात न खड़ी करें कि आपके सदस्य का नुकसान हो जाय। मान्यवर, हम लोग किसी भी सम्मानित सदस्य, चाहे वह इस दल का हो या उस दल का हो।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि आपने हमारे सदस्य को बेल लेने को मजबूर कर दिया। हमारे सदस्य का नहीं बल्कि सदन के सदस्य का।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह बात उन्हें भी पता है, यह बात राज कुमार ठुकराल भी जानते हैं, वह मुझसे भी लगातार बात करते हैं। किसी की नीयत इस बात की नहीं है कि उनके विरूद्ध कोई ऐसी कार्यवाही हो, वह जेल में चले जायें या एटेम्प्ट टू मर्डर या इस तरह का कोई मुकदमा या कोई धारा हो।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब कुछ ऐसा है ही नहीं तो आज आप घोषणा कर दीजिए, वापस लेने के लिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने कहा है कि ऐसा कोई रिकार्ड होम डिपार्टमेन्ट का मेरे पास नहीं है। अभी–अभी इनका प्रकरण आया, मैंने अपने ज्ञान से, अपनी जानकारी से और अपनी सदभावना से यह बात कही।

श्री राज कुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 02 अक्टूबर, 2011 को 39 लोगों के खिलाफ धारा 302, 307 और अन्य गम्भीर धाराओं में गम्भीर मुकदमा दायर हुआ। 07 महीने बाद एक मुकदमा मेरे खिलाफ और मेरे भाई के खिलाफ कायम हुआ, मैं जनता के बीच में था। 07 महीने बाद उन्हीं धाराओं में उसी संदर्भ में दोबारा एफ0आई0आर0 का क्या औचित्य है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे न्याय चाहिए, मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर क्या बीत रही है यह तो मैं ही जानता हूँ। मैं हँस के और मजाक करके अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मान्यवर, मेरी छोटी–छोटी बच्चियाँ हैं। मुझे आपसे न्याय चाहिए और आप सरकार को निर्देशित करें कि झूठे मुकदमें वापस लिये जायें।

पिछले 08 जून को विधान सभा सत्र के अन्तिम दिन सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ये मुकदमे वापस होंगे। लेकिन आज 05 महीने से अधिक समय हो गया यह मुकदमा वापस नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे न्याय चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसमें परीक्षण करा लूँगा। तत्पश्चात उक्त सूचना अग्राह्य हुई

नियम–310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत 05 सूचनायें प्राप्त हुई, इनमें एक सूचना श्री अजय भट्ट जी, श्री मदन कौशिक जी आदि माननीय सदस्यों की है जो उत्तरकाशी और रूद्रप्रयाग में दैवीय आपदा से नुकसान हुआ के सम्बन्ध में है, उसको मैं नियम–58 के लिए ग्राह्य करता हूँ शेष सूचनायें अग्राह्य हुई।

श्री राज कुमार ठुकराल–

मान्यवर, आज अन्तिम दिन है, हमारी सूचना को भी सुन लिया जाय, यह बहुत जरूरी विषय है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, शेष सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, शेष सूचनाओं पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 13 दिसम्बर, 2012 की बैठक में दिनाँक 14 दिसम्बर, 2012 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है–

<u>दिसम्बर, 2012</u>

<u>14 शुक्रवार,</u>

विधायी कार्य।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री राज कुमार ठुकराल, श्री मदन कौशिक, श्री चन्द्र शेखर, श्री आदेश चौहान, श्री तीरथ सिंह, श्री माल चन्द, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री अजय टम्टा, श्री राजेश शुक्ला, श्री दलीप सिंह रावत, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री बंशीधर भगत, श्री चन्दन राम दास, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर तथा श्री यतीश्वरानन्द की कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री चन्द्रशेखर, श्री माल चन्द तथा श्री सहदेव सिंह पुण्डीर की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन लूँगा तथा मा0 सदस्य श्री राज कुमार ठुकराल एवं श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे जिससे सदन में व्यवधान हुआ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, कोई दिक्कत नहीं है ध्यान आकर्षित करने में, क्योंकि विधान सभा सत्र अब छः महीने बाद आयेगा। (व्यवधान) हमने माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि शेष सूचनाओं पर ध्यान आकर्षित कर लें। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं शेष सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। (व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी सूचनाओं पर ध्यान आकर्षित कर दें, कारण यह है कि आज केवल एक प्रश्न हुआ है। विभाग की तरफ से यह आ रहा है कि उन्हें भी नोटिस जा रहा है और वह अपने विभाग से सूचना मंगा रहे हैं। अगर मैं वैसे ही बोल दूं तो वह उचित नहीं होगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इन सभी सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने मेरी नियम–310 की सूचना को नियम–58 की ग्राह्यता पर सुना है। मान्यवर, कुछ दिन पहले ऊखीमठ, बागेश्वर और उत्तरकाशी में आपदा आयी है। मैं उसके बारे में, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। आज इसको लाना इसलिए आवश्यक हो गया था कि आज भी पूरे पर्वतीय क्षेत्र में बारिश हो रही है और ऊँचाई वाले क्षेत्र में बर्फवारी भी हो गयी है। वहां पर लोगों को जो सरकार द्वारा उचित सहायता दी जानी चाहिए थी वह अभी तक भी नहीं दी गयी है। सरकार ने उत्तरकाशी में आपदा के दौरान कहा था कि गंगा के दोनों तरफ मनेरी भाली बैराज और जोश्याड़ा से गंगोली तक सुरक्षा दीवार दो महिने के भीतर बना दी जायेगी। मान्यवर, दीवार बनाना तो दूर, आज तक उसका आंगणन भी नहीं बनाया गया है। होटलों और मकानों का जो नुकसान हुआ है उनको आज तक उचित मुआवजा भी नहीं मिला है। मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में एक परिवार के चार भाई होते हैं। जब उनका परिवार अलग–अलग होता है, जिसे न्यारे होना कहते हैं, तो वे लोग अलग–अलग कमरों में रहते हैं। क्योंकि गरीब होने के कारण वे लोग इतने बड़े मकान नहीं बना सकते हैं अर्थात् जो सैप्रेट परिवार होता है। लेकिन यह जानते हुए भी कि यह परिवार अलग रहते हैं और इनके राशन कार्ड अलग हैं। अलग भाई हैं लेकिन एक पिता के पुत्र हैं। मकान के अलग–अलग कमरो में अलग–अलग चूल्हे हैं। उसके बावजूद भी एक व्यक्ति को मुआवजा दिया गया है, जो उन भाईयों में से सबसे बड़ा है और जो चार अन्य भाई थे वे भी इस ठंड में मर रहे हैं, कोई कैम्प में रह रहा है और कोई दूसरे के घरों में रह रहा है। वहाँ पर बहुत खराब स्थिति बनी हुई है, जोश्याड़ा बाजार तो आज भी आवागमन के लिए बन्द है। मान्यवर, वहां जाकर मैंने खुद ही देखा है, अभी आपदा प्रबन्धन मंत्री जी, यहाँ पर नहीं हैं, वे भी आये हुए थे। वहाँ पर भागीरथी नदी ने पूरा बाजार काट दिया है और भी अन्दर को भी कटते जा रहा है। वहां पर आज कोई सुरक्षा का प्रबन्धन नहीं है। जोश्याड़ा, तिलोथ, गंगोरी, गंगा नगर, मणिकाघाट, असीगंगा, भटवाड़ी चडेती और बबरकालोनी में अभी तक आगे के लिए कोई सुरक्षात्मक काम नहीं हुए हैं। मान्यवर, जो भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो गया है। मान्यवर, ग्यारह गाँव तो ऐसे हैं जिसका हमने दौरा भी किया है, उसके बारे में मैंने अभी फिर पूछा, पर अभी तक उसको विस्थापित करने की कोई कार्यवाही नहीं हुई है,

जबकि वह बिल्कुल खिसक रहा है। तो स्थिति बहुत गम्भीर है, इस ठंड में वहाँ पर मिट्टी का तेल नहीं है, गैस नहीं है, लकड़ियों का हम कोई प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं इतनी महंगाई में 53–54 रूपये प्रति लीटर मिट्टी का तेल वहाँ कोई उठा नहीं सकता है, जो केन्द्र से निर्देश आये हैं, लोग वैसे ही नहीं दे रहे हैं, गैस वहाँ मिल नहीं रही है तो इस तरह से बहुत खराब स्थिति वहाँ पर आज भी बनी हुई है। मान्यवर, यही हालात ऊखीमठ के भी हैं, ऊखीमठ में आई आपदा के लिए मात्र 6 करोड़ रूपया आज तक वहाँ पर आ पाया है। जबकि 50 करोड़ का आगणन वहाँ से गया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहाँ गये हुये थे तो एक लाख रूपया अपने फण्ड से वहाँ पर देने की बात कही थी पर आज तक वह पैसा भी वहाँ पर नहीं पहुँचा है, जबकि एक लाख रूपया मानकों के आधार पर जाना था, माननीय केन्द्रीय मंत्री जी ने कहा था कि हम 2–2 लाख रूपया केन्द्र से भिजवायेंगे और वह पैसा भी अभी तक वहाँ पर नहीं आ पाया है।

मान्यवर, टूटे रास्तों के लिए सरकार की तरफ से यह घोषणा की गयी थी कि ऊखीमठ में 10–10 हजार रूपये प्रति ग्राम सभा हम दे देंगे, पर वह पैसा भी आज तक नहीं गया है। मान्यवर, कुण्डा से ऊखीमठ तक की सड़क डेढ़ महीने बाद खुली है, लेकिन अभी भी गाड़ियों के आने–जाने के लायक अच्छी तरह नहीं हुई है, ये हालात वहाँ के हैं और इसी तरह का हाल बागेश्वर का है। बागेश्वर में भी कपकोट के ग्राम पंचायत छेटाबगड़, पोथिंग, हरसिंहाबगड तथा सेरी में सड़कों का हाल पूर्ववत् है, भराड़ी में स्यॉंव मोटर मार्ग तक छोटी गाड़ियां ही जा रही हैं बड़ी बसें नहीं चल पा रही हैं। मान्यवर, उक्त स्थान पर 25 हजार की आबादी रहती है सम्भवतः मेरा कई बार यह स्थान देखा हुआ है, रिखाड़ी बाछम में पैसा आने के बाद भी सड़क को यातायात के लिए आज तक नहीं बना सके हैं जबकि यह पिण्डारी ग्लेशियर तक जाती है। नामित ग्लेशियर को जोड़ने वाली सड़क 12 सितम्बर से बन्द है कोई वहाँ पर देखने वाला नहीं है, कालीघाट की पुल वैसी पड़ी हुई है, भराड़ी से 3 कि0मी0 दूर भरासू की पुल भी टूटी पड़ी है। अभी तक दैवीय आपदा का पैसा वहाँ नहीं आया है। मात्र 4 करोड़ रूपये वहाँ पर गये हैं बहुत स्थिति खराब है, पोथिंग सड़क मार्ग मलबे से पूरी पटी पड़ी है और इस स्थान पर दो पति–पत्नी अपनी जान दे चुके थे। जिस तरह से हरसिंहाबगड हो या कोई भी स्थान, जहां पर उस समय आपदा के नाम में कहा गया था कि ठीक कर देंगे पर यहाँ पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो स्थिति आपदा के बारे में सरकार की हुई है जो असंवेदनशीलता सरकार की देखने को मिली है, उसका उदाहरण कहीं और नहीं मिलता है। आज लगभग 4–5 महीना व्यतीत होने को हैं हम प्राथमिक चीजें भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ऊँचाई वाले रास्तों में बर्फबारी होने के कारण अब हम वहाँ पर राशन भी नहीं भेज पायेंगे क्योंकि वहाँ पर सड़कें ही नहीं दुरस्त कर पाये हैं, तो इससे महत्वपूर्ण आज का कोई काम नहीं हो सकता है, इसलिए पूरे सदन की कार्यवाही को स्थगित करके इस पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मानसून आने से पूर्व सरकार की तरफ से, समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से पूरे प्रदेश की जनता को अवगत कराया गया कि यदि प्रदेश में कहीं आपदा की स्थिति बनती है तो हमारी तैयारी पूरी है और सरकार ने जनपद स्तर पर आपदा से सम्बन्धित विभागों, नोडल अधिकारियों को तैनात करने की बात कही थी, न्याय पंचायत स्तर पर बचाव और प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण की बात कही थी और उसमें से 22 स्थान चिन्हित करके कहा था कि यह अति संवेदनशील हैं। यही नहीं सरकार ने अपनी ओर से जैसा शायद उत्तर में भी बताया, माननीय मंत्री जी ने 29 करोड़ रूपये से अधिक पैसा भी जारी कर दिया, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय ये आपदा की स्थिति आयी, वे सारी व्यवस्थाएं पता नहीं कहाँ चली गयी, वे थी या नहीं थी, इस पर संदेह है। मान्यवर, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग की घटनाएं हमारे सामने हैं। मान्यवर, 233 गाँव इस प्रदेश में ऐसे हैं जिनके बारे में कहा गया कि वे अतिसंवेदनशील हैं ये आपदा से बहुत ही प्रभावित गाँव हैं। सम्भवतया सरकार की तरफ से यह उत्तर आये और वह भी मानेगी कि 233 गाँव ऐसे हैं, जिनमें चमोली में 49, बागेश्वर में 42, पौड़ी में 19, अल्मोड़ा में 9, नैनीताल में 6, पिथौरागढ़ में 71, टिहरी गढ़वाल में 19, उत्तरकाशी में 5, रूद्रप्रयाग में 1, देहरादून में 2, ऊधमसिंह नगर में 1, चम्पावत में 9 गाँव हैं, लेकिन आज तक इन 233 गाँवों, जो कि अतिसंवेदनशील गाँव हैं, क्या इन गाँव में अभी तक सर्वे हुआ है या नहीं, सम्भवतया ये सूची तैयार होने के बाद आज तक इनमें से कम से कम 30–35 प्रतिशत गाँवों का ही सर्वे हो पाया होगा। मान्यवर, पूरी बरसात, चली गयी है और अब सरकार कह रही है कि अब सर्वे होगा, यह कैसी स्थिति है। यही नहीं आपदा आयी, हमारे विपक्ष के लोगों की समिति भी वहाँ पर गयी, लेकिन सरकार की तरफ से आपदा को लेकर जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, वह नहीं है। केन्द्र की सरकार पूरा सर्वे करके चली गयी लेकिन हुआ क्या है। (माननीय हरीश धामी द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय धामी जी, शांत रहें। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, केवल हवाई जहाज से सर्वे करने में इस प्रदेश की आपदा दूर होने वाली नहीं है। (माननीय हरीश धामी द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहने पर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य हमारे छोटे भाई हैं, नियम–58 में हम बोल रहे हैं। क्या सरकार ने माननीय सदस्य को बोलने का हक दे दिया है? हम प्रबोधन में आते हैं, कुछ सीखते हैं। नियम–58 चल रहा है, यह विपक्ष का समय होता है तो आप कृपया बीच में टोका–टोकी न करें। माननीय सदस्य को बोलने दें। आप माननीय सदस्य को निर्देशित करें। सदन व्यवस्थित चले, कभी–कभी ऐसा लगता है कि जैसे सदन में कोई है ही नहीं, जब जो जैसा चाहता है, बोल जाता है। एक बहुत गम्भीर मसला चल रहा है, ठीक है आपकी भावना भी ठीक है, जो आपको इसमें कहना होगा, इसके लिए समय ले लीजिए। चूंकि विपक्ष को तो मुद्दा उठाना ही होगा, यदि विपक्ष मुद्दा नहीं उठायेगा तो सत्तापक्ष कैसे जागेगा और अपनी कमियों को कैसे ठीक करेगा। (माननीय हरीश धामी द्वारा बैठे–बैठे को कुछ कहने पर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप माननीय अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय धामी जी, कृपया शांत रहें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, केन्द्रीय टीम अभी आयी और केन्द्रीय टीम पूरा सर्वे करके चली गयी, कपकोट में सर्वे भी नहीं कराया गया। प्रदेश की जनता को उसके हाल पर छोड़कर चली गयी। यह आपदा से जुड़ा हुआ संवेदनशील विषय है और पूरा प्रदेश इससे जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे और प्रदेश की जनता भी जाने कि वास्तव में स्थिति क्या है। जो 233 गाँव संवेदनशील हैं, उनका सर्वे न होने के कारण परेशानी है। यह केवल एक जगह का विषय नहीं है, आप उत्तरकाशी चले जाएं वहां की जनता आंदोलित है, रूद्रप्रयाग चले जाएं वहां की जनता आंदोलित है, वास्तविक स्थिति यह है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत ही अविलम्बनीय एवं लोक महत्त्व का तात्कालिक विषय है, इसलिए इस सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा हो, चूंकि सभी माननीय सदस्यों की यह पीड़ा है, उधर बैठे माननीय सदस्यों की भी यह पीड़ा है। चूँकि उनके यहां भी कार्य नहीं हुआ है, वे भी हमारी बात से सहमत होंगे।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। आपदा आयी, सबको मालूम है। प्राकृतिक आपदा उत्तराखण्ड में और खासकर पर्वतीय क्षेत्र में किस समय आ जाएगी, इसकी कोई भविष्यवाणी मौसम विभाग भी नहीं कर पाया है। भंयकर आपदा आयी, बहुत लोग पीड़ित हुए। सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। आपदा प्रबन्धन मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री, भारत सरकार की टीम परीक्षण करने गयी और अभी–अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन की कमी की बात केन्द्र सरकार में जाकर कही और हमें उम्मीद है कि उनसे उतना पर्याप्त धन आयेगा, जिस ओर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने संकेत दिया है। सही है, सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं, जोशियाड़ा में भी। जोशियाड़ा तो पुल से जुड़ा ही है, पुल टूट जाएगा तो आवागमन का रास्ता ही बन्द हो जाएगा। यह सब संकट आया। बड़ी–बड़ी बिल्डिंग पूरी तरह ढह गयी, वह तो अभी पूरी तरह खड़ी भी नहीं हो पाएंगी। अगर राहत राशि भी दे दी तब भी उन्हें पुनर्स्थापित करने में वर्षों लग जाएंगे और उस गम से उबरने में वर्षों लग जाएंगे। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, अपने उत्तराखण्ड की जनता को राहत देना उसका दायित्व है। आपदा प्रभावित लोगों के प्रति विशेष संवेदनशील होना भी सरकार का दायित्व है। उनको दवा–दारू, भोजन सही समय पर भेजा गया। जहाँ मार्ग नहीं थे, वहाँ हैलीकॉप्टर के माध्यम से, वायुसेना के माध्यम से उनको पैकेट पहुँचाए गए। आपने जिन सड़कों और पुलों की और ध्यान आकर्षित किया है, निश्चित रूप से उन्हें बनाने की आवश्यकता है। बिना उन सड़कों और पुलों के बने, लोगों को स्थाई रूप से कष्ट होगा। मैं सदन को आश्वस्त करती हूँ कि शीघ्र ही केन्द्र से जो और धन प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वार्ता करके, आश्वासन प्राप्त करके आये हैं, मैं समझती हूँ कि फिर मौसम खराब हो गया है बर्फबारी और बारिश हो रही है जो मौसम विभाग कह रहा है कि अभी बारिश भी होगी और बर्फबारी भी होगी। इस मौसम के बाद मैं समझती हूँ कि जब सड़क बनने का माकूल मौसम आएगा तो धीरे–धीरे जो कार्य हो रहे हैं, वह तीव्र गति से होंगे और 5–6 महीने के अन्दर सम्भवतः सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, इसमें हरिद्वार जनपद के गाँवों का तो कोई जिक्र है ही नहीं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, गढ़वाल का सारा पानी लक्सर क्षेत्र में जाता है और वहाँ के बीसियों गाँव इससे आपदाग्रस्त हैं। उनका सर्वे में कोई जिक्र ही नहीं है। (व्यवधान) मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि सारा पानी बह कर हमारे क्षेत्र में जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मदन कौशिक और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012

परिवहन मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में मोटरयानों पर कर व किराये के लिए यात्रियों तथा माल के परिवहन में लगे हुए मोटरयानों में अतिरिक्त कर उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अधीन लिया जाता है। यह अधिनियम दिनाँक 01 अगस्त, 2003 से प्रभावी होने के उपरान्त 9 वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत हो चुकी है। इस अधिनियम में कर की अतिरिक्त दरें अविभाजित उत्तर प्रदेश में वर्ष 1998 में निर्धारित दरें ही हैं। तब से राज्य में आर्थिक व सामाजिक विकास, मूल्य वृद्धि, पड़ोसी राज्यों में मोटर वाहनों के करों की दरों में वृद्धि, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में करों की दरों में एकरूपता बनाए रखने पर जोर देने तथा कर प्रणाली को जन सामान्य के लिए अधिक उपयोगी, सरल एवं तर्कपूर्ण बनाने व राज्य में मोटर वाहनों से लिए जा रहे कर की दरों के निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार में निहित करने हेतु उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 2012 प्रख्यापित किया गया है। उक्त अध्यादेश को अधिनियमित करने हेतु उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम,2003 में संशोधन करने के विषयक उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 के रूप में पुनःस्थापित किया गया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था की जा रही है, मोटरयानों से वर्तमान में लिए जा रहे कर एवं मालयानों व सार्वजनिक सेवायानों से लिए जा रहे अतिरिक्त कर के स्थान पर एक ही कर, मोटर वाहन कर का आरोपण करना है। 2–पर्वतीय मार्गों एवं मैदानी मार्गों पर संचालित मालयानों के लिए अलग–अलग निर्धारित दरें व्यवस्था के स्थान पर एक समान दर कर की व्यवस्था करना है। 3–विक्रम सहित तिपहिया आटो रिक्शा वाहनों से एवं तीन हजार किलोग्राम वाले मालयान वाहनों के लिए एक बार देय कर की स्वैच्छिक व्यवस्था करना है। 4–उत्तराखण्ड परिवहन निगम और निजी संचालकों की मंझली गाड़ियों के लिए एक समान दर की व्यवस्था करना है। जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन की अपेक्षानुसार शहरी परिवहन ढांचा विकसित करने एवं पर्यावरण नियंत्रण हेतु मोटर यानों पर ग्रीन सैस लगाया जाना,

जिससे कि राज्य शहरी परिवहन निधि की स्थापना करना है। राज्य में स्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर संचालित मोटरयानों के लिए कर की सुस्पष्ट व्यवस्था करना। डीलर के कब्जे में बिक्री हेतु रखे गये मोटरयानों पर कर लगाया जाना, राज्यों में सड़कों की वर्तमान स्थिति को देखते हुये, उनके वर्गीकरण की व्यवस्था को समाप्त करना। अधिनियम में दी गयी अनुसूचियों को हटाकर दरें निर्धारित करते हुए अधिसूचित करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित करना। किसी सार्वजनिक सेवायान से पूर्व लिए जा रहे अतिरिक्त कर पाँच प्रतिशत धनराशि के स्थान पर अब मोटर वाहन कर का दो प्रतिशत के बराबर राहत निधि में जमा करने की व्यवस्था करना। यदि कर भुगतान समय पर नहीं किया जाता है पूर्व में कर का 25 प्रतिशत के स्थान पर देय कर के बराबर मासिक देय होगा। राज्यों से आने वाले वाहनों, यदि बिना कर के भुगतान किये राज्य में संचालित पाये जायें, तो उन पर पूर्व में दो गुना कर के स्थान पर पाँच गुना कर की व्यवस्था करना। संचरण की अवस्था में कोई मोटरयान यदि मार्ग पर चलता हुआ पाया जाता है, तो उसे देय कर के पाँच गुना कर की बराबर देय होगी। स्टेज कैरिज वाहनों के चालन के लिए लॉग बुक अनिवार्य की गयी है। ताकि उसके वास्तविक संचालन की जांच की जा सके। धारा–4 के अधीन अधिरोपित कर के आदेश से व्यक्ति की अपील की व्यवस्था की गयी है। राजस्व बकाया होने पर वाहन स्वामी को नोटिस जारी करने की व्यवस्था की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि पिछले 14 वर्षों से विभिन्न–विभिन्न सरकारें आई हैं, लेकिन इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है और ये राज्य तथा जनता के हित में किया गया है।

*श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जितनी भी बातें सदन के सामने लायी गई, उन्होंने कहा कि यह जनोपयोगी बनाया जा रहा है। लेकिन इसके जरिये जनता पर अतिरिक्त भार डालने का प्रयास किया जा रहा है, ऑटोरिक्शा का टैक्स जो पूर्व में1480 रूपये थे, उसे बढ़ाकर 3000 रूपये कर दिया गया है। विक्रम जो कि पूरे प्रदेश के अन्दर सबसे सस्ती सेवा है, उसका टैक्स 2900 से बढ़ाकर 13200 रूपये कर दिया गया है। इसी प्रकार से बस का टैक्स 22,266 रूपये था, उसे बढ़ाकर 37,800 रूपये कर दिया गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसे ही 30 सीटर का 32,292 रूपये था, उसे बढ़ाकर 57,380 रूपये कर दिया गया है। इसी प्रकार से मैक्सी कैब और टाटा मैजिक का टैक्स पहले 12,000 रूपये था, जिसे अब 15,400 कर दिया गया है। टैक्सी का टैक्स 4820 रूपये से बढ़ाकर 8800 रूपये कर दिया गया है।

मान्यवर, जो व्यावसायिक वाहन 60 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उन पर 400 रूपये ग्रीन टैक्स अतिरिक्त से लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात अगर आर0टी0ओ0 कार्यालय में कोई भी काम कराने जाते हैं, चाहे फिटनेस कराने के लिए जाएं या ट्रांसफर कराने के लिए जाएं तो ग्रीन टैक्स लगाने का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है। ग्रीन टैक्स लगाया गया है। इसी प्रकार जो गाड़ी सरेन्डर करते थे, उसकी फीस 10 रूपये होती थी, उसको बढ़ाकर 400 रूपये कर दिया गया है। इसी प्रकार वाहनों की जो आयु सीमा है, उसको भी अलग-अलग तरीके से किया गया है और इसी प्रकार उत्तराखण्ड के व्यावसायिक चालकों पर टैक्स चालू किया गया है उसकी फीस 750 रूपये कर दी गयी है। ऐसा जनविरोधी विधेयक माननीय मंत्री जी ने यहां पर प्रस्तुत किया है, मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय गणेश जोशी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देता हूँ। केवल 2–3 चीजें मैं माननीय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो उत्तराखण्ड राज्य है, सामान्यतः यहां पर बहुत अधिक मात्रा में जो विशेष अवसर यानि जिनको धारा–4 में इन्होंने खास तौर पर उल्लिखित किया है कि मेले और धार्मिक समागमों पर जो बसें या वाहन जाते हैं आपने कहा कि अब के बाद उनके जो स्थाई परमिट होंगे, उन पर भी एक टैक्स बढ़ाकर रखा जायेगा। उत्तराखण्ड राज्य में मान लिया 02 किलोमीटर दूरी पर मेले हैं, उन पर आप परमिट स्थाई रूप से जारी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी यदि टैक्स इस रूप में बढ़ाया जायेगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आक्रोश का कारण बनेगा और आज वर्तमान में जो माननीय जोशी जी ने कहा, निश्चित रूप से कार्य स्थगन के रूप में भी हम लोग लेकर आये हैं इसमें यह नया जो विनियम लेकर आये हैं इसके अनुरूप पूरे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बना है कि सरकार को यह विचार करना चाहिए कि हम उनसे ले लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली यह प्रदेश की जनता पर जाने वाला है। उनका क्या जायेगा, वो तो रेट बढ़ जायेंगे। जब बढ़ जायेंगे तो जाना तो जनता की जेब से है। आपने व्यवस्था कर ली बढ़ाने की, ठीक है, आपने इस व्यवस्था को ले लिया, पास भी हो गया, लेकिन बढ़ाने की जो आपकी गति है, उसको थोड़ा हल्का किया जाय। आप सौ परसेंट की जगह उसको 20–20 परसेंट करके पूरी नीति तैयार करें

तो मैं समझता हूँ कि इसका एक औचित्य भी नजर आयेगा और लगेगा कि ये होने वाला है। इसलिए मैं प्रवर समिति पर बल देता हूँ कि इस पर एक बार और विचार कर लिया जाए। क्योंकि यह निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। टैक्स आयेगा, ठीक है खजाने में जायेगा, लेकिन आयेगा तो जनता से ही, कहीं और से थोड़े न आयेगा।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, जो संशोधन प्रस्ताव माननीय गणेश जोशी जी ने रखा है और जो सुझाव माननीय मदन कौशिक जी ने दिये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। मान्यवर, आप इससे सहमत होंगे कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम किस प्रकार से जो सार्वजनिक वाहन हैं, जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है, उसे किस प्रकार से हम सुदृढ़ करें और जो निजी वाहन हैं, उन्हें हतोत्साहित करें। जिससे कि अधिक से अधिक लोग सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकें और निजी वाहनों की जो दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है वो एक ओर जो हमारे पेट्रोल और डीजल हैं, उनकी खपत बढ़ रही है और जो पैसा हम पेट्रोल और डीजल को इम्पोर्ट करने में खर्च करते हैं, उसकी भी बचत की आवश्यकता है। मान्यवर, साथ ही साथ जो प्रदूषण वाहनों से होता है, उस प्रदूषण पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है उसे सुदृढ़ करने के लिए हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में लगे हुए हैं। दूसरी ओर सरकार चाहे जिसकी भी हो, चाहे किसी की भी हो वह सभी को रोजगार नहीं दे सकती है, सभी को नौकरी नहीं दे सकती है। परन्तु वह उसके रोजगार की सुरक्षा कर सकती है और उनको रोजगार देने में मदद कर सकती है। जो लोग सार्वजनिक वाहन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, आज आवश्यकता इस बात की है हम उन्हें किस प्रकार से प्रोत्साहित करें कि वह इस व्यवस्था से जुड़े रहें और आज महंगाई के जमाने में किस प्रकार से उनके परिवार का पालन पोषण हो सके, सरकार को इस बात की चिन्ता करनी चाहिए। परन्तु ऐसा न होते हुए जिस प्रकार से यह विधेयक लाया गया, यह संशोधन लाया गया, उसमें जो व्यवस्था की गई है निश्चित रूप से जो विक्रम चालक हैं, जो आटो रिक्शा चालक हैं जो निजी बसों में अपना व्यवसाय चला रहे हैं वह मात्र हतोत्साहित ही न होंगे बल्कि उन्हें अपना रोजगार भी छोड़ना पड़ेगा, यह सरकार इसके लिए उन्हें विवश कर रही है, निश्चित रूप से यह न जनता के हित में है न ही व्यवस्था के हित में है। जिस प्रकार से विक्रम वाहन पर 2900 रूपये, जो साल का टैक्स था उसे बढ़ा कर 13200 कर दिया गया, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह आटो रिक्शा का पूर्व में 1460 रूपये था उसे बढ़ा कर 3000 रूपये कर दिया गया। इसी प्रकार से 24 सीटर बस का टैक्स 22266 रूपये था उसे बढ़ाकर 37800 रूपये कर दिया गया है, 30 सीटर बस का पूर्व में टैक्स 32292 रूपये था उसे बढ़ाकर 57360 रूपये कर दिया गया। इस प्रकार से जो वाहन सार्वजनिक

व्यवस्था से जुड़े हुए हैं मात्र डीजल और पेट्रोल की बचत ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि निजी वाहनों की संख्या में भी कमी करते हुए प्रदूषण में भी कमी कर रहे है। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करती है तो निश्चित रूप से जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर भी इसमें अंकुश लगेगा। हम विदेशों से जो डीजल और पेट्रोल इम्पोर्ट करते हैं, इससे उसमें भी बचत होगी। जहाँ सरकार कह रही है कि इतने सालों से टैक्स में वृद्धि नहीं हुई है, यह हम मान लेते हैं। परन्तु वाहनों की संख्या बढ़ी है उसमें जो टैक्स प्रदेश को प्राप्त हो रहा है उसमें निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि जो पैसा सरकार वसूल करती है उसका प्रबन्धन किस प्रकार से करें, उसके लिकेज पर रोक लगाये, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर सकेंगे। मान्यवर, मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो कर वृद्धि का प्रस्ताव इस संशोधन के माध्यम से लाया जा रहा है उसे वापस लिया जाय। यह जनता के हित में नहीं है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी भाई गणेश जोशी जी द्वारा प्रवर समिति को उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2012 को सौंपने का जो विषय रखा है, मैं उस पर बल देते हुए अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, परसों 11 तारीख से मैंने इस विषय को नियम–58 के तहत उठाया था। यह बिल्कुल स्पष्ट है स्वयं माननीय मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया है कि वर्ष 2003 के बाद वर्ष 2012 में यह कर वृद्धि का प्राविधान यह सरकार करने जा रही है। मान्यवर, कर वृद्धि तो समझ में आती है लेकिन वह भी इतनी ज्यादा समझ में नहीं आता है। जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, चाहे वह बस व्यवसायी हों, विक्रम व्यवसायी हों या अन्य प्रकार के वाहन के व्यवसायी हों। मान्यवर, शुरू से ये लोग इस व्यवसाय में लगे हुए थे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा प्रदेश पर्यटन प्रदेश है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपनी बात को संक्षेप में बोलें।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैं संक्षेप में ही बोलूँगा। इस परिवहन व्यवसाय से बहुत सारे लोग चाहे पूर्व सैनिक हों, चाहे वह किसी शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त लोग हों या अन्य लोग हों। वह इस व्यवसाय से सीधे–सीधे जुड़े हुए हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर प्रत्येक व्यवसायिक वाहनों की आयु सीमा भी आर0टी0ओ0 द्वारा अलग–अलग रूप से निर्धारित की गई है। जैसे विक्रम की 7 साल, ऑटो रिक्शा डीजल की 10 साल, पैट्रोल गाड़ी की

12 साल, बस की 15 साल, मैक्सी कैब की 15 साल टैक्सी की 15 साल। इस प्रकार से वाहन स्वामी को वाहन की आयु सीमा पूर्ण होने पर, नये वाहन खरीदने के लिए मजबूर करती है। इससे पूरा बोझ उस वाहन स्वामी पर पड़ता है। एक तरफ से वह कर वृद्धि की मार झेल रहा है, उससे पहले इंश्योरेंस भी है, डीजल की बढ़ी वृद्धि को झेल रहे हैं। इस प्रकार से लगता है कि सरकार इन व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों को, निश्चित रूप से बेरोजगार करना चाहती है। लोग इस व्यवसाय को छोड़ने के लिए मजबूर हो जायेंगे। मान्यवर, पूरे प्रदेश के अन्दर उन लोगों ने इसी माह की 11 तारीख को एक सांकेतिक हड़ताल की थी, उससे पूरे प्रदेश की जनता को बहुत परेशानी हुई और लोग मारे–मारे फिरते रहे, लोग अपने गन्तव्य स्थान तक नहीं जा पाये, छात्र–छात्रायें अपने गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाये, सरकारी कर्मचारी अपने काम पर नहीं जा पाये। मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही स्थिति रही और यदि सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन सरकार के माध्यम से इन लोगों को बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि उत्तराखण्ड में जो रिफ्रेशर कोर्स व्यवसायिक चालकों पर दो तीन दिन का लागू कर दिया है, इसके साथ–साथ उनसे 750 रूपये की फीस ली जा रही है। इस प्रकार का जो यह दोहरा मापदण्ड है, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि सरकार इन वाहन व्यवसाय के व्यवसायिकों को खत्म करना चाहती है, मान्यवर, अन्त में, मैं आपका धन्यवाद करते हुए मेरी सरकार से मांग करता हैं कि इस कार्य को जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी माना है। यहां पर सड़कें ठीक–ठाक नहीं हैं और जैसे लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कम कर लगाकर इन व्यवसायों के साथ न्याय करें। मान्यवर, मैं इसको प्रवर समिति में सौंपने की मांग करता हूँ। धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, माननीय मदन कौशिक जी, माननीय गणेश जोशी जी, माननीय प्रेमचन्द अग्रवाल जी एवं माननीय हरबन्स कपूर जी ने जो प्रवर समिति को सौंपने का अपना प्रस्ताव रखा है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। सरकार ने बजट सत्र में यह कहा था कि हम शून्य कर का बजट दे रहे हैं और कोई नया कर नहीं लगायेंगे और तीन चार महीने के बाद फिर नया बजट सत्र आने वाला है। सरकार ने बहुत चतुराई से, उधर कर नहीं लगाया और इधर आगे कर नहीं लगायेगी। लेकिन ठीक मध्य में आज संशोधन के माध्यम से कर लगाकर पूरे प्रदेश की जनता को परेशान कर दिया है।

मान्यवर, मजबूर कर दिया है कि वह पहले से चली आ रही महंगाई की मार में और अधिक जलने के लिए, झुलसने के लिए तैयार रहें, आज जितने भी ऐसे एक्ट आ रहे हैं, तो सारे एक्ट में कर बढ़ाये गये हैं। यह सरकार कहती है कि हम जीरो कर का बजट दे रहे हैं यह पहली बार भी कहा और आगे भी कहेगी, लेकिन अब हर चीज में कर लग रहे हैं और अभी हमारे माननीय सदस्य दूसरी बात में आयेंगे, राजस्व में कर

है, क्या होने वाला है वह भी हम बतायेंगे कि कितने खतरनाक एक्ट और संशोधन आज यहाँ पर लाये जा रहे हैं, इसलिए यह मामले ऐसे हैं कि प्रवर समिति को जाने चाहिए, यह प्रवर समिति को जाने लायक मामलें हैं। पूरे प्रदेश के जितने भी मोटर वाहन मालिक हैं और इस व्यवसाय से जुड़े हुये जो लोग हैं उन सब लोगों ने 4 दिन पहले पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया था, प्रदेश को बन्द किया था। मान्यवर, कोई ऐसे ही नहीं करता है जिसकी कीमत एक हजार रखी थी उसको आपने तेरह हजार तक बढ़ा दिया है, मूल्य वृद्धि करने की भी एक सीमा होती है आप सौ रूपयें बढ़ाये, बीस रूपये बढ़ायें, पाँच रूपये बढ़ायें कोई कुछ नहीं कहेगा, आपने 13 हजार, 5 हजार, 6 हजार की वृद्धि की है जो प्रदेश के हित में नहीं है, प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस पूरे संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, समिति एक महीने में अपना उत्तर दे देगी, इसके प्रोवीजन जो बहुत ज्यादा हार्ड हो गये हैं यहाँ की जनता को इतना ज्यादा टैक्स पे करना बहुत कठिन है उसको सरल कर लिया जाए और पहले तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप सीधे–सीधे इसको वापस करने का निर्देश दे दें अगर प्रवर समिति को नहीं देना चाहते हैं, मैं श्री गणेश जोशी जी के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, दिनाँक 11–12–2012 को संयुक्त परिवहन महासंघ उत्तराखण्ड के पदाधिकारियों द्वारा माननीय परिवहन मंत्री जी से वार्ता की गयी और उनके द्वारा यह मांग की गई कि ऑटो रिक्शा वाहन स्वामी अल्प आय वर्ग से सम्बन्धित हैं, अतः उनके लिए कर भुगतान करने की अवधि वार्षिक के स्थान पर पूर्व की भांति त्रैमासिक भी रखी जाए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या इसमें चर्चा स्वीकार हुई है?

श्री अध्यक्ष–

जी नहीं ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप माननीय मंत्री जी का, सरकार का पक्ष रख रहे हैं मान्यवर, प्रवर समिति पर बल दे रहे हैं ?

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, मैं सुझाव दे रहा हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को जानकारी देना चाहता हूँ और अपने प्रस्ताव में दिया भी है, हमारे माननीय विधायक साथियों ने, पक्ष के साथियों ने अपनी बात रखी, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सन् 1998 के बाद 14 साल बीत जाने के बाद उत्तराखण्ड का गठन होने के उपरान्त आज तक कर नहीं बढ़ाया गया और माननीय श्री 'कपूर साहब, आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल आपकी सरकार रही है और आपकी सरकार में 2 बार किराया बढ़ा है, यात्रियों पर भार आपकी सरकार ने डाला है। (घोर व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाय। (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं वही बता रहा था, माननीय कौशिक जी थोड़ा उत्तेजित हो जाते हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 14 सालों, 1998 से कोई कर नहीं बढ़ा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के समय दो बार किराया बढ़ाया गया, जनता पर किराया बढ़ाकर भार डाला गया।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बतायें कि क्या आप किराया वापस ले रहे हैं। आप बार–बार भारतीय जनता पार्टी सरकार का नाम क्यों ले रहे हैं आप सरकार के मंत्री हैं और सरकार की बात रखें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, पिछली सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले पाँच साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कार्य नहीं किया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी को बोलने दें। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)

मान्यवर, जब माननीय नेता प्रतिपक्ष मदन कौशिक जी ने या अन्य माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे, उन्होंने इस पर जो आपत्तियां या सुझाव दिये, या कष्ट प्रकट किये गये, उसे सरकार की तरफ से गम्भीरता पूर्वक सुना गया। मान्यवर, जब सरकार की तरफ से उत्तर आ रहा है कि किसी वृद्धि के क्या कारण हैं तो मेरा ख्याल है कि इतना उत्तेजित होना ठीक नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना

मान्यवर, बार–बार भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जा रहा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष

माननीय जीना जी, कृपया बैठ जाईये। आप लोग बोल चुके हैं, अब माननीय मंत्री जी को बोलने दें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित सदस्यों ने एक बात यह भी रखी कि विक्रम पर 2900 रू0 से कर बढ़ाकर 13200 कर दिया गया। इस सम्बन्ध में मैं माननीय साथियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि उन्होंने यह संशोधन विधेयक सही नहीं पढ़ा है तो दुबारा पढ़ने का कष्ट करें। विक्रम पर हमने 13200 नहीं रखा है, यह मात्र 6000 रखा है। मान्यवर, अभी यह बात भी हमारे सदस्यों की ओर से कही गयी थी कि 2900 से 3200 कर दिया गया हैं। मान्यवर, इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई एकमुश्त कर जमा करेंगे तो 8 प्रतिशत की छूट सरकार देगी। मान्यवर, अभी हमारे एक विधायक साथी ने कहा कि रिफ्रेसर कोर्स सरकार द्वारा कराया जा रहा है, सरकारी ड्राईवरों को पैसों में छूट दी जा रही है। मान्यवर, इसमें भारत सरकार भी चिंतित हैं। (व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, कौन से कोर्स की बात कर रह है, एक बार दुबारा दोहरा दें। इसकी बात मैंने की थी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने बोला मैं उसी कोर्स की बात कर रहा हूँ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें। माननीय अग्रवाल जी, बैठ जाईये।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जिस कोर्स की बात आपने कही, उसी का उत्तर मैं दे रहा हूँ। यह उत्तराखण्ड अतिसंवेदनशील प्रदेश है। मान्यवर, यहाँ पर दुर्घटना अधिक होती हैं, इस पर भारत सरकार ने भी चिन्ता व्यक्त की है और हमें वहाँ पर बुलाकर कहा कि इस प्रकार की कोई योजना लागू की जाय जिससे कि आपके जो ड्राईवर हैं, उन्हें रिफ्रेशर कोर्स के द्वारा ट्रेनिंग देकर उनमें सुधार किया जाय। हमने वह कोर्स लागू किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में माननीय सुबोध उनियाल जी ने एक सुझाव दिया है, उस सुझाव को इसमें सम्मिलित करते हुए उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 की उप धारा 1 (क) की छटी पंक्ति में शब्द "वार्षिक" के स्थान पर शब्द "त्रिमासिक अथवा वार्षिक" रखा जाय, के साथ इसे पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–25 तक, खण्ड–1 एवं (क), प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012

[उत्तराखण्ड विधेयक स0 वर्ष 2012]

(भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह वर्ष 2012 के दिसम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत होगा।

धारा–2 का संशोधन

2. उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003, जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–2 में

(1) खण्ड (क) निकाल दिया जायेगा।

(2) खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्–

" (ञ) "तिमाही" से किसी कैलेन्डर मास के प्रथम दिवस को प्रारम्भ होने वाले तीन कैलेन्डर मास की अवधि अभिप्रेत है;

(3) खण्ड (ठ) में शब्द "कर" के स्थान पर शब्द "मोटर वाहन कर" रख दिये जायेंगे।

(4) खण्ड (ठ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

(ठ–1) "विशेष कर" से धारा–4 क के अधीन अधिरोपित कर अभिप्रेत है;

(ठ–2) "उपकर" से धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन अधिरोपित ग्रीन उपकर अभिप्रेत है;

(ठ–3) ''स्कूल कैब' से किसी विद्यालय या कॉलेज के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उसके मान्यता प्राप्त अभिभावक शिक्षण संघ के नियंत्रणाधीन ऐसा मोटर कैब/मैक्सी कैब अभिप्रेत है, जिसका उपयोग विद्यार्थियों को विद्यालय/कॉलेज लाने–ले जाने के लिए होता है।

(5) खण्ड (ढ) निकाल दिया जायेगा।

3. मूल अधिनियम की धारा–4 में,– धारा–4 का संशोधन

(1) उपधारा (1) में–

(क) शब्द "जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट है" के स्थान पर शब्द "जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय" रख दिये जायेंगे।

(ख) द्वितीय परन्तुक में शब्द "जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ग" में विनिर्दिष्ट की जाय" रख दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

"(1–क) इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली में अन्यथा के सिवाय किसी दुपहिया, तीन पहिया मोटर कैब और 3000 किलोग्राम से अधिक भार वाले माल वाहन का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, वार्षिक कर का भुगतान न कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में वार्षिक कर के एवज में एक बार देय कर की ऐसी धनराशि जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, का भुगतान किया जा सकेगा।"

(3) उपधारा (2) व (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात–

"(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उपधारा (1–क) में विनिर्दिष्ट वाहनों से भिन्न किसी मालवाहन, निर्माण उपस्कर यानों, विशेष रूप से डिजायन किये गये यान, मोटर कैब (दुपहिया, तीन पहिया मोटर कैब से भिन्न), और मैक्सी कैब का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में

अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय उस वाहन के सम्बन्ध में तिमाही कर का भुगतान न कर दिया गया हो

परन्तु, यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में तिमाही कर के बजाय, ऐसी दर पर वार्षिक कर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।"

(4) उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी; अर्थात–

"(2–क) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (1–क) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट यानों से भिन्न किसी सार्वजनिक सेवा यान का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, मासिक कर का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान न कर दिया जाय, भुगतान न कर दिया गया हो:

परन्तु यह कि उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में मासिक कर के बजाय तिमाही या वार्षिक कर की ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, भुगतान किया जा सकेगा।

(2–ख) जहाँ सड़क द्वारा ले जाने वाले माल के कराधान से सम्बन्धित कोई पारस्परिक करार उत्तराखण्ड सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहाँ उपधारा (1–क) या उपधारा (2) के अधीन कर का उदग्रहण उक्त उपधाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे करार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार होगा:

परन्तु यह कि इस प्रकार उदग्रहित कर उस कर से अधिक नहीं होगा, जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उदग्रहित होता।"

(5) उपधारा (4) को निकाल दिया जायेगा।

(6) उपधारा (2–ख) के पश्चात निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी; अर्थात्–

"(3) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उत्तराखण्ड राज्य में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहनों का संचालन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक उनके सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, कर का भुगतान न कर दिया गया हो।

(4) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य में "डीलर" के कब्जे में विक्रय के प्रयोजनार्थ रखे गये वाहनों पर ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, कर का भुगतान देय होगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन देय कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के विविध उपाय लागू करने, शहरी परिवहन क्षेत्र में सुधार करने के लिए राज्य में सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त वाहनों पर ग्रीन सेस के नाम से उपकर की ऐसी दर पर, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, अधिरोपित एवं एकत्र किया जायेगा।"

4. मूल अधिनियम की धारा–4 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी; अर्थात्– धारा–4 क का बढ़ाया जाना

4–क. कतिपय यानों के सम्बन्ध में विशेष कर का उदग्रहण — इस अधिनियम द्वारा या तदधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विशेष अवसरों यथा मेला और धार्मिक समागमों पर यात्रियों की सवारी के लिए या बारातों, पर्यटक समूहों, या ऐसे अन्य आरक्षित समूहों, जिन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय, को ले जाने के लिए जारी अस्थाई परमिट द्वारा आच्छादित किसी सार्वजनिक सेवा यान का उत्तराखण्ड में प्रचालन धारा–4 के अधीन कर के साथ–साथ तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दर पर, तत्सम्बन्ध में विशेष कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

धारा–5 का निकाला जाना

5. मूल अधिनियम की धारा–5 निकाल दी जायेगी।

धारा–6 का निकाला जाना

6. मूल अधिनियम की धारा–6 निकाल दी जायेगी।

धारा–7 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा–7 निकाल दी जायेगी।

धारा–8 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा–8 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

"(1) किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार "उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" ज्ञात नाम से एक निधि स्थापित करेगी तथा धारा–4 की उपधारा (1), (1–क), (2), (2–क) एवं (2–ख) के अधीन उदग्रहीत कर के दो प्रतिशत के समतुल्य धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।"

धारा–8क का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा–8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी; अर्थात–

"8–क, राज्य शहरी परिवहन निधि

(1) शहरी क्षेत्र में परिवहन का ढांचागत विकास, सड़क सुरक्षा एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये राज्य सरकार राज्य स्तरीय शहरी परिवहन निधि स्थापित करेगी। धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन उदग्रहीत उपकर धनराशि उक्त निधि से जमा की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रकाशन और उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।"

धारा–9 में संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 9 में–

(1) उपधारा (1) में–

(क) खण्ड (दो) और (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात–

"(दो) धारा–4 की उपधारा (1–क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक वर्ष के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात अगले अनुवर्ती प्रत्येक वर्ष के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा;

(तीन) धारा–4 की उपधारा (2) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक त्रैमास के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात अगले अनुवर्ती प्रत्येक त्रैमास के प्रथम कैलेण्डर माह की पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा।"

(ख) खण्ड (चार) में–

(एक) उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात–

(क) धारा–4 की उपधारा (2–क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक कैलेण्डर माह के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात अगले अनुवर्ती प्रत्येक कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उससे पूर्व संदेय होगा;"

(दो) उपखण्ड (ख) में शब्द और अंक "धारा–6 के अधीन संदेय अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा–4क के अधीन देय विशेष कर" रख दिये जायेंगे–

(ग) खण्ड (चार) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड (पाँच) बढ़ा दिया जायेगा; अर्थात्–

"(पाँच) (क) धारा–4 की उपधारा (3) के अधीन संदेय कर मोटरयान के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के समय 30 दिन के लिये अग्रिम में देय होगा;

(ख) धारा–4 की उपधारा (4) के अधीन संदेय कर प्रत्येक वर्ष जनवरी के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम में देय होगा;

(ग) धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन संदेय उपकर यथा स्थिति यान के रजिस्ट्रीकरण के समय् यान के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के समय या यान के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय देय होगा।"

(2) उपधारा (3) में शब्द "देय धनराशि के 25 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जैसी विहित की जाय" के स्थान पर शब्द "देय धनराशि से अनधिक" रख दिये जायेंगे।

धारा–10 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 10 में–

(1) उपधारा (1) में–

(क) खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्–

"(एक) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तराखण्ड के बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन कोई परिवहन यान उत्तराखण्ड में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा–4 के अधीन उत्तराखण्ड में उसके उपयोग व ठहरने के लिए कर का भुगतान न कर दिया गया हो;"

(ख) खण्ड (ग) में शब्द "धारा–6 के अधीन अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "धारा–4 के अधीन कर" रख दिये जायेंगे और शब्द "चतुर्थ अनुसूची के प्रस्तर–2 के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे।

(ग) खण्ड (ग) का परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

(2) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी;

(3) उपधारा (3) में शब्द "देय कर व अतिरिक्त कर के साथ इनकी राशि के दो गुना के बराबर" के स्थान पर शब्द "देय कर के पाँच गुने के बराबर" रख दिये जायेंगे;

(4) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी;

(5) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात—

"(5) जहाँ किसी परिवहन यान से भिन्न कोई मोटरयान परिवहन यान के रूप में चलता हुआ पाया जाय, उसके लिए ऐसा कर जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, देय होगा।"

12. मूल अधिनियम की धारा–11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्– धारा–11 का संशोधन

"11. प्रथम बार के दायित्व पर देय धनराशि — इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित के सिवाय किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में जब किसी कैलेण्डर मास के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम बार कोई कर देय होता है तो धारा–4 के अधीन देय कर प्रत्येक कैलेण्डर माह या उसके भाग, जिसके सम्बन्ध में कर देय है, के लिए समुचित तिमाही कर का एक तिमाही या समुचित वार्षिक कर का बारहवॉं भाग होगा।"

13. मूल अधिनियम की धारा–12 में– धारा–12 का संशोधन

(1) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द और अंक "धारा 4, 5 व 6 में समान रूप से प्रभावी" निकाल दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) में–

(क) खण्ड "तिमाही कर की दर के एक तिहाई" के स्थान पर शब्द "यथा स्थिति, तिमाही कर के एक तिमाही या वार्षिक कर के बाहरवें भाग" रख दिये जायेंगे;

(ख) वर्तमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेग, अर्थात–

"परन्तु अग्रतर यह है कि जहॉं धारा–4 की उपधारा (1–क) के अधीन किसी मोटरयान के लिए एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है वहॉं ऐसे यान के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के लिए 0.008 भाग के समतुल्य धनराशि वापस की जायेगी''

(3) उपधारा (2) में–

(क) शब्द "अतिरिक्त कर" को निकाल दिया जायेगा;

(ख) परन्तुक में शब्द और अंक "कर का देनदा र होगा मानों उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और धारा–9 की उपधारा (3) के अधीन देय शास्ति का भी देनदार होगा", के स्थान पर शब्द" कर का देनदार

होगा मानो उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और कर के पाँच गुना देय शास्ति का भी देनदार होगा" रख दिये जायेंगे;

(4) उपधारा (3) में शब्द " परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान " के स्थान पर शब्द "मोटरयान" रख दिये जायेंगे और शब्द "द्वितीय अनुसूची के भाग 'क' में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसी कर की वापसी का हकदार होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसी कर की वापसी का हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे;

(5) उपधारा (5) में शब्द "द्वितीय अनुसूची के भाग 'ख' में विनिर्दिष्ट के स्थान पर शब्द राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे;

(6) उपधारा (7) को निकाल दिया जायेगा।

(7) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात–

"(9) किसी मोटर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने अथवा वाहन को किसी अधिनियम के अन्तर्गत निरूद्ध किये जाने की दशा में उपयोग न होने पर राज्य सरकार द्वारा यथा विहित सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य के साथ नियत समयावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने पर किसी भी पूर्ण कैलेण्डर माह की अवधि के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन का अप्रयोग स्वीकार किया जा सकेगा तथा सम्यक् जाँचोंपरान्त निम्नलिखित सीमा तक कर का परिहार किया जा सकेगा–

(एक) रू0 5000.00 तक	परिवहन कर अधिकारी–1
(दो) रू0 5000.00 से 15000.00 तक	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(तीन) रू0 15000.00 से 30.000.00 तक	सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(चार) रू0 30000.00 से अधिक राशि हेतु	परिवहन आयुक्त द्वारा नामित उप परिवहन आयुक्त (कर)

परन्तु यह कि राज्य कर्मियों की हड़ताल या ऐसे अन्य अपरिहार्य कारणों, जिससे वाहन स्वामियों की कोई त्रुटि न हो, के कारणों, जिसमें वाहन स्वामी द्वारा नियत समयावधि के भीतर कर जमा न करने पर उसके लिए देय शक्ति का परिहार करने के लिए परिवहन आयुक्त सक्षम होंगे।"

14. मूल अधिनियम की धारा–13 की उपधारा (1) व (2) में आये शब्द "कर" एवं "अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "मोटर वाहन कर" रख दिये जायेंगे। धारा–13 का संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा–14 में आये शब्द "कर" एवं "अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "मोटर वाहन कर" रख दिये जायेंगे धारा–14 का संशोधन

16. मूल अधिनियम की धारा–15 में– धारा–15 का संशोधन

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द "टोकन" के स्थान पर शब्द "प्रमाण पत्र" दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (1) में शब्द "टोकन" के स्थान पर शब्द "प्रमाण पत्र" दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (2) को निकाल दिया जायेगा।

17. मूल अधिनियम की धारा–17 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी; अर्थात्– धारा–17 का संशोधन

"(3) यथास्थिति प्रत्येक मंजिली गाड़ी का संचालक प्रत्येक वाहन के संचालन की लाग बुक रखेगा, जिसमें ऐसी सूचनायें ,जैसी कि विहित की जाय, रखेगा। वाहन स्वामी या चालक अथवा संचालक लाग बुक कराधान अधिकारी को मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।"

18. मूल अधिनियम की धारा–18 में उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 12 के अधीन" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 4 एवं धारा 12 के अधीन" रख दिये जायेंगे। धारा–18 का संशोधन

19. मूल अधिनियम की धारा–19 में आये शब्द "पाँच सौ रूपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रूपये" और शब्द "एक हजार रूपये" के स्थान पर शब्द "पाँच हजार" रख दिये जायेंगे। धारा–19 का संशोधन

धारा–20 का संशोधन

20. मूल अधिनियम की धारा– 20 में–

(1) उपधारा (1) व (2) में आये शब्द "कर" एवं "अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "मोटर वाहन कर" रख दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी; अर्थात्–

"(3) कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और शक्ति के बकायों के लिए यथाशक्ति स्वामी या प्रचालक से यथाविहित प्रपत्र में मांग करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।"

धारा–22 का संशोधन

21. मूल अधिनियम की धारा–22 में–

(1) शब्द "परिवहन यान" जहाँ कहीं आये हों, के स्थान पर शब्द "मोटरयान" रख दिये जायेंगे।

(2) शब्द "कर" एवं "अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "मोटर वाहन कर" रख दिये जायेंगे।

धारा–28 का संशोधन

22. मूल अधिनियम की धारा–28 में–

(1) शब्द "अतिरिक्त कर" को निकाल दिया जायेगा।

(2) उपधारा (2) में खण्ड (ज) को निकाल दिया जायेगा;

सामान्य

23. मूल अधिनियम में प्रयुक्त शब्द "उत्तराँचल" के स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड" रख दिया जायेगा।

अनुसूचियों का निकाला जाना

24. मूल अधिनियम की सभी अनुसूचियाँ निकाल दी जायेंगी।

निरसन और अपवाद

25. (1) उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0–12 वर्ष 2012)

(2) ऐसे निरसन के होते हुऐ भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य कार्यवाही समझी जायेगी, मानो यह सभी सारवान समय पर प्रवृत था।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–25 तक, खण्ड–1 एवं (क), प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम इस विधेयक का विरोध करते हैं, यह जनता के हित में नहीं है, जनविरोधी है इसलिए मैं और मेरे दल के सभी सदस्य सदन से वॉक आऊट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

श्री सुरेन्द्र राकेश –

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में आकर अपने–अपने स्थान पर बैठ गये।)

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में पर्यटन और तीर्थ स्थलों पर प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। गत वर्ष में लगभग 233 लाख पर्यटक और तीर्थयात्री राज्य में आये। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 84 लाख 79 हजार है, इस प्रकार राज्य में आने वाले पर्यटक की संख्या, राज्य की जनसंख्या के तीन गुना के आस–पास है। राज्य में पर्यटक और तीर्थयात्री प्रायः निजी वाहनों तथा व्यवसायिक वाहनों में बैठकर आते हैं, उनसे होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए समुचित अवस्थापना सुविधा जोड़ने के लिए आवश्यक संसाधन जोड़ने के लिए तात्कालिकता को देखते हुए राज्य में बाहर से आने वाले समस्त मोटरयानों पर परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर अधिरोपित करने का विनिश्चय

किया गया है। भारी माल वाहन से 60 रूपये, मध्यम एवं हल्के भार वाहन क्षमता के अनुसार 50 रूपये एवं 40 रूपये, भारी सवारी वाहन पर 60 रूपये और अन्य सवारी वाहनों पर 40 रूपये, ऑटो रिक्शा 30 रूपये और निजी यान पर 30 रूपये लिया जाना है। चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था, यह विधेयक उपरोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मदन कौशिक—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, यह एक ऐसा कानून इस प्रदेश के इतिहास में बनने जा रहा है, जिसे हम काला कानून कह सकते हैं। यह सारा प्रयोग 1991 से पहले हो चुका है और उसके फेल होने के बाद, प्रदेश में लगने वाले कर, नगर पालिकाओं द्वारा जगह–जगह लगने वाले कर को समाप्त किया गया है। मान्यवर, लेकिन इसको इस रूप में लाकर जो लागू किया जा रहा है निश्चित रूप से इस प्रदेश के पर्यटन का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कहीं न कहीं यह एक ऐसा कानून बन जायेगा जिससे आने वाले समय में बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में नहीं जाने वाला है। हम किसी भी राज्य में जाते हैं माननीय अध्यक्ष जी, वहां इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि राज्य में प्रवेश करते ही बैरियर लगा हो कि इस राज्य में प्रवेश करना है तो पहले इतना पैसा जमा करो। हो सकता है कि आज सत्ता पक्ष के हमारे माननीय सदस्यगण इस चीज को निश्चित रूप से समझ रहे होंगे, लेकिन सत्ता में होने के कारण हो सकता है कि विरोध न कर पा रहे हों, लेकिन वास्तव में स्थिति यही है। जो व्यवस्था की गयी है, उसकी स्थिति इतनी खराब है। इन्होंने कहा है कि धारा–4 (1) में कहा है कि राज्य सरकार उस तिथि से, जिसे वह अधिसूचित द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी मार्ग अवस्थापना से गुजरने वाले मोटरयान से जो, धारा–3 के अधीन आरोपित उपकर संग्रह करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नीलामी के द्वारा, निविदा के द्वारा या दोनों में से किसी अन्य तरीके से वित्तीय वर्ष के लिए दे सकते हैं। मान्यवर, टैक्स भी लगाएंगे और फिर उसकी नीलामी करेंगे। होगा क्या, वहां 20–25 लोग खड़े हो जाएंगे, बाहर की गाड़ियां आएंगी उन्हें रोकेंगे, रोकने के बाद कहेंगे लाओ इतने पैसे दो। होंगे 50 रूपये वो मांगेंगे 100 रूपये। कहीं शिकायत करेंगे तो उसकी अगली धारा में दिया हुआ है यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो उनको वो सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले होंगे। यानि जिसको हम ठेका देंगे, जिसको

हम अन्य तरीके से करेंगे, बैरियर भी लगाएंगे, बैरियर के अंदर उस गाड़ी को रोकेंगे और आपने तय किया कि इतने पैसे लेंगे। वो जब ठेका देंगे तो आप जानते हैं कि परिस्थिति क्या बनती है 20–25 लोग खड़े हो जाते हैं और कैसी बदमगीजी करते हैं। यह जो पर्यटन प्रदेश है इसकी स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। यह एक ऐसा टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है सरकार के द्वारा, जिससे आने वाले समय में प्रदेश को बहुत फायदा होने वाला नहीं है। हो सकता है कि जितनी अपेक्षा की हो उतना भी फायदा न हो, लेकिन जो इसका ठेका देंगे, इसकी नीलामी करेंगे, या अन्य प्रकार से करेंगे, फायदा होगा तो उन लोगों का होगा और हर यात्री के साथ बदतमीजी होगी, हर यात्री के साथ, जो आने वाले टूरिज्म होंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार होगा। अगर वो दुर्व्यवहार की शिकायत करने जाएंगे तो उससे पहले वो लोग चले जाएंगे जो वसूली कर रहे हैं कि साहब, ये दे नहीं रहे थे, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और क्या कहा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी कर्मी जो कार्य करेंगे भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के प्रयोजनार्थ लोक सेवक समझे जाएंगे। उनको लोक सेवक का दर्जा भी दे दिया। सारे कितने भी लोग हों, डण्डा लिये, हॉकी लिये खड़े होंगे, वो सब लोकसेवक होंगे। उनको रोक भी नहीं सकते, जो मांगेंगे, देना होगा। अगर कहा कि ज्यादा मांग रहे हैं लिखा हुआ है 30 रूपया और 60 मांग रहे हैं तो कहेंगे कि कुछ नहीं, हमने तो 30 ही मांगे थे आप जबरदस्ती देना नहीं चाहते हैं। इसमें और क्या कहा माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार समझे तो इस अधिनियम में समय–समय पर सरकार गजट में अधिसूचित कर, यहां लाने की जरूरत नहीं है किसी भी मार्ग पर बैरियर स्थापित कर सकती है। यानि एक बार इस कानून में यह अधिकार इन्होंने मांग लिया पहले ही, कि आने वाले समय में दुबारा यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसका जी0ओ0 जारी करें और पूरे प्रदेश में चाहे कहीं भी इसे लागू करें। यह अधिकार आज इस कानून के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे, हो सकता है संख्या बल के आधार पर कर भी लें। इसका आने वाले समय में कितना दुष्प्रभाव इस राज्य में पड़ने वाला है, इसकी कल्पना शायद इनको नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, एक और सबसे खतरनाक क्या है इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु जब आवश्यक हो उपकर निरीक्षक को सहायता प्रदान करना, यह पुलिस अधिकारियों के लिए मेन्डेटरी कर दिया। वो उनको उनके साथ जाना ही पड़ेगा यदि शिकायत करने जा रहे हैं, समस्त पुलिस अधिकारियों के लिए बाध्यकारी होगा, अगर वो दादागिरी भी करेंगे, गुण्डागर्दी भी करेंगे, उनको परेशान भी करेंगे और उनकी शिकायत करेंगे तो पुलिस वालों को इस कानून के अन्तर्गत ये कहा गया कि जो वो कहेगा वसूलने वाला, वो उनके लिए बाध्यकारी होगा और इसके लिए वही शक्तियां होंगी जो उनके पास सामान्य पुलिस कर्तव्यों के निर्वहन में रहती हैं। उनको वो शक्ति भी प्रदान कर दी गयीं। माननीय अध्यक्ष जी, और क्या इसकी धारा–11 के उपधारा–3, यदि कोई इस राज्य में प्रवेश कर रहा है और प्रवेश करने के बाद उसने पैसे वहां पर दिये और देने के बाद

वो राज्य में प्रवेश कर गया। इसमें आगे क्या लिखा है कि उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्तिम प्रवेश के न्यूनतम 72 घंटों तक उपकर की रसीद का टोकन, इसकी समाप्ति के 15 दिनों तक वाहन में रखेगा। माननीय अध्यक्ष जी, वह इस राज्य में प्रवेश कर गया पहले तो बैरियर लगा दिया, आपने उसको आने पर प्रतिबंधित कर दिया, उसका ठेका दे दिया। एक प्रकार से वहां पर गुण्डा टाईप के लोग खड़े हो जायेंगे जो उसको आने नहीं देंगे जब वह इस राज्य में प्रवेश कर जायेगा रसीद ले लेगा, फिर कहा कि वह रसीद आपके पास 15 दिनों तक रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, वह किसी कारण से इधर उधर हो जाती है तो उनको उसका चार गुना इस राज्य के अन्दर देना पड़ेगा। मान्यवर, 15 दिनों में वह कभी भी चैक कर सकते हैं अगर आपसे वह रसीद खो गई तो आपसे उसका चार गुना और वसूलेंगे। मान्यवर, इनको ऐसी सारी शक्ति प्रदान हैं जो इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन किये बिना किसी राज्य को पार करने का प्रयास करेगा और उनसे कहा कि आपको केवल रोका नहीं जायेगा, बैरियर लगाकर, अगर किसी पर टच भी हो गया तो कहा जायेगा कि बड़ा गड़बड़ हो गया है, आपने तो सरकारी कार्य में बाधा डाली है।

मान्यवर, यह स्थिति 1991 से पहले थी, लेकिन इन सारी परेशानियों को देखते हुए उसे समाप्त कर दिया गया था और कहा कि यह ठीक नहीं है। अब पुनः उस स्थिति को लागू किया जाना किसी भी प्रकार से हित में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें इनको कुछ छूट भी दी गई है, छूट क्या दी गई है कि-भारत का राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, भारत संघ की रक्षा सेवायें, राजनयिक, केन्द्र सरकार, मा0 उच्चतम न्यायालय, समस्त उच्च न्यायालय से सम्बधित मोटरयान, विभिन्न प्रदेशों के मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/उप मंत्रीगण, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति/उपसभापति और अन्य के राज्य में पंजीकृत मोटरयान। माननीय अध्यक्ष जी, आप इसको देखिये। मान लिया आज सरकार में अनेक लोग शामिल हैं, अगर उन सबकी गाड़ी कहीं बाहर से है, उनकों इसमें कहीं कोई छूट होने वाली नहीं है, वहां लड़ाई होगी। मान्यवर, यह एक ऐसा कानून राज्य के इतिहास में बनने जा रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पहले इसका जो प्रयोग था वह फेल हो चुका था, वह पूरे देश में फेल हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर दूसरी तरह का है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा काला कानून है यदि यह लागू हो गया तो यह इस प्रदेश के पर्यटन को पूरी तरह तबाह कर देगा। आज क्या होता है कि कई बार अखबार में सूचना आती है कि मसूरी में पर्यटक के साथ बदतमीजी हुई, यह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट होता है। अब तो आये दिन हर बैरियर पर, प्रदेश की हर सीमा पर बदतमीजी शुरू हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही काला कानून है यदि विधान सभा में पास होता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी इस प्रदेश के लिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इसमें कुछ संशोधन हो सकता है, वह क्या हो सकता है तो मेरा अनुरोध है कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, इस प्रदेश की जनता आपका संरक्षण चाहती है। जो यह सारे काले कारनामे हैं उनका टेण्डर श्री सुरेन्द्र राकेश जी को दिया गया है, इस प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने का(हंसी)। मान्यवर, लोग सड़कों पर रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। अभी मेरे रिश्तेदार पहाड़ में घूमने के लिए गये थे। वहां पर टैक्सी भी नहीं चल पा रही थी। (व्यवधान) मान्यवर, अन्य प्रदेश से यात्री यहां पर आया करेंगे और फिर उनको इस टैक्स के कारण पीटा करेंगे और यह प्रदेश बाद में बदनाम होगा । मान्यवर, क्या फायदा इस काले कानून बनाने का, और भी तो यहां पर मंत्रालय हैं क्या सारा टेण्डर माननीय सुरेन्द्र राकेश जी को ही दे दिया गया है? (हंसी) मैं सुबह से यह देख रहा हूँ कि यहां पर सारे काले कानून बन रहे हैं। (घोर व्यवधान के मध्य)

* श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूँ इस उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। अभी जैसे माननीय मदन कौशिक जी ने कहा कि इसमें काले अध्याय जोड़ने जा रहे हैं, इससे अधिक शायद कोई और शब्द होता तो मैं उसको कहता। (हंसी) (व्यवधान) वह शब्द नहीं बन रहा है और मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि कोई बड़ा शब्द बने। मान्यवर, इससे बड़ा काला कानून नहीं हो सकता है। मैं और हमारे पूर्व मंत्री जो आज हमारे बीच में नहीं हैं स्व0 श्री नारायण राम दास जी, हम दिल्ली से आ रहे थे। मान्यवर, एक चुंगी पर, चूंकि हम उस समय मंत्री थे। हमारे मन में था कि हम लोगों को कौन रोकेगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग बैरियर पार करके थोड़ा आगे बढ़ गये, देखा तो 18–20 लोग वहां पर डण्डा लेकर खड़े हुए थे। मान्यवर, क्या हुआ कहने तक उन लोगों ने गाड़ी में डण्डा मारा और शीशा तोड़ दिया। यह अलग विषय है कि जिलाधिकारी और एस0एस0पी0 आये और उन्होंने शीशे के रूपये दिलवाये तो इस तरह का बबाल वहां पर हुआ। मान्यवर, ठीक ऐसा कानून, मुझे यह देखने के बाद लग रहा है। मुझे इस पर कुछ खुशबू भी देखने को आ रही है कि कुछ लोगों को ठेके देने की नीयत से यह काला कानून सरकार ला रही है। (व्यवधान) पहले कुछ बैरियरों पर हम लोग देखते थे। लेकिन वह व्यवस्था अब खत्म हो गयी है। आप लोगों ने पहाड़ में जाने पर देखा होगा जैसे कैंची पर या अन्य सड़कों पर बैरियर लगाये जाते थे तो वहां पर आठ दस लोग बैठे रहते थे और दिन भर वसूली का कार्य करते थे। यदि पूछा जाता था तो कहते थे कि अमुक नेता जी का है या दादा साहब का है तो ठेके ऐसे ही हुआ करते थे वे लोग राजनैतिक लोगों से जुड़े होते थे या दादाओं से जुड़े हुए रहते थे। ठीक ऐसा अनुभव मुझे इन कागजों को देखने के बाद मिला है, कुछ ऐसे लोगों को फायदा दिलाने के उद्देश्य से माननीय मंत्री जी, काले कानून को पुनः ला रहे हैं। इसमें पुलिस को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ताकत दी गयी है और उनको अनिवार्य रूप से कहा गया है कि आप इनकी रक्षा करेंगे। मान्यवर, यह कहां का कानून है और कहां की अनिवार्यता है। मेरा यह कहना है कि यह बिल्कुल सोची समझी योजना के तहत हो रहा है। इसमें ऐसी कोई कानून को लाने की आवश्यकता नहीं हैं। हम सबको पता है कि हमारा प्रदेश एक पर्यटक प्रदेश है या देवभूमि प्रदेश है, यहां पर तीर्थ यात्री आता है। वह पर्यटक घूमने की दृष्टि से आता हैं। मान्यवर, आज के दिन तक तो कभी-कभी कह देता था कि परेशान है, वह किन कारणों से परेशान है जैसे रास्ते में बर्फ गिर गयी या रास्ते टूट गये या गाड़ी खराब मिल गयी। मान्यवर, यदि चुंगी से उस पर्यटक को दस स्थान पर रोककर परेशान किया जायेगा और उससे वसूली की जायेगी तो वह हमारे प्रदेश की क्या छवि लेकर जायेगा। मान्यवर, जब वह पूरे प्रदेश के अन्दर घूमकर अपने घर को वापस लौटेगा तो वह हमारे प्रदेश के बारे में क्या कहेगा? क्या माननीय मंत्री जी ने ऐसा कभी सोचा? मान्यवर, बिना सोचे-समझे अधिकारियों ने कहा और आपने लगा दिया, परिवहन विभाग को मैंने भी देखा है। आज भी मैं कह सकता हूँ कि परिवहन विभाग के हमारे समय की चीजों को देखें तो आपको लगेगा कि सुधार हुआ, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और इस पर विचार-विमर्श करके पुनः इसको एक बार फिर लाया जाय, इतनी जल्दबाजी में लाने लायक कानून नियम यह नहीं है, यह केवल काला कानून है। जनता पर थोपा जाने वाला टैक्स है और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ठेकेदारी करने के उद्देश्य से, ठेका देने के उद्देश्य से यह सरकार इस काले कानून को ला रही है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय श्री मदन कौशिक जी ने प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी अपने विषय को रखा मैं इस पर बल देता हूँ। मान्यवर, अभी माननीय श्री बंशीधर भगत जी ने बहुत सुन्दर बातें कही हैं तो निश्चित रूप से इसमें मेरा अनुरोध यह है कि जैसा आपने बताया कि भारी वाहन पर 60 रूपये, मध्यम वाहन पर 40-50 रूपये, अन्य सवारी पर 40 रूपये, ऑटो रिक्शा पर 30 रूपया, निजी वाहन पर 30 रूपया, जो प्रदेश के बाहर से हमारी सीमा में आयेंगे उनसे आप टैक्स लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े खेद के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम सब लोग पर्वतीय क्षेत्र से देहरादून राजधानी की ओर आते हैं तो डोईवाला के पास सौंग नदी का एक बैरियर लगा है मैं उसी स्थान का रहने वाला हूँ और अनेकों बार मैंने देखा कि जब बैरियर के पास गाड़ियां पहुँचती है सिर्फ 5 या 10 रूपया वहाँ से टोल वे लोग लेते हैं फिर भी कितनी समस्या वहाँ पर होती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी जानकारी में भी होगा कि वहाँ आये दिन झगड़े होते हैं और आये दिन एक्सीडेन्ट होते हैं यह स्थिति आज से 20 साल पहले जब हम उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे उस समय एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गयी थी और उस समय शायद श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने पूरे प्रदेश से

बैरियर हटाये थे। और उससे पूरे प्रदेश ने बड़े राहत की सांस ली थी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा जो प्रदेश है यह पर्यटन प्रदेश है, तीर्थ क्षेत्र है और देवभूमि इस प्रदेश को कहा जाता है। मान्यवर, मैं कोई ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश में हर दिन हजारों हजार लोग प्रदेश में आते हैं यदि उनको हर दिन टैक्स देना पड़ेगा और हर दस कदम पर सीमा लगती है उनको टैक्स देना पड़ेगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की छवि जो देव भूमि कहा जाता है, देव तुल्य लोग यहाँ पर कहे जाते हैं उनकी छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि परिवहन व्यवसाय पर जिस प्रकार से टैक्स लगा रहे हैं। जिस प्रकार आने वाले यात्रियों पर और वाहनों पर आप टैक्स लगाने की योजना बना रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार पूरी तरह परिवहन व्यवसाय को खत्म करना चाहती है, हमारे प्रदेश की छवि को खत्म करना चाहती है, मुझे तो कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि सरकार पूरी तरह से ऐसे कानून लाकर एक रिकार्ड बनाना चाह रही है। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश को बचाने का काम आप यदि कर सकते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपका आभारी रहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव जो माननीय श्री मदन कौशिक जी ने दिया है मैं उस पर बल देते हुये माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के कर बिल्कुल न लगायें, इसके लिए मैं कृपापूर्वक आपसे आग्रह कर रहा हूँ।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, जो संशोधन माननीय श्री मदन कौशिक जी ने रखा है और माननीय श्री बंशीधर भगत जी और श्री प्रेमचन्द अग्रवाल जी ने इसका समर्थन किया है तो मैं अपने आप को इससे सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड में जहाँ हजारों–लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, इस प्रदेश की पर्यटक प्रदेश के रूप में पहचान बने इसके लिए हम प्रयासरत हैं और उत्तराखण्ड मात्र पर्यटक प्रदेश बने तो हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। मान्यवर, हजारों–हजार साल से जो तीर्थयात्री यहाँ यात्रा पर आते हैं, यहाँ पर चार धाम मौजूद हैं। इसके अलावा सैकड़ों प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, इनके दर्शन हेतु हजारों–हजार तीर्थयात्री आते रहते हैं। मान्यवर, इसके साथ–साथ हेमकुण्ड साहिब, पिरान कलियर और अनेक धार्मिक स्थल हैं। जो हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से यह कानून लाया जा रहा है, जो हम प्रदेश को पर्यटन प्रदेश बनाने जा रहे हैं, उसकी छवि को धूमिल करेगा। मान्यवर, जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को संशोधन के माध्यम से रखा है। मान्यवर, इस एक्ट से ठेकेदारों को शक्ति प्रदान की गई है। यदि किसी पर्यटक और तीर्थ यात्री के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो उसके संरक्षण की कोई बात इसमें नहीं कही गई है।

मान्यवर, जो आपने इस एक्ट के माध्यम से पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की बात कही है, इसका इस एक्ट में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि उन्हें किस प्रकार से सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। मान्यवर, यह प्रदेश के हित की बात है, इसके कई उदाहरण हैं जब–जब ऐसे कर लगाये गये, वहां मात्र अव्यवस्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ है। यह प्रदेश आस्थाओं और संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रदेश है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का कष्ट करें, जिस पर प्रवर समिति अपनी आख्या देगी, उस पर पुनः विचार हो सके।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, प्रवर समिति को प्रस्ताव भेजे जाने हेतु जो प्रस्ताव पूर्व मंत्री माननीय मदन कौशिक, माननीय हरबन्स कपूर जी, माननीय श्री बंशीधर भगत जी और माननीय विधायक प्रेमचन्द जी ने रखा है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, एक्ट के बारे में सारी बातें माननीय सदस्यगणों की तरफ से यहां पर बता दी गयी हैं। मान्यवर, इसमें जो सबसे बड़ी खतरनाक बात है, इसके धारा–7 में लिखा गया है कि किसी भी समय आप किसी भी सड़क को अधिसूचित करके बैरियर लगा सकते हैं, कहीं पर भी। मान्यवर, बैरियर की स्थापना धारा–7, राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य से समय–समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी मार्ग के अवस्थापना पर बैरियर स्थापित कर सकेगी, या उसे हटा सकेगी। मान्यवर, हटा तो सकती है, लेकिन इस धारा ने सुरक्षित कर दिया है कि किसी भी सड़क को कहीं भी, आज आपकी सांठ–गांठ हो गयी किसी से, किसी ने शासन में कह दिया कि मैं आपको एक रोड देता हूँ आप उस पर बैरियर लगा दें तो बैरियर लग गया। बैरियर कहीं भी लग सकता है। इसमें बार नहीं है, इसकी धारा–7 में लिखा है। मान्यवर, इससे भी बड़ी बात इसकी धारा–5 के अन्तर्गत जो आपने लोक सेवक होना बता दिया है, लोक सेवक किसको बता रहे हैं। जो आप धारा–2 के 'क' को अगर आप देखेंगे तो किसे बता रहे लोक सेवक। उपकर निरीक्षक से उत्तराखण्ड के किसी सड़क मार्ग से होकर गुजरने वाले किसी मोटरयान से उपकर संग्रह करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति, अभिप्रेत हैं। यानि कि उपकर निरीक्षक है उसका अगला खण्ड–"1–क" किसी बैरियर पर उपकर संग्रह करने हेतु तैनात प्रत्येक सरकारी सेवक, यानि कि वह कोई भी सरकारी सेवक होगा। लेकिन 2–में कह दिया है, "धारा–4 के अधीन उपकर संग्रह करने हेतु किसी पट्टेदार तथा सेवायोजित कोई अभिकर्ता भी सम्मलित है।" यानि पट्टेदार द्वारा सेवायोजित, मैं पट्टेदार हूँ मैंने अपने 10 सर्वेंट रख लिए कि जाओ तुम वसूली करना। मान्यवर, वे लोक सेवक में आ गए। भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के अन्तर्गत जिस–जिस को लोक सेवक माना जायेगा, आई0ए0एस0 अधिकारी, आई0पी0एस0 अधिकारी और हमारे मंत्रीगण, हम लोग

अभी लोक सेवक में आते हैं या नहीं, यह तो अभी तय करना है जितने क्लास–थ्री, क्लास–फोर्थ, सारे कर्मचारी लोक सेवक होते हैं। मान्यवर, उन लोक सेवकों में कौन आ गए? जो बदमाश रखे थे, हमने वसूली करने के लिए। यह बहुत खतरनाक एक्ट है, अगर यह आज पास होता है, तो सबसे बड़ी बदनामी हमारी विधान सभा की होगी। पास होने की बात नहीं, करा लें। सब लोगों से बाहर जाकर लोग पूछेंगे, सदन के एक–एक व्यक्ति से पूछेंगे क्योंकि यह एक्ट है, अगर एक्ट में कोई बात गलत है तो मंत्री कहें कि यह धारा–7 गलत है, मंत्री कहें कि धारा–2 गलत है, मंत्री कहें कि एक सैक्शन गलत है, मंत्री कहें कि दो सैक्शन की धारा–4 गलत है। मान्यवर, जो कहेंगे, हम मानने को तैयार हैं। आखिर सदन में कोई चीज आ रही हो, मक्खी तो हम नहीं निगल सकते ना। मैं माननीय सदस्य हूँ इस सदन का, माननीय सदस्य आप हैं, यह किसी एक की बात नहीं है, यह तो पूरे सदन की बात है आप लोक सेवक किसे बना रहे हैं, बदमाश को, क्रिमिनल को, गुण्डे को। अभी माननीय नेता सदन ने कहा था कि पहले पुष्टि होनी चाहिए कि आदमी उस पद पर बैठने लायक है कि नहीं। क्या इसमें प्रोविजन है कि जो ठेकेदार पट्टा ले रहा है, उसकी पुष्टि होनी चाहिए कि वह गुण्डा, बदमाश या कन्विक्टेड नहीं है, उस पर केस नहीं है या वह जिन आदमियों को रखेगा, वह सब शरीफ आदमी हैं, उन पर कोई केस नहीं है। उस लोक सेवक को बचाने कौन जाएगा, पुलिस जाएगी ? अगर उससे लड़ाई हो गयी तो क्या होगा, 232, 233 और भी जो धाराएं आई0पी0सी0 की होती है, सरकारी कर्मचारी के साथ अवरोध करने के लिए लगती हैं, वह इन पर लगेंगी? (व्यवधान) मान्यवर, यह कोई हंसी–मजाक का मामला नहीं है। यह बहुत गम्भीर मामला है इसलिए यह प्रवर समिति को जाना तो गलत है, जाए ही नहीं बल्कि इसको वापस किया जाय। मान्यवर, इसको वापस करना चाहिए। इतनी बात कह कर मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष, सम्मानित कौशिक जी और अन्य सम्मानित विधायकगण ने इस विधेयक के पारित होने पर कुछ चिन्ता व्यक्त की है। पहली तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूँ कि यह 01 दिसम्बर से लागू हो चुका है।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, कानून आज बन रहा है, लागू पहले से कर दिया?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल की अनुज्ञा से अध्यादेश लाकर पारित किया जा चुका है। (व्यवधान) मान्यवर, मेरी पूरी बात सुन तो लें। मान्यवर, बहुत दूर की सोचना,

काल्पनिक सोचना उचित नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड सरकार की यह जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि उत्तराखण्ड की छवि पूरे हिन्दुस्तान में सर्वोत्तम रहे और उसी जिम्मेदारी के तहत माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह जो बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को ठेका देने की मंशा सरकार की है। इसमें केवल एक नियम रखा गया है, अभी हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हमारी जो सरकारी चौकियाँ हैं, परिवहन निगम की जो चौकियाँ हैं, वहाँ जो हमारे अधिकारी तैनात हैं, उनके माध्यम से यह कर वसूली की जायेगी और वसूली की जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब से यह लागू हुआ है, आज तक कोई ऐसी दुर्घटना घटित नहीं हुई हैं, जिससे यह रिपोर्ट आयी हो कि किसी पर्यटक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हुई हो, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसमें कर निर्धारित कर दिया गया है कि वह किस किस्म की गाड़ी है, निजी है कि कामर्शियल है, कितना कर किससे लिया जायेगा, यह निर्धारित कर दिया गया है। उससे ज्यादा कोई ले नहीं सकता है, यदि हमारा कोई कर्मचारी ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जायेगी और इसके लिए प्रावधान भी किये गये हैं। जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, उन्होंने चिन्ता व्यक्त की कि किसी भी सड़क पर लगा देंगे। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो चौकियां स्थापित होंगी, उन चौकियों के माध्यम से ही यह इन्ट्री कर वसूल किया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप माननीय मंत्री जी को आदेश कर दें कि इस विधेयक की धारा–7 को संशोधित कर दें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लें। माननीय कौशिक जी, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसके धारा–4 (1) में है कि इसे नीलामी करेंगे या किसी व्यक्ति को देंगे। अगर वह चौकी से ही करना है तो इसमें ले आयें कि सिर्फ चौकियों से ही करेंगे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसमें स्पष्ट लिखा है कि चौकियों से किया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसकी धारा–4 की उपधारा 1 में लिखा गया है कि "धारा–3 के अधीन अधिरोपित उपकर संग्रह करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नीलामी या निविदा या दोनों के मेल से या किसी अन्य तरीके से किसी वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए ऐसी

सीमा शर्तों जैसा कि आयुक्त राज्य सरकार की सहमति के अधीन निर्धारित करे, पट्टे पर दे सकेगी।"

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह ऑप्शन है, यह ऑप्शन दिया गया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आज तो यह कानून बन जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की पूरी बात आने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इनकी सरकार ने पिछले पांच साल यही कार्य किया, पूरा हरिद्वार बह गया, कुम्भ बह गया। दैवीय आपदा का 600 करोड़ रूपया आया था, इनकी सरकार सारे पैसे खा गई, भाटी आयोग उसकी जांच कर रहा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आज जब अधिकारियों से पूछा जाता है कि टैक्स क्यों लिया जा रहा है तो वह बताते हैं कि यह एस0आर0 टैक्स है, अर्थात सुरेन्द्र राकेश टैक्स।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय कौशिक जी, यह मेरी उपलब्धि है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आपकी पूरी बात आ गई है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बात तो आ गई, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह सब भ्रम है।.....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आपकी पूरी बात आ गई है, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन आप उनको सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लीजिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मुझे इंगित करके कहा, तो उसका स्पष्टीकरण लेना पड़ेगा। आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने शंका व्यक्त की है और कहा है कि यह काल्पनिक है। मान्यवर, मैं निवेदन करता हूँ कि धारा–7, बैरियर की स्थापना राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य से समय–समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना पर बैरियर स्थापित कर सकेगी या उसे हटा सकेगी। तो इसमें काल्पनिक कहां है? मान्यवर, आखिर इतनी गम्भीर बात हो रही है आपके सामने और मंत्री जी कहे रहे हैं कि आप मजाक कर रहे हैं, आप काल्पनिक हैं। ये धारा में संशोधित कर दें न कि हम चौकियों के माध्यम से करवाएंगे। मान्यवर, आखिर यह हमारा राईट है कि विधान बन रहा है, कानून बन रहा है। इस पूरे सदन के सदस्यों को जानने का हक है, कानून बन जायेगा तो कल को पूरे प्रदेश की जनता पूछेगी कि आपने क्या किया और मंत्री जी कह रहे हैं कि ये तो बैरियर नहीं, ये तो चौकियों से वसूल होगा तो धारा–7 में अमेंडमेंट कर दें न आज ही कि चौकियों द्वारा करके। यह तो बिल्कुल मक्खी निगलने वाली बात है। ऐसा बिल्कुल सम्भव नहीं है मान्यवर, बहुत गलत है और यह प्रवर समिति को ही नहीं, बल्कि यह वापस होना चाहिए।

*श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, चूँकि हमारे तमाम कुमाऊँ के जितने भी लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश होकर आते हैं। अगर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वहां के लोगों ने भी बैरियर लगा दिया तो आज हम लोगों का यहां आना भी दूभर जो जायेगा देहरादून में। तो माननीय अध्यक्ष जी, इस नियम को यहां से बिल्कुल निकालना चाहिए और गलत परम्परा हो रही है और आपको यह बता दूं कि पहाड़ के 90 प्रतिशत लोग दिल्ली और बाहर रहते हैं और कम से कम महीनें में 2 या 3 बार यहां पर अपने घर में आते हैं। जिनकी गाड़ियां बाहर रजिस्टर्ड हैं अगर वो यहां पर आ गये तो इसका रिएक्शन बहुत खराब होगा। मान्यवर, हम अपने साथियों का जो प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव है, उस पर बल देते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल देखती नहीं है, काले कानून ला रही है इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बाहर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे, संशोधन को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–17 तक, प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या– वर्ष 2012)

उत्तराखण्ड राज्य सरकार के किसी मार्ग से होकर गुजरने वाले मोटरयान पर परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिरोपित और संग्रह करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अस्थापना उपकर अधिनियम,2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह 15 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "बैरियर" से इस अधिनियम की धारा–7 के अधीन स्थापित बैरियर अभिप्रेत है;

(ख) "उपकर" से परिवहन एवं नागरिक अवस्थापना उपकर अभिप्रेत है;

(ग) "उपकर निरीक्षक" से उत्तराखण्ड के किसी सड़क मार्ग से होकर गुजरने वाले किसी मोटर यान से उपकर संग्रह करने हेतु राज्य सरकार, द्वारा अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और उसमें–

(एक) किसी ''बैरियर'' पर उपकर संग्रहण हेतु प्रत्येक सरकारी सेवक और

(दो) धारा–4 के अधीन उपकर संग्रहण हेतु किसी पट्टेदार द्वारा सेवायोजित कोई अभिकर्ता भी सम्मिलित है;

(घ) "संग्रहण प्राधिकारी" से धारा–11 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है–

(ङ) "आयुक्त" से परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(च) "पट्टेदार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा–4 के अधीन पट्टे द्वारा उपकर संग्रह करने हेतु सशक्त किया गया है;

(छ) "हल्का मोटरयान" से लदान सहित अधिकतम भार 7500 कि0ग्रा0 वाला कोई मोटर कार या वैन अथवा जीप अथवा जिप्सी अभिप्रेत है;

(ज) "मोटरयान" से ऐसा कोई मोटरयान, जो लदान सहित भार या बिना लदान भार के स्वयं की शक्ति से चलाये जाने के लिये बनाया गया हो, अभिप्रेत है; उसमें मोटरयान अधिनियम 1988 (59 सन् 1988) की धारा–2 के खण्ड (28) में परिभाषित मोटरयान भी सम्मिलित है परन्तु उसमें बैलगाड़ी या साइकिल सम्मिलित नहीं है;

(झ) "अधिसूचना" से समुचित प्राधिकार के अधीन सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) "सरकारी गजट" से उत्तराखण्ड का सरकारी गजट अभिप्रेत है;

(ट) "मार्ग अवस्थापना" से मार्ग, सुरंग, ऊपरगामी सेतु, पुल भूमिगत मार्ग, पहुंच या सन्धि मार्ग, उप मार्ग और उनमें आनुषंगिक अन्य सेवायें और सुविधायें अभिप्रेत है;

(ठ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य सरकार" या "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ढ) "टोकन" से अनुसूची के स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दर पर उपकर के संग्रहण का प्रमाण अभिप्रेत है।

3. (1) किसी मार्ग या अवस्थापना का उपयोग करने के लिए प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मोटरयान से उनके सम्मुख स्तम्भ (3), (4) एवं (5) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रत्येक मोटरयान पर राज्य सरकार द्वारा उपकर अधिरोपित एवं वसूल किया जायेगा। उपकर की दर और उसका भुगतान

(2) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) में किसी वर्ग के यान के सम्बन्ध में स्तम्भ (3), (4) और (5) में विनिर्दिष्ट उपकर की दरों में अधिसूचना द्वारा संशोधन कर उन्हें बढ़ा सकती है या विलोपित कर सकती है और तद्पश्चात प्रथम अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी;

परन्तु यह कि किसी एक समय में प्रतिकर की दरों में प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को उसके जारी होने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

(4) किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने वाले मोटरयान का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति "बैरियर" पर तैनात निरीक्षक को उपकर का भुगतान करेगा और उससे रसीद लेगा, जो उसमें उल्लिखित धनराशि का भुगतान किये जाने का प्रमाण होगा।

(5) मोटरयान, जिसने राज्य में किसी बैरियर पर उपधारा (4) के अधीन उपकर का भुगतान कर दिया हो, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य बैरियर को, उस समयावधि के भीतर, जिसके लिये उपकर का भुगतान कर दिया गया है, पार करते समय पुनः उपकर का भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।

(6) प्रतिदिन कर रसीद 24 घन्टे के लिए विधिमान्य होगी, जिसकी समयावधि प्रथम बैरियर पार करने से गिनी जायेगी।

(7) तिमाही टोकन प्रतिवर्ष पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाली तिमाही के लिये विधिमान्य होगा।

(8) वार्षिक टोकन उस वित्तीय वर्ष जिसके लिये यह जारी किया गया है, विधिमान्य होगा।

उपकर संग्रह करने का अधिकार पट्टे पर देने की राज्य सरकार की शक्ति

4. (1) राज्य सरकार उस तिथि से जिसे वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे किसी मार्ग अवस्थापना से गुजरने वाले मोटर यान से धारा–3 के अधीन अधिरोपित उपकर संग्रह करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नीलामी या निविदा या दोनों के मेल से या किसी अन्य तरीके से किसी वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए ऐसी सीमा शर्तों जैसा कि आयुक्त, राज्य सरकार की सहमति के अधीन निर्धारित करे, पट्टे पर दे सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पट्टा स्वीकृत करने के उद्देश्य से आयुक्त पूर्ववर्ती वर्ष या उसके किसी भाग में उपकर की प्राप्तियों और पट्टे की अवधि में प्रभावी उपकर की दरों पर विचार करते हुये पट्टे की अवधि के अन्तर्गत बैरियर पर सम्भावित वसूल की जाने वाली प्रतिकर की अधिकतम धनराशि आंकलित करेगा।

(3) पट्टेधारक के लिये पट्टे की सीमा एवं शर्तों का ठीक से अनुपालन करने के ऐसी प्रतिभूति, जैसी आयुक्त निर्देशित करे, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(4) ऐसी धनराशि (शास्ति, ब्याज या किसी विधिक कार्यवाही की लागत सहित) जो उपधारा (1) के अधीन दिये गये पट्टे के अधीन पट्टेदार द्वारा देय हो, यदि देय तिथि तक भुगतान नहीं की जाती है तो उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाया की भाँति की जायेगी।

सेवक आदि लोक सेवक होना

5. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के प्रयोजनार्थ लोक सेवक समझे जायेंगे।

उपकर निरीक्षक के अधिकार

6. मोटर यान का चालक, उपकर निरीक्षक द्वारा उससे ऐसी मांग करने पर यान को रोकेगा ताकि वह इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गये किसी दायित्व का निर्वहन करने में समर्थ हो सके।

7. राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य से, समय–समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना पर बैरियर स्थापित कर सकेगी या उसे हटा सकेगी। बैरियर की स्थापना

8. किसी बैरियर पर लिये जाने के लिये अधिकृत उपकर की हिन्दी या अंग्रेजी में शब्दों और अंको में सुपाठ्य लिखित या छपी हुई तालिका ऐसे बैरियर के पास सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी। उपकर का भुगतान करने से इन्कार करने और अवैध रूप से कोई उपकर लेने के लिये शास्ति का विवरण उसी प्रकार लिखित या छपा हुआ उसके साथ जोड़ा जायेगा। उपकर की तालिका और शास्ति के विवरण का प्रदर्शन

9. इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु, जब आवश्यक हो, उपकर निरीक्षक को सहायता प्रदान करना, समस्त पुलिस अधिकारियों के लिये बाध्यकारी होगा और इसके लिये उनकी वही शक्तियाँ होंगी, जो उनके पास उनके सामान्य पुलिस कर्तव्यों के निर्वहन में रहती हैं। उपकर निरीक्षकों को पुलिस अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान करना

10. मांगे जाने पर उपकर का भुगतान न करने के मामले में उसके संग्रहण के लिये नियुक्त व्यक्ति मोटरयान को तब तक अवरूद्ध कर सकता है जब तक कि उपकर का भुगतान न हो जाय। उपकर का भुगतान न करने के मामले में प्रक्रिया

11. (1) उपकर की टाल मटोल रोकने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मोटरयानों की जांच करने हेतु सचल दस्ते स्थापित करने का आदेश दे सकती है और इस प्रकार स्थापित सचल दस्ते सरकार के किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन संग्रहण प्राधिकारी होगा। सचल दस्तों की स्थापना

(2) जब संग्रहण प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, मोटरयान को रोकेगा और तब तक खड़ा रखेगा जब तक आवश्यक हो और संग्रहण प्राधिकारी को उपकर के भुगतान की रसीद या टोकन का परीक्षण करने तथा ऐसे मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य सूचनायें भी उपलब्ध करायेगा।

(3) मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति, उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अंतिम प्रवेश के न्यूनतम 72 घन्टों तक उपकर की रसीद और टोकन इसकी समाप्ति के 15 दिनों तक वाहन में रखेगा और मांगे जाने पर संग्रहण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि मोटरयान का चालक या प्रभारी व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित उपकर के भुगतान की गयी रसीद अथवा टोकन को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो संग्रहण प्राधिकारी अनुसूची के स्तम्भ (3) के अधीन विहित दर पर निरीक्षण के स्थान पर उपकर वसूल कर सकेगा;

परन्तु यह कि उपकर के अतिरिक्त संग्रहण प्राधिकारी अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर के चार गुना के बराबर संग्रहण फीस भी वसूल करेगा।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुये भी संग्रहण प्राधिकारी माल सहित यदि कोई हो, जो उसमें लाया जा रहा हो उतनी अवधि के लिए जो न्यायपूर्ण रूप से आवश्यक हो, मोटरयान को निरूद्ध करने का आदेश दे सकता है और उसको जाने की अनुमति तब ही देगा जब मोटरयान के चालक या प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपकर और इस धारा के अधीन अधिरोपित संग्रहण फीस का भुगतान कर दिया हो या उसके सन्तोषानुसार प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी हो या उपकर और संग्रहण फीस की धनराशि सुरक्षित करने के लिए जमानतियों या बिना जमानतियों का बंध पत्र निष्पादित कर दिया हो।

शास्तियाँ

12. (1) जो कोई–

(क) इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन किये बिना किसी बैरियर को पार करने का प्रयास करेगा; या

(ख) इस अधिनियम की किन्ही व्यवस्थाओं या उसके अधीन बनाये गये नियमों या ऐसी किसी व्यवस्थाओं या नियम के अधीन बनाये गये किसी आदेश या निर्देश के उल्लंघन का दोषी पाया जायेगा तो वह जुर्माना जो पाँच सौ रूपये की धनराशि तक का होगा दायी होगा।

(2) उपकर निरीक्षक द्वारा की गयी लिखित शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कोई मजिस्ट्रेट नहीं लेगा।

13. कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कार्य करने के लिये प्राधिकृत है, के द्वारा इस अधिनियम के अधीन या उनके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावनापूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित है, नहीं होगी। — कानूनी कार्यवाहियों का वर्जन

14. (1) द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यानों द्वारा किसी मार्ग अवस्थापना का उपयोग करने के लिये उनके सम्मुख स्तम्भ (3) में दी गयी शर्तों एवं अपवादों यदि कोई हो, के अधीन रहते हुये कोई उपकर अधिरोपित और देय नहीं होगा। — छूट

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने आशय की सूचना, जो तीस दिन से कम न हो, सदृश्य अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में किसी यान को जोड़ सकती है या विलोपित कर सकती है और उसके उपरान्त उक्त द्वितीय अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी होने के उपरान्त यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी।

15. राज्य सरकार सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा उपकर लगाने और उसका संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए और सामान्य रूप से इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को वहन करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी। — नियम बनाने की शक्ति

16. (1) किसी अधिनियम में किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन संग्रहीत या भुगतान किये गये किसी उपकर को वापस करने के लिए कोई वाद या अन्य विधिक — प्रमाणीकरण

कार्यवाहियाँ किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष रक्षित या चालू नहीं की जायेगी और न ही किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा किसी डिक्री या आदेश जिसमें उसे वापस करने के निर्देश हो, के लिये बाध्यता कारित करेगा।

(2) संदेहों के निवारण के लिये यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (1) की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि वह–

(क) अधिनियम की व्यवस्थानुसार उपकर अधिरोपित, संग्रहीत या भुगतान के बारे में पूछताछ करने; या

(ख) अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन देय धनराशि से अधिक उसके द्वारा भुगतान की गयी उपकर की धनराशि को वापस करने का दावा करने से प्रतिषिद्ध करती है।

निरसन और अपवाद

17. (1) उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0 10 वर्ष 2012)

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी। मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0 10वर्ष 2012)

प्रथम अनुसूची

(धारा 3 देखिये)

क्र० सं०	यान का विवरण	प्रतिदिन या उसके भाग के लिये उपकर की दरें	प्रति तिमाही या उसके भाग के लिये उपकर की दरें	प्रति वर्ष या उसके भाग के लिये प्रतिकर की दरें
1	2	3	4	
1.	यान जिसकी भार वहन क्षमता			
	(क) 90 कुन्तल से अधिक है	60.00 रुपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(ख) 20 कुन्तल से अधिक 90 कुन्तल तक	50.00 रुपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(ग) 10 कुन्तल से अधिक 20 कुन्तल तक	40.00 रुपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(घ) सार्वजनिक भार वाहन या निजी भारी वाहन के साथ चालित ट्रेक्टर सिवाय जब कृषि कार्य के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हो।	40.00 रुपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
2.	सवारी यान जिनमें बैठने की क्षमता			
	(क) 20 सवारी से ऊपर हो	60.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना
	(ख) 12 सवारी तक	40.00 रूपया	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
	(ग) अन्य हल्के मोटरयान जैसे जीप, कार ,पिकअप वैन, स्टेशन वैगन	50.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	लागू नहीं है।
	(1) जब निजी यान के रूप में पंजीकृत हो	30.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 15 गुना	लागू नहीं है।
	(2) जब निजी भार वाहन के रूप में पंजीकृत हो	30.00 रूपया	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
	(3) उपकर बैरियर के 6 कि०मी० के दायरे में निवास करने वाले निजी पंजीकृत यान के स्वामी	40.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	लागू नहीं है।
	(घ) मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा	20.00 रूपया	स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर का 20 गुना	स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट धनराशि का 3 गुना

टिप्पणी–(1) स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर के भुगतान के लिये रसीद दी जायेगी।

(2) स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दर के भुगतान के लिये अधिसूचित आकार का एक टोकन दिया जायेगा और उसे यान पर प्रदर्शित किया जायेगा।

द्वितीय अनुसूची
(धारा 14 देखिये)

क्र0 सं0	विवरण	शर्तें और अपवाद
1	2	3
1.	भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत संघ की रक्षा सेवायें, राजनयिक, केन्द्र सरकार, मा0 उच्चतम न्यायालय, समस्त उच्च न्यायालय से सम्बन्धित मोटर यान;	
2.	विभिन्न प्रदेशों के मंत्रिगण/ राज्य मंत्रिगण / उप मंत्रिगण, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य विधान सभा के परिषद के सभापति/उपसभापति से सम्बन्धित मोटरयान;	
3.	अग्निशमन से सम्बन्धित मोटरयान, एम्बुलेंस, शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के उपयोग के लिये विशेष रूप से बनाई गयी मोटरयान	
4.	मोटरयान साईकिल और स्कूटर; और कृषि प्रयोजन हेतु ट्रेक्टर (जब कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त हो)।	
5.	उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत सभी प्रकार के मोटरयान	—

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–17 तक, प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेन्द्र राकेश—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर आकर बैठ गये।)

उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, विशेष रूप से इसलिए लाया जा रहा है यह एक्ट, कि लोगों को जो उद्योग स्थापित करते हैं, उन्हें वन विंडो सिस्टम, एकल खिड़की से ही सारे कार्य हो जायं और इस पर यह बहुत अधिक ध्यान रखा गया है कि समयबद्ध हो और समयबद्ध यदि न हो तो स्वयं मान लिये जायं। इस तरह से प्रस्ताव इसमें लाये गये हैं। मान्यवर, इसके लिए प्राधिकृत समिति जिसमें राज्य उद्योग मित्र और जिले के अन्दर औद्योगिक आस्थान, ये एजेन्सी के माध्यम से प्रार्थना पत्र देंगे और जो नीति होगी, उसके अनुसार स्वीकार किये जाएंगे। मान्यवर, नोडल एजेंसियों के माध्यम से इनको सुविधा प्रदान की जायेगी, जो नियम होंगे। विलम्ब किये जाने की स्थिति में डीम्ड स्वीकृत किये जायेंगे, तीस दिन का समय दिया जायेगा, जो शपथ पत्र वह देंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। जो असमर्थ पाये जायेंगे उसके लिए इसमें दण्ड का प्राविधान है। मान्यवर, इसलिए इस उद्देश्य के तहत इसको लाया गया है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें प्रवर समिति को भेजने लायक कुछ भी नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप तो कहेंगी कुछ भी नहीं है, इतने बड़ों में आप कह रही हैं कुछ नहीं है तो इसमें बहुत कुछ है, निकालना हमारा काम है। माननीय अध्यक्ष जी, एकल विन्डो सिस्टम, जो आज आप अधिनियम के रूप में विधेयक ला रहे हैं। इसको लाने की क्या आवश्यकता आपको पड़ गई। क्योंकि पूर्व की सरकार ने सेवा का अधिकार बनाया था जो आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। कितने दिनों में कौन सा लाईसेन्स मिलना है, आपको मूल सर्टिफिकेट चाहिए, स्थायी सर्टिफिकेट चाहिए या आपको जाति का सर्टिफिकेट चाहिए या आपको आय का प्रमाण पत्र चाहिए या मोटर वाहन का लाइसेन्स चाहिए। एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब माननीय खण्डूड़ी जी इस बिल को इस अधिकार को यहाँ लाये तो उसमें अधिकारी यह कहने लग गये थे फोन करके सभापतियों को, कि आपके गाँव का फला आदमी का मूल निवास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है वापस ले जाइये। आर0टी0ओ0 आफिस देखते तक नहीं है, परवाह तक नहीं करते हैं, फटकने नहीं देते हैं, उस समय यह स्थिति आ गई थी। आज यह सरकार आते ही वह सब ठंडे बस्ते में चला गया। लोकायुक्त कानून ठंडे बस्ते में चला गया, अगर वह होता तो सिंगल विन्डो सिस्टम लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। सिंगल विन्डो सिस्टम नियम कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, यह तो दिल से होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब बना ही रहे हो तो इसमें हमारा बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं है। इसकी जो कमियाँ हैं उनको आप दुरस्त करिये। आपने धारा–3 में राज्य प्राधिकृत समिति एवं जिला प्राधिकृत समिति के गठन के बारे में बताया है। इसमें आप फिर किसको ला रहे हैं। कौन आपके जिले में सदस्य होंगे, कौन आपके प्रदेश में सदस्य होंगे? वह तो आप बताईये कम से कम। आप फिर उन्हीं को ला रहे हैं जो इसको बार–बार रोकेंगे, जिनकी वजह से यह स्थिति पैदा होती है। जिनकी वजह से प्रदेश की बदनामी झेलनी पड़ती है। अभी मैं महाराष्ट्र के एक माननीय मंत्री जी का संदर्भ पढ़ रहा था। वह मोदी जी के राज्य गुजरात में गये, सिंगल विन्डो सिस्टम कैसा होता है, इसे कहते हैं उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा था। मैं एक सम्मानित सदन का सदस्य भी हूँ और मिनिस्टर भी हूँ, मैं दंग रह गया जब मैं मोदी

जी के पास अपना प्रस्ताव लेकर गया तो सारे अधिकारी वहाँ पर बैठे थे, वित्त सचिव वहाँ बैठे थे, ऊर्जा सचिव वहाँ बैठे थे, राजस्व सचिव वहाँ बैठे थे, तो उनका प्रपोजल पहले से था। मोदी जी ने चाय पिलाई और उसके बाद कहा आपका तो प्रस्ताव पास हो गया है, आप तीन बजे फलाँ–फलाँ जगह जा करके जो इसकी फारमेल्टीज हैं वह पूरा कर लीजिए। वह दंग रहा गया और उन्होंने कहा कि मुझसे इनके बारे में पूछा तक भी नहीं, पहले से वह प्रपोजल पढ़ लिया था और सारी सुविधायें हो गयी थी और वह पास हो गया तथा तीन बजे मुझे जहां जाने के लिए कहा तथा चीफ सेक्रेट्री ने सारे अधिकारियों को बैठाकर, मेरे काम को कर दिया था। मैंने एक हफ्ते के अन्दर अपनी फैक्ट्री का काम प्रारम्भ कर दिया। (व्यवधान) यह है सिंगल विण्डो सिस्टम। मान्यवर, अगर हमारी इच्छा शक्ति ठीक नहीं है और काम करने की नीयत ठीक नहीं है, हर जगह पर सूंघते रहे कि कहां पर पैसा आ रहा है यानी हाथी की सूंड की तरह सूंघते रहे तो कैसे इस प्रदेश का भला होगा? (हंसी) मान्यवर, आज जितने भी विधेयक आये हैं, हर विधेयक में कर बढ़ाना, कर बढ़ाना, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप विधेयक ला ही रहे हैं तो जो उद्योगों के जानकार हैं उनको जिले स्तर पर भी बैठायें।

मान्यवर, मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि उनको जिले पर बैठाने के बाद, प्रदेश में भी बैठायें और माननीय उद्योग मंत्री इसके अध्यक्ष हों और सचिव इसके सदस्य हों, ताकि पता लगे अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो इसके बाद किसी की जिम्मेदारी हो। आप फिर यदि इसको किसी ब्यूरोक्रेसी के पास यह सारी चीजें छोड़ देंगे, जो जिले में कमेटी बना रहे हैं उनमें माननीय विधायकों को भी रखें। ताकि वह भी कुछ सुझाव दे सकें और इस एक्ट के आधार पर आपको जो करना है उसकी शुरूआत तो करें। मान्यवर, हमने एक प्रपोजल आज दिया और उसको दस दिन तक एक अधिकारी देखेगा, फिर दूसरा अधिकारी देखेगा, फिर वह आते–आते, जो वह सिंगल विन्डो सिस्टम है, वह सवरल विन्डो सिस्टम बन जाता है। इसलिए इस ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। मान्यवर, आपने धारा–17 में, उद्यमी की कोई गलत चीज आ जाती है तो उसको आपने दोष सिद्ध कर दिया। धारा–17(1) में कोई भी उद्यमी, जो नोडल एजेन्सी या दूसरे विभाग या प्राधिकारी को दिये सहप्रमाण पत्र की शर्तों या शपथ का पालन करने में विफल रहता है, दोषसिद्ध होने पर जुर्माने के दण्ड के तौर पर योग्य होगा, जो पहले अपराध पर रूपये पाँच हजार तक हो सकता है और दूसरे या अधिक अपराधों के लिए दस हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है। अगर उद्यमी से उस शपथ पत्र में कुछ गलत लिखा गया या छूट हो गयी या भूल हो गयी। धारा–17(2) में विधेयक के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही में विलम्ब करने के लिए सम्बन्धित उत्तरादायी लोक सेवा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्राविधान होगा। ऊपर तो आपने स्पष्ट लिख दिया कि पाँच हजार और दस हजार रूपये होंगे, लेकिन जब लोक सेवक की बात आयी तो आपने कह दिया कि प्राविधान होगा।

आखिर क्या प्राविधान होगा? जब माननीय मंत्री जी, आप उत्तर दें तो उस समय बतायें। एक पक्ष को आप दण्डित कर रहे हैं और दूसरे पक्ष को, जो जानबूझकर फाईल दबाता है। आज जिसकी वजह से यह सिंगल विन्डो सिस्टम लाने की आवश्यकता पड़ी है। हमारी देवभूमि में फाईलें छः छः महीने तक दबी रहती हैं। जब तक कि उसमें कोई और सुविधा शुल्क नहीं चले जाता है, तब तक वह फाईलें खिसकती नहीं हैं। मान्यवर, यह बड़ी शर्म की बात है आपने धारा–17(2) में कोई प्रोविजन नहीं किया है, आपने खाली लिख दिया कि प्राविधान होगा। अगर हम गलत हैं तो मंत्री जी पढ़ें और उसका उत्तर दें। यह तो आपने हर उद्यमी के लिए कर दिया है। आखिर में यहां के भी तो लोग उद्योग करेंगे।

मान्यवर, महाराष्ट्र में जहाँ अंगूर की खेती होती है वहीं के लोगों को लाईसेंस दिये जाते हैं, कहा जाता है कि आप अंगूर से जो–जो सामान बनता है, बनायें और वह लोग वही बनाते हैं उनको लाईसेंस दिया जाता है उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। आप हमारे उत्तराखण्डवासियों के लिए क्या कर रहे हैं ? इसमें कोई प्रोविजन है तो माननीय मंत्री जी मुझे इसमें बतायें। मान्यवर, इस एक्ट में हर जगह पर बहुत बड़ी खामियां हैं। आज मेरे एक साथी का कहना है कि कराधान वाले प्रस्ताव पर हमको सदन रोकना चाहिए। मैंने कहा यह तो सरकार के लिए बहुत अच्छा हो जायेगा, सरकार जल्दी–जल्दी पास कर देगी। मान्यवर, यह सदन सदियों तक रहेगा हम लोग रहें या न रहें, उस समय याद आयेगा, कि किन सदस्यों ने तथा कौन विपक्ष में बैठे थे और उन्होंने क्या–क्या बातें उठायी हैं और कौन ट्रेजरी बैंच में थे, कौन नहीं माने, यह उस समय की सदियां देखेंगी और आने वाले विधायक देखेंगे जो इस सदन में आयेंगे। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें कई चीजें गलत हैं। सरकार ने इसका ठीक से संज्ञान नहीं लिया है।

मान्यवर, जो मैंने इसमें बातें उठाई हैं उन बातों को मद्देनजर रखते हुये मैं निवेदन करता हूँ कि आप इसको प्रवर समिति को सरकार को भेजने के निर्देश दें ताकि जो कमियां रह गई हैं वह एक माह में दुरूस्त होकर आ जायें, मैं इसी के साथ अपने प्रवर समिति को भेजे जाने के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, हमारे नेता प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष में हैं और नेता भी हैं, तो वे कहीं न कहीं कुछ खोजेंगे। वैसे उन्हें इसमें कुछ ऐसा मिला नहीं कि इस प्रवर समिति को भेजा जाए, ऐसा कोई बिन्दु नहीं है। इसमें निहितार्थ जो है, इसकी जो मंशा है, इसकी जो इच्छा है वह केवल एक है कि लोगों को विलम्ब न हो, उद्यमी यहाँ आयें, उन्हें काम मिले, वन विण्डो सिस्टम यानी राज्य स्तर और जिला स्तर पर उसके माध्यम से उनका कार्य हो, यदि उद्यमी द्वारा कोई गलती हो तो उसमें भी दण्ड का प्राविधान हो और यदि हमारे नीचे के

स्तर से कोई गलती हो तो उसमें भी दण्ड का प्राविधान हो। तो अभी पूरी नियमावली बनेगी जैसा कि आपने सुझाव दिया कि उसमें अधिकतर उद्योग मित्रों में उद्योगपति रखे जाते हैं, ज्यादातर उद्योग मित्र की जो बैठकें होती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हों या यहाँ उनमें रखे जाते हैं, लेकिन बहुत प्रभावी नहीं हुई, वह सीमित रह जाती थी अपने-अपने उद्योगों तक, तो उससे असली उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। उत्तराखण्ड राज्य में जो उद्योग लगे हैं उनके बारे में और जो पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ हैं, अभी हम कई नीतियां ला रहे हैं, जब हम लायेंगे तो आपके सम्मुख भी आयेंगे तो उन पर भी चर्चा होगी, उनमें प्रमुख रूप से उत्तराखण्ड के लोग, खासकर से ऊपर के पर्वतीय अंचलों में पूरी तरह हम कोशिश कर रहे हैं, कि केवल वहीं के लोगों को इस प्रकार के कार्य मिलें, उनकी भी व्याख्या कर रहे हैं, एक सूची भी बना रहे हैं, सुविधा भी दे रहे हैं और बहुत ढंग से मदद भी करने जा रहे है। जब लायेंगे उस समय यह बात बतायेंगे ,क्योंकि कई संदर्भों में एक-आध कमेटी की पूर्ति कर पाये हैं इस पर तो चिन्ता करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे यहाँ लालफीता शाही है, सही बात है कि जो फाईलें रुकती हैं नीचे से फाइलों के लिए जिस ढंग से भागना पड़ता है, जनप्रतिनिधियों को भी भागना पड़ता है यह बात सही है, उसे बहुत सख्त बनाया जाए, टाईम बाउण्ड बनाया जाय, अगर टाईम के अन्दर नहीं होता है तो स्वतः एप्रूव मान लिया जाए, डीम्ड एप्रूव्ड मान लिया जाय, उसके लिए भी इसमें समय रखा है और डीम्ड एप्रूव्ड में भी कई बार ऐसा होता है कि लिखने के बाद भी नहीं होता है, उस पर भी दण्ड का प्राविधान किया जाए ये नियमावली बन रही है। जो उद्योगपति यहाँ आना चाहें, छोटे-बड़े पर्वतीय क्षेत्र सबके लिए अलग से नियम बना रहे हैं, कुछ नियम बनाये हैं, कुछ आगे संशोधन करेंगे, केवल पर्वतीय क्षेत्र में बेरोजगार नौजवानों के पलायन रोकने में वह कार्य हो, तो यह केवल लागू हो जाये और इसकी नीयत और मंशा के अनुसार कार्य हो यही इसके लाने का प्रमुख उद्देश्य है, तो जब तक कोई कानून नहीं बनेगा तो उसका उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा, तो मैं समझती हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष इस भाव को समझेंगे और उसी ढंग से स्वीकार करेंगे और अपना प्रवर समिति का प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, मैं एक निवेदन यह करना चाह रहा हूँ कि आपने डीम्ड स्वीकृति के बारे में कहा कि इसमें 30 दिन की समय सीमा एप्रूवल में रखी है, तो इस एक्ट की धारा-9 जो है उसमें यह है कि "प्रत्येक विभाग या प्राधिकारी किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृतियां जारी करेगा जिन मामलों में आवेदक अर्हता, शर्तें इत्यादि पूर्ण करते हैं यदि सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञायें/स्वीकृतियां जारी किये जाने में विलम्ब किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे अनुज्ञापन जारी होना समझे जायेंगे। ऐसे प्रकरणों में विभाग द्वारा पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।" मान्यवर, इसमें 30 दिन कहाँ है, अगर कहीं है

तो आप देख लीजिए, आपने कहा कि इसमें है तो मैंने कहा कि इसमें तो नहीं है, आपकी किताब में होगा तो यह भी गलत बात है, आप इतनी सीनियर हैं तो आपने कहा है, तो मैं भी अंग्रेजी वाला देख लेता हूँ। मान्यवर, कहीं पर लिखा है तो अधिकारी बेंच भी यहाँ पर है आप वहां से मंगा लीजिए, क्योंकि जो कथन आपने यहाँ पर कहा है। हम आपके बारे में कुछ कहना नहीं चाहतें हैं, वैसे तो यह सदन को गुमराह करने वाला हो गया है, लेकिन हम कह नहीं रहे हैं कि हम गुमराह हो गये हैं।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, अब तो कह ही दिया है, और कैसे कहोगे। (हंसी) मान्यवर, मैं संशोधित नहीं कर रही हूँ, मैंने अभी अंग्रेजी में ही पढ़ा था। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप अंग्रेजी में ही पढ़ लीजिए। आप तो अंग्रेजी जानती हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, है, परन्तु मुझे ढूंढने में समय लगेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, डीम्ड अप्रूवल तो है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, वह तो मैंने पढ़ा है, उसमें नहीं लिखा हुआ है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, 30 दिन होगा, आप यह आश्वासन दे दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं है। नियम बन रहे हैं, खाली गलत आश्वासन देने से कोई फायदा नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अब क्या नियम बनेगा, अब तो एक्ट बन गया है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, एक्ट के बाद भी बाईलोज तो बनते ही हैं। एक्ट का मतलब कानून बना। कानून के बाद तो बाईलोज बनते ही हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें बाईलोज कहाँ आता है, यह छोटा एक्ट है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्यों नहीं आयेंगे। इसमें नियम आयेंगे। नियमावली बनेगी, नियमों की प्रक्रिया होगी। कैसे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन के फार्म बनेंगे, उनको किस तरह भरेंगे यह भी आयेगा। फार्म एप्लीकेशन के फार्म बनेंगे, फार्म एक्सेप्टेशन का नियम बनेगा। एक्ट में तो सारी चीजें आयेंगी। मंशा, इच्छा और कानून सब आयेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–25 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2012)

उत्तराखण्ड राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक समयबद्ध अनुज्ञापन, अनुज्ञायें व स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है।

(ख) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "उद्यम" से वस्तुओं की किसी भी रीति से विनिर्माण या उत्पादन में, या कोई कारबार समुत्थान, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, अभिप्रेत है,

(घ) "जिला प्राधिकृत समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला प्राधिकृत समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(च) "राज्य प्राधिकृत समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला प्राधिकृत समिति अभिप्रेत है;

(छ) "नोडल एजेंसी" से धारा 4 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसियां अभिप्रेत है;

(ज) "विनिधानकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी नये उद्यम के या किसी विद्यमान उद्यम में, आय या लाभ या सामान्य सामाजिक हित की प्राप्ति के लिए विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधिकरण करने के लिए पूंजी विनिधान करता है;

(झ) "अधिसूचना" से उत्तराखण्ड राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द "अधिसूचित" का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(ञ) "अनुज्ञा" से उत्तराखण्ड राज्य में किसी उद्यम की स्थापना के सम्बन्ध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, अनुज्ञापन, आवंटन, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्ति इत्यादि का मंजूर या जारी किया जाना अभिप्रेत है और इसमें ऐसी समस्त अनुज्ञाएं सम्मिलित होंगी, जो किसी उद्यम द्वारा उसके कार्य प्रारम्भ करने तक भी उत्तराखण्ड विधि के अधीन अपेक्षित हो;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) "रियायत" से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक उपक्रम या औद्योगिक उपक्रमों के समूहों को दी जाने वाली सुविधा अभिप्रेत है;

(ड) "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार के कोई विभाग या एजेन्सी, स्थानीय प्राधिकारी, संवैधानिक निकाय (इकाई), राज्य के स्वामित्व वाले निगम, ग्राम पंचायत, नगर पालिका या राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोई भी प्राधिकारी या एजेन्सी, जिनमें राज्य में उद्यम स्थापित करने और संचालन प्रारम्भ करने के लिए, अनुज्ञा प्रदान करने या जारी करने की शक्तियां और जिम्मेदारियां निहित हैं, अभिप्रेत है।

राज्य प्राधिकृत समिति एवं जिला प्राधिकृत समिति का गठन एवं अधिकारिता

3. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे सदस्यों को शामिल कर, जो उसमें विहित किऐ गये हैं, राज्य स्तर पर एक राज्य प्राधिकृत समिति और राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला प्राधिकृत समिति का गठन कर सकेगी।

(2) राज्य प्राधिकृत समिति और जिला प्राधिकृत समिति की अधिकारिता–विनिधान का वह वर्ग, जिसके लिए या विनिधान की सीमाएं, जहां तक राज्य प्राधिकृत समिति या किसी जिला प्राधिकृत समिति को अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए, और उन्हें निपटाने की अधिकारिकता ऐसी होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(3) समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से मीटिंग में भाग लेने में असमर्थ होने की स्थिति में एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को लिखित रूप से अधिकृत कर, उचित निर्णय लेने के लिए बैठक में भाग लेने हेतु नियुक्त करेंगे।

(4) (क) राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति किसी भी उद्यम के स्थापनार्थ प्रस्ताव का परीक्षण करेगी और एक निर्णय लेगी तथा अपने निर्णय से उद्यमी और सम्बन्धित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, अवगत करायेगी;

(ख) समिति ऐसे समयों और ऐसे स्थानों पर बैठक करेगी एवं अपने कार्य निष्पादन के लिए ऐसी पद्धति अपनाएगी जैसा कि विहित किया जाय;

(ग) राज्य की किसी भी विधि की व्यवस्थाओं से रियायत देने या छूट स्वीकृत करने या शिथिलीकरण के आवेदनों का राज्य प्राधिकृत समिति परीक्षण करेगी, यदि कोई हों तो विभागों की टिप्पणियों का संज्ञान लेगी, जहां कहीं आवश्यकता हो विनिधानकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करेगी और सरकार को अपनी संस्तुतियां देगी।

नोडल एजेंसी

4. (1) उद्योग निदेशालय में राज्य उद्योग मित्र प्रकोष्ठ राज्य प्राधिकृत समिति के लिए नोडल एजेंसी होगा।

(2) जिला उद्योग केन्द्र, जिला प्राधिकृत समिति के लिए नोडल एजेंसी होंगे।

नोडल एजेंसी के शक्तियां व कृत्य

5. (1) सरकार और राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति के अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए नोडल एजेंसी की शक्तियां व कृत्य निम्नलिखित होंगे–

(क) समिति उसके सम्मुख रखे गये परियोजनाओं पर स्वीकृति देने के लिए अन्तिम प्राधिकारी होगी। समिति द्वारा दी गई स्वीकृतियां सभी सम्बन्धित विभागों व प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होगी और ऐसे विभाग या प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर–भीतर उद्यमी द्वारा केन्द्र या राज्य अधिनियम के प्राविधानों और उनमें बनाए गए नियमों के अनुपालन के अधीन आवश्यक अनुज्ञापन जारी करेगी;

(ख) यदि सक्षम प्राधिकारी धारा–10 के अधीन विहित कालावधि के भीतर–भीतर ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनका निपटारा करने में विफल रहता है, तो किसी उत्तराखण्ड विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य प्राधिकृत समिति या, यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति को, उत्तराखण्ड विधि के अधीन अनुज्ञा के लिए

आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने की शक्ति होगी। इस प्रयोजन के लिए ऐसी विधि में सक्षम प्राधिकारी के प्रति निर्देश का अर्थ, राज्य प्राधिकृत समिति या, यथाशक्ति, जिला प्राधिकृत समिति के प्रति निर्देश को सम्मिलित करते हुए लगाया जायेगाः

परन्तु यह कि जहाँ समिति तुरन्त बैठक करने में या आवेदन पर विचार करने में अन्यथा असमर्थ है, वहां सम्बन्धित समिति का अध्यक्ष, लेखबद्ध कारणों से आवेदन को विनिश्चित कर सकेगा और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट समिति की आगामी बैठक में उसको प्रस्तुत कर सकेगा और समिति के किसी निश्चय के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे आवेदन पर अध्यक्ष का विनिश्चय, सभी प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन सम्बन्धित समिति का निश्चय समझा जायेगा;

(ग) आवेदन प्ररूपों को पूर्ण करने में विनिधानकर्ताओं की सहायता करना, पूर्ण किये गये आवेदनों को अभिस्वीकृत करना और ऐसे आवेदन को धारा–10 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर कार्यवाही करने और निपटारे के लिए सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों को अग्रेषित करना।

(घ) आवेदनों की प्रास्थिति मानीटर करना और आवेदनों की प्रास्थिति की रिपोर्ट को राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति के समक्ष रखना;

(ङ) जहाँ सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी धारा–10 के अधीन विहित कालावधि के भीतर–भीतर आवेदन पर विचार करने और उसका निपटारा करने में विफल रहा है, वहां विनिधानकर्ता के आवेदन को राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए रखना;

(च) धारा–14 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से आवेदन प्राप्त करना;

(छ) धारा–14 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिधानकर्ता से प्राप्त आवेदनों पर सम्बन्धित विभागों या प्राधिकारियों की टिप्पणियां प्राप्त करना;

(ज) सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी की टिप्पणियां, यदि कोई हो, को धारा 10 के अधीन विहित कालावधि के भीतर–भीतर राज्य प्राधिकृत समिति को प्रस्तुत करना;

(ञ) राज्य प्राधिकृत समितियां या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति को कार्यालयी सहायता प्रदान करना;

(ट) पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना;

(ठ) राज्य प्राधिकृत समिति और जिला प्राधिकृत समिति को ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किये जायें, समनुदेशित किये जा सकेंगे।

(2) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी भी उपधारा (1) में उल्लिखित कार्य करेगी और इसके अतिरिक्त उद्यमियों को निम्न सम्बन्धित पर ब्यौरा देने के लिए एक उद्यमी निर्देशिका तैयार करेगी और उसके नियमित रूप से अद्यतन करेगी–

(क) राज्य और केन्द्रीय औद्योगिक नीतियां;

(ख) विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यक अनुज्ञापन प्राप्त करने की प्रक्रिया;

(ग) राज्य की औद्योगिक प्रास्थिति और उपलब्ध विशेषता पर सूचना;

(घ) अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और एक औद्योगिक उपक्रम पर लागू होने वाले, उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम; और

(ङ) उद्यमियों के लिए उपयोगी अन्य कोई जानकारी।

संयुक्त आवेदन–प्ररूप

6. (1) सरकार, या तो भौतिक या इलैक्ट्रोनिक रूप विधान में, एक जैसा आवेदन प्ररूप विहित करने के लिए सक्षम होगी, जो–

(क) केन्द्रीय विधियों के अधीन प्ररूपों, और

(ख) उत्तराखण्ड विधियों के अधीन विद्यमान प्रारूपों के स्थान पर नये प्ररूपों या उपांतरित प्रारूपों से मिलकर बनेगा।

(2) सभी सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी कार्यवाही करने के लिए अपेक्षित अनुज्ञा जारी करने के लिए ऐसा आवेदन प्ररूप स्वीकार करेंगे।

7. (1) प्रत्येक उद्यमी, नोडल एजेंसी को आवेदन प्रारूप प्रस्तुत करने के समय, ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाये, नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित किया गया एक स्व–प्रमाणन देगा कि वह सुसंगत विधियों के लागू होने योग्य उपबंधों का अनुपालन करेगा। शपथ पत्र ऐसे प्रारूप पर दिया जायेगा, जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय। स्वप्रमाणन

(2) उद्यमी द्वारा दिया गया स्वप्रमाणन प्रत्येक विभाग व प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापन जारी करने व मंजूरी करने के उद्देश्य के लिए एवं उद्यमियों को अन्य लाभ दिये जाने के लिए स्वीकार किया जायेगा।

8. (1) आवेदन प्रारूप और अनुज्ञापन के लिए शुल्क– आवेदन प्रस्तुत करने एवं निस्तारण करने की प्रक्रिया

(क) कोई भी आवेदक, जो उत्तराखण्ड राज्य में एक उद्यम स्थापित करने का इच्छुक हो, ऐसे संयुक्त आवेदन पत्र पर ऐसी फीस के साथ, जो सरकार द्वारा विहित की जाय, नोडल एजेंसी को आवेदन करेगा;

(ख) शुल्क, जैसा कि ऊपर विहित किया गया है, किसी प्राधिकारी अथवा विभाग द्वारा किसी केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत विहित शुल्क यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा उस नियम के अन्तर्गत विहित हो;

(ग) अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा शुल्क से समुचित छूट हेतु अधिसूचित किया जा सकेगा और सूक्ष्म उद्यम शुल्क भुगतान से मुक्त रखे जा सकेंगे।

शुल्क की दर–

लघु	–	रूपये 1000/–
मध्यम	–	रूपये 5000/–
बृहत/भारी	–	रूपये 10000/–

(2) अनुज्ञापन के लिए आवेदन की प्राप्ति के बाद नोडल एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं संतुष्ट होगा कि आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, यदि ऐसा है, तो आवेदन प्राप्ति के संकेत के रूप में पावती देगा।

(3) नोडल एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पावती दिये जाने के बाद वह आवेदन पंजिका में अनुज्ञापनों के लिए आवेदन की प्रवृष्टि करेगा। प्रत्येक कार्यदिवस के अंत में नोडल एजेंसी के प्रमुख द्वारा आवेदनों की पंजिका की जाँच की जायेगी और सही होना प्रमाणित किया जायेगा।

(4) सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को धारा–10 में विहित कालावधि के भीतर–भीतर आवेदन–पत्र के सुसंगत भाग भेजे जायेंगे।

(5) सम्बन्धित सक्षम अधिकारी धारा–10 में विहित कालावधि के भीतर–भीतर आवेदन–पत्र पर कार्यवाही करेगा और अपने निर्णय से नोडल एजेंसी को अवगत करायेगा।

(6) सक्षम विभाग या प्राधिकारी विहित कालावधि में नोडल एजेंसी द्वारा मांगी गई टिप्पणी देगा और यदि सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी उपर्युक्त कालावधि के भीतर–भीतर टिप्पणी प्रदान करने में विफल रहता है, यह समझा जायेगा कि सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी को आवेदन पर अनुज्ञापन देने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है।

(7) अतिरिक्त सूचना मांगने के लिए सक्षम प्राधिकारी की शक्ति–

(क) अपने निर्णय से अवगत कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी यदि आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना मांगना आवश्यक समझता है, तो अनुज्ञा के लिए आवेदन की प्राप्ति के बाद धारा–10 में विहित कालावधि के भीतर–भीतर नोडल एजेंसी को सूचना देते हुए उसको मांग सकता है;

(ख) इस संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा चाही गई अतिरिक्त सूचना, आवेदक द्वारा सीधे सक्षम अधिकारी को नोडल एजेंसी को सूचित करते हुए निहित कालावधि के भीतर–भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। हालांकि ऐसी अतिरिक्त सूचना केवल एक बार ही मांगी जायेगी और न कि टुकड़ों में बार–बार;

(ग) कोई अतिरिक्त सूचना मांगे जाने की स्थिति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोडल एजेंसी को निर्णय से अवगत कराने के निर्धारित समय की गणना अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से की जायेगी;

(घ) ऐसी स्थिति में यदि नोडल एजेंसी द्वारा यह पाया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाही गई सूचना अनापेक्षित है या यह उपरोक्त खण्ड (क) के अन्तर्गत निहित समय के बाद चाही गई है, तो यह समझा जायेगा कि अतिरिक्त सूचना की कोई भी आवश्यकता नहीं थी और निर्णय से अवगत कराने की कालावधि की गणना अनुज्ञापन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की मूल तिथि से की जायेगी;

(ङ) सम्बन्धित नोडल एजेंसियों द्वारा आवेदनों की अनुज्ञाओं की प्रास्थिति की आख्या अध्यपेक्षित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी का कोई आक्षेप या सुझाव नहीं है।

अनुज्ञापन के लिए आवेदन के निस्तारण में विलम्ब

13. (1) राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति के संज्ञान में यह आने की दशा में कि सक्षम प्राधिकारी के किसी अधिकारी, या कार्मिक ने आवेदनों के अनुज्ञापन हेतु निपटारे में बिना किसी औचित्यपूर्ण आधार या किसी तुच्छ या द्वेषपूर्ण आधार पर विलम्ब किया है, तो ये, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु एवं सुसंगत नियम के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्य करने हेतु उचित आदेश निर्गत कर सकती है।

(2) इस धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत आदेश निर्गत होने के बाद आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर–भीतर सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी, दोषी अधिकारी या कार्मिक के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

अनुकूलित पैकेजों, छूटों या शिथिलीकरण की मंजूरी

14. जहां सरकार या उसके अधीनस्थ कोई भी अन्य प्राधिकारी ऐसे अनुकूलित पैकेज रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण मंजूर करने के लिए किसी भी उत्तराखण्ड विधि के अधीन सशक्त किया गया हो, वहां सरकार, राज्य सरकार में विनिधान को सुकर बनाने की दृष्टि से ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, राज्य में किसी उद्यम या उद्यमों के प्रवर्ग को अनुकूलित पैकेज, रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण मंजूर कर सकेगी।

15. (1) किसी उद्यमी द्वारा, इच्छा पत्र अथवा सहमति पत्र जिसके अनुसार रियायत दी गई हो, की किसी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में इस प्रकार दी गई रियायत की राशि वसूल कर ली जायेगी। हालांकि इस नियम के अन्तर्गत तब तक कोई वसूली नहीं की जायेगी जब तक कि निदेशक उद्योग द्वारा इस संदर्भ में एक आदेश निर्गत नहीं किया गया हो। रियायतों की वसूली

(2) इस धारा के उपधारा (1) में उल्लिखित एक आदेश निर्गत करने से पूर्व निदेशक उद्योग दोषी उद्यमी को एक सुनवाई का अवसर देंगे।

16. कोई भी विनिधानकर्ता– अपील

(1) सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से व्यथित होने पर राज्य साशत समिति को,

(2) जिला प्राधिकृत समिति के आदेशों से व्यथित होने पर राज्य प्राधिकृत समिति को,

(3) राज्य प्राधिकृत समिति के आदेशों से व्यथित होने पर सरकार को,

अपील किये जाने वाले आदेश की विनिधानकर्ता द्वारा प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर अपील कर सकेगा।

17. (1) कोई भी उद्यमी, जो नोडल एजेंसी या दूसरे विभाग या प्राधिकारियों को दिये गये स्वप्रमाणन की शर्तों या शपथ का पालन करने में विफल रहता है, दोष सिद्ध होने पर जुर्माने के दण्ड योग्य होगा, जो पहले अपराध पर रूपये 5000.00 तक का हो सकता है और दूसरे या अधिक अपराधों के लिए रूपये 10000.00 तक जुर्माना हो सकता है। दण्ड

(2) विधेयक के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही में विलम्ब करने के लिए सम्बन्धित उत्तरदायी लोकसेवक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्राविधान होगा।

कम्पनियों आदि द्वारा अपराध

18\. (1) इस अधिनियम के अधीन कम्पनी द्वारा किया गया अपराध, कम्पनी के साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध घटित होने के समय कम्पनी के कार्यों के लिए प्रभारी हो और उत्तराधिकारी हो, अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्डित होने योग्य होगा:

परन्तु यह कि इस उपधारा में कुछ भी अन्तर्विष्ट न हो किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड देने योग्य नहीं होगा, यदि वह सिद्ध करता है कि अपराध बिना उसके संज्ञान के हुआ या उसने सम्पूर्ण उचित प्रयास किये थे, ऐसे अपराध को घटित होने से रोकने के लिए।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन, सहमति या मिलीभगत से किया गया अपराध या किसी निदेशक, प्रबन्धन, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से लापरवाही के कारण घटित अपराध के लिए निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी, उस अपराध के लिए दोषी समझे जायेंगे और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने ओर दण्डित होने के योग्य होंगे।

स्पष्टीकरण– इस धारा के उद्देश्यों के लिए–

(क) "कम्पनी" से किसी भी कॉरपोरेट और एक फर्म या व्यक्तियों के दूसरे संघों से अभिप्रेत है;

(ख) "निदेशक" एक फर्म के सम्बन्ध में भागीदार या फर्म में मालिक से अभिप्रेत है।

पुनरीक्षण

19\. (1) किसी उत्तराखण्ड विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी सरकार, या तो स्वप्रेरणा से या उसको इस निमित्त किये गये आवेदन पर, किसी भी सक्षम प्राधिकारी या राज्य प्राधिकृत समिति या किसी जिला प्राधिकृत समिति के समक्ष की किसी कार्यवाही का अभिलेख मंगवा सकेगी और उसमें की कार्यवाही या उसमें पारित आदेशों के औचित्य का परीक्षण कर सकेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदेश लोकनीति के विरूद्ध नहीं है, न ही विधि के उपबंधों के विरूद्ध है।

24\. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार राज–पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

25\. (1) सरकार, साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र के अवसान के पूर्व, राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण, उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–25 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह कि उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर विधेयक, 2012

*सिंचाई, बाढ़ एवं राजस्व मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, भारत वर्ष की प्रमुख नदियों का उत्तराखण्ड उद्‌गम स्थल है। उत्तराखण्ड की आर्थिक स्थिति के लिए आवश्यक हो जाता है कि जो प्रदेश में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन हैं, प्रदेश में प्रचुर मात्रा में जो जल सम्पदा है, उसका दोहन विद्युत उत्पादन द्वारा किया जा रहा है और भविष्य में भी इसकी अपार सम्भावनाएं हैं। मान्यवर, इसलिए जम्मू कश्मीर राज्य की भांति वाटर टैक्स लिये जाने का, एक अधिनियम बनाने के लिए हम प्रस्ताव को लाये हैं। मान्यवर, वर्ष 2010 में जम्मू कश्मीर में वाटर रिसोर्सेज रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट, 2010 पारित किया था और यह बिल 11–11–2010 से लागू हो गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में निर्मित सभी जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग किये गये पानी की मात्रा पर 25 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर जलकर लिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह व्यवस्था अन्य देशों, आस्ट्रेलिया, इंग्लैण्ड, यूरोप में भी लागू है। मान्यवर, इस अधिनियम के लागू होने से जम्मू कश्मीर को लगभग 800 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्त हो रहा है। मान्यवर, वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में लगभग 30 छोटी–बड़ी जल विद्युत परियोजना से लगभग 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और इन परियोजनाओं द्वारा लगभग 70000 मिलियन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्यूबिक मीटर पानी प्रति वर्ष विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। यदि इस जल मात्रा पर 25 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर की दर से जलकर लगाया जाता है तो राज्य को लगभग 1700 करोड़ रूपये का राजस्व प्रतिवर्ष प्राप्त होगा। मान्यवर, जो जल हम दे रहे हैं, उस पर टैक्स लगाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय, अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जाएंगे।

मान्यवर, अच्छा प्रस्ताव आपका है, आज जितने भी विधेयक आए हैं, सबमें कुछ न कुछ कर ले रहे हैं, तो सरकार की हालत वास्तव में खराब है। कहीं न कहीं से पैसा आना चाहिए। पानी से आ जाए तो ठीक है। हम इसका बहुत बड़ा विरोध नहीं करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जल, जो आप और हम ले रहे हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियों से, उस पर सीधा नियंत्रण तो हमारा है नहीं। तो कर कहाँ से लेंगे? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 के प्राविधानों के भी यह विपरीत है क्योंकि गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से बिना केन्द्र की सहमति के कुछ ले ही नहीं सकते क्योंकि जो पुनर्गठन विधेयक है, उसमें साफ लिखा हुआ है, जल स्रोतों का प्रबन्धन और विकास, इसकी धारा–80(1) के आधार पर एक गंगा प्रबन्धन बोर्ड का गठन किया गया है। जब गंगा प्रबन्धन बोर्ड का गठन किया गया है, उस बोर्ड में पूरे देश भर के लोग हैं, जहाँ–जहाँ से गंगा जाती है, भागीरथी जी जाती हैं, वहाँ के लोग इस बोर्ड में हैं। अब अगर आप इससे जलकर लेते हैं, तो हमारी शंका है, क्या आपने उस बोर्ड के सामने इस डॉक्यूमेंट को, इस विधेयक को प्रस्तुत कर दिया है, क्या आपने उनसे आज्ञा ले ली है? एक निराकरण इसका चाहिए। दूसरा, हमारे पास जल निगम, जल संस्थान पहले से बने हुए हैं और विद्युत विभाग भी हमारे पास पहले से बना हुआ है। फिर आप कौन सा बोर्ड बनाने जा रहे हैं। इसमें जो धारा–21 आपने बनाई है, उसके अनुसार आप एक आयोग बना रहे हैं, जब हमारे पास जल निगम है, जल संस्थान है और सिंचाई विभाग है, तो एक तरफ तो हमारे पास पूरे डिपार्टमेंटस हैं, उन्हीं से हम काम चला सकते हैं, दूसरी ओर हम एक और आयोग बनाकर इस गरीब राज्य के ऊपर क्यों थोपना चाह रहे हैं। इसमें आपने प्रोविजन किया है" अध्यक्ष की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जायेगी, जो राज्य सरकार में सचिव या उससे उच्च पद पर कार्यरत हैं या रहे हैं तथा जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि, प्रशासन या प्रबंधन से सम्बन्धित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव है या जिन्होंने इन समस्याओं से निपटने की क्षमता

प्रदर्शित की है। आयोग के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठा और अनुभवी होंगे।'' यह तो बाद की बात है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें आप जनप्रतिनिधियों को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष जनप्रतिनिधि क्यों नहीं हो सकते हैं, इसमें मेरा सुझाव है कि सरकार को चाहिये, धारा-21 में यह व्यवस्था रखनी चाहिए कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, अधिकारी ही न हों, अभियंता भी हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं, उद्योगपति भी हो सकते हैं, इन्टरप्रिन्योर, जो यहाँ उद्योग लगाने आते हैं, वह भी उसके बहुत बड़े एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। जब आप सदन में ऐसी संस्थाओं का प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं, तो जो विधायक हैं, उनको कहीं पर भी नहीं रखा जा रहा है। यह प्रोविजन पहले से होता था कि यदि आप कोई बोर्ड बना बना रहे हैं तो उसमें एक या दो विधायक रखे जाते थे। ताकि यदि कहीं पर ब्यूरोक्रेसी बिदकती है तो जो पॉलिटिकल बिल वाले लोग होते हैं, वहाँ पर जाकर स्थिति को सम्भाल लेते हैं। यदि कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिकल लोग इधर-उधर होते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के समझदार लोग उनको समझाते हैं कि यह ऐसे ठीक होगा। इसलिये आपको इसमें यह संशोधन करके रखना चाहिये और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि आपका यह पूरा एक्ट कहीं असंवैधानिक न हो जाय। अगर आप कोई एक्ट बना रहे हैं तो उसमें उत्तराखण्ड के मूल निवासी का भी प्रोविजन होना चाहिये। यदि कोई यहां के व्यक्ति प्रोजक्ट लगाना चाहते हैं तो उनके लिए आपने क्या प्रोविजन रखे हैं, कम से कम ये भी तो सदन को पता लगे। कल के दिन यहां के कोई उद्योगपति यहां पर उद्योग लगाने के लिये उद्यत होते हैं, सरकार को एप्लीकेशन देते हैं, यदि उनके लिये आप कोई विशेष प्रोविजन नहीं करेंगे, तो वे तो पूरे सदन से पूछेंगे कि आप भी तो वहां पर थे, आपने क्या किया।

मान्यवर, इसमें आप यहां के लोकल लोगों के लिये एक मेगावाट का क्या रखेंगे, दो मेगावाट का क्या रखेंगे, पाँच मेगावाट का क्या रखेंगे, 20 से ऊपर रखेंगे तो क्या रखेंगे, यह प्रोविजन भी इसमें कहीं देखने को नहीं मिला है। संविधान के अनुच्छेद-253 (क) के अनुसार यह सारी व्यवस्थायें हमारे यहां उत्तराखण्ड में ग्राम पंचायतों को दी गई हैं। जब सारी व्यवस्थाएं हमने ग्राम पंचायतों को दी हैं तो फिर हम ऊपर से कर क्यों ले रहे हैं, ग्राम पंचायतों से कर क्यों न लें, जहां-जहां वह क्षेत्र पड़ते हैं या जहां पर यह प्रोजेक्ट लगते हैं, वह जिस ग्राम पंचायत का आता है, फिर हम इसको क्यों ले रहे हैं। जो यह जल का विषय है, उसके लिये आपको केन्द्र से परमीशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि यह अकेले राज्य सूची का विषय नहीं हो सकता है, यह समवर्ती सूची में है, दोनों का विषय है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपने इसके लिए केन्द्र से पूछ लिया है, उनसे परमीशन ले ली है, क्योंकि कल के दिन आपका एक्ट ही असंवैधानिक न हो जाय। इसमें काफी खामियां हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय और जो कमियां रह गई हैं, उनका निराकरण कर लिया जाय तथा इसी के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह ठीक है कि आज एक ऐसा एक्ट, कानून प्रदेश की विधान सभा में आ रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है यदि हम जल लेते हैं और राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक हो, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी चीज यह है मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने इसका अध्ययन किया होगा कि जो हमारी संघ सूची है, संघ सूची के 56 में दिया है कि कोई भी जो अन्तर्राज्यीय नदी है उसका अधिकार कितना राज्य का होगा। इसमें कहा है कि उस सीमा तक अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी दोनों को विनियम और विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन है ऐसे विनियम और विकास को संसद विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित करें। अभी हमारी गंगा को राष्ट्रीय नदी के तौर पर भारत सरकार ने घोषणा की। यदि वो उसमें आ रहा है तब कहीं न कहीं अगर कोई व्यक्ति भी कोर्ट में जाता है तो पूरे के पूरे एक्ट पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जायेगा और जो हम चाहते हैं कि जल्दी हो, वो देर में होगा। दूसरा जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह उद्गम स्थल हैं, यहां से जो नदी निकलती हैं, वो केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। अगर गंगा नदी की बात करें तो 05 राज्यों में जाती है। उन 05 राज्यों का किस राज्य का कितना अधिकार है। ये जो पुनर्गठन एक्ट में प्राविधानित है कि जब तक पाँचों राज्य बैठकर कोई राय नहीं बना लेंगे या उन पाँचों का भारत सरकार तय करेगा। कल को ऐसा न हो कि हम लोगों ने यहां लगा दिया और लगाने के बाद कोई व्यक्ति कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद कोई स्टे वगैरह हो गया तो एक बार ये मंत्री जी जरूर देख लें या बता दें कि इस सम्बन्ध में जो कानूनी राय है, उसे पूरा कर लिया गया है। जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं या अन्य नदियाँ हैं, जो कई राज्यों में जाती हैं, अन्तर्राज्यीय नदी हैं सब पर इस टैक्स की सीमा में उन सबको लेकर आयेंगे या केवल जो स्रोत, प्रस्तावना में आपने कहा है, आपने कहा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य में अवस्थित प्रत्येक जल स्रोत राज्य की सम्पत्ति हैं। किसी व्यक्ति समूह, निकाय, निगम, कम्पनी, सोसाईटी, समुदाय में निहित ऐसे जल संसाधनों का कोई तट स्वामित्व उपयोग का अधिकार अधिनियम प्रारम्भ होने की तिथि से समाप्त करते हुए राज्य में निहित समझा जायेगा, लेकिन इसमें साथ–साथ कहा कि अन्तर्राज्यीय सीमाओं की नदियों, अन्तर्राज्यीय उद्योग के दायरे में आने वाली नदियों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार का अधिकार केवल गैर अक्षय शील उपयोग तक सीमित रहेगा। ये आपने इसकी जो सामान्य प्रस्तावना दी, उसमें कहा है और उसके बाद यदि आप कह रहे हैं कि उन सारी नदियों पर आप जल कर लेंगे, तब यह कैसे सम्भव हो पायेगा। आपका अधिकार क्षेत्र कितना है, इसको माननीय मंत्री जी क्लीयर कर दें, निश्चित रूप से यह एक ऐसा कानून बनेगा जिसके कारण आर्थिक संसाधन राज्य को और मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन कोर्ट की पेचीदगियों में यह कानून फंस न जाय।

श्री विक्रम सिंह नेगी–

मान्यवर, टिहरी में विश्व के दूसरे नम्बर का बांध और एशिया का प्रथम नम्बर का बांध बनाया गया है। 70 किलोमीटर लम्बी झील का निर्माण और 42 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस बांध के निर्माण से 125 गाँव जलमग्न हुए और बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें प्रभावित हुआ जिसके कारण दूरियां बढ़ने से आवागमन न होने के कारण वहां के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो प्रभावित हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि विद्युत उत्पादन पर जल कर में इस पूरे प्रभावित क्षेत्र, जिसमें बड़े स्तर पर भूस्खलन हो रहा है के विकास के लिए, विकास उपकर की व्यवस्था, खासकर प्रताप नगर विधान सभा क्षेत्र और उससे बांध प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर दी जाय।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, माननीय मदन कौशिक जी ने जो पीड़ा जाहिर की है और मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पिछली तत्कालीन सरकार द्वारा और जिस सरकार में हमारे माननीय मदन कौशिक जी वरिष्ठ मंत्री थे। उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन जल कर विधेयक को तत्कालीन मंत्रिमण्डल द्वारा 21.11.2011 को निर्णय लिया गया और 09 दिस0 2011 उक्त विधेयक को अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किये जाने का निर्णय तत्कालीन मंत्रिमण्डल द्वारा लिया गया। यह आपके संज्ञान में भी होगा। लेकिन इसी दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के पश्चात् महामहिम राज्यपाल द्वारा इसको वापस कर दिया गया। मेरा कहना है कि जिस समय यह विधेयक सदन में आ रहा था, उससे पहले ही आचार संहिता लागू हो गई। उसी दौरान आपने सारे बिन्दुओं पर चर्चा भी की होगी, जो आज आपत्ति दर्ज कर रहे हैं उसका भी निस्तारण करने के लिए आपने पहल की होगी। मेरा स्पष्ट मानना है कि जो नदियाँ इस प्रदेश में प्रवाहित हो रहीं है और जिनमें विद्युत उत्पादन हो रहा है। उसमें हम वाटर टैक्स लेंगे। यह भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आपने इंगित नही किया, उस दिशा में आपने नहीं कहा कि इससे जनता को भार होगा। आपने इसका उल्लेख नहीं किया । मैं साफ कहना चाहता हूँ कि जल आयोग बनने के बाद निश्चित रूप से उत्तराखण्ड के जो हैं, उनको छूट दी जायेगी, इस तरह का प्राविधान हम लोग करेंगे। बाहरी जो राज्य के हैं, वहाँ पर इस व्यवस्था को लागू किया जायेगा, उनसे टैक्स लिया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह संघ सूची का विषय है, कुछ समवर्ती सूची का विषय है कुछ राज्य सूची का विषय है जो भारत के संविधान में प्राविधित है। इनमें बात यह थी कि गंगा नदी अभी राष्ट्रीय नदी घोषित हो गई थी, उसमें लिखा है कि वह संघ सूची का विषय हो जायेगा। अगर संघ सूची का हो गया तो आपका अधिकार क्षेत्र खत्म हो जायेगा।

यदि वह अन्तर्राज्यीय सूची का विषय है तो वह 05 राज्यों में जब उत्तराखण्ड राज्य बना था उस समय हमारा जो एक्ट बना था उसके अनुसार पाँचों राज्य बैठकर तय करेंगे और वह भारत सरकार पर निर्णय छोड़ दिया था। कहीं ऐसा न हो कि हम लोग इसको कर भी रहे हैं, अच्छी चीज है हमने कहा कि इसको करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम कोर्ट के पचड़े में फंस जायें। मैं जानना चाह रहा था कि इस चीज को आपने क्लीयर किया या नहीं।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सेन्ट्रल इलैक्ट्रीसिटी एथोरिटी तथा सेन्ट्रल वाटर कमिशन ने माना है कि जल राज्य सूची में है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर विधेयक, 2012 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–48 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर विधेयक, 2012

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या..........वर्ष 2012)

विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिरोपित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

सामान्य

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

(4) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में कोई बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

परिभाषाएं

2\. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर के लिए अधिनियम की धारा–21 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड राज्य आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "विद्युत" से राज्य की सीमान्तर्गत बहने वाले जल से विद्युत उत्पादन अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "अधिसूचना" से राज्य के राजपत्र में अधिसूचित अधिसूचना अभिप्रेत है और पद "अधिसूचित" तद्नुसार किया जायेगा;

(च) "उपयोगकर्ता" से विद्युत के उत्पादन के लिए किसी स्रोत से जल लेने की सुविधा के उपभोग को इस अधिनियम के अध्याय दो के अधीन जल लेने वाले अथवा अन्य कोई प्राधिकृत के ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, स्थानीय निकाय, राजकीय विभाग, कम्पनी, निगम, सोसाइटी इत्यादि अभिप्रेत है;

(छ) "जल" से प्राकृतिक संसाधन यथा नदी, जल, धारा, नहर, नाला, या अन्य स्रोत जिसमें प्राकृतिक रूप से जल का प्रवाह होता हो या तालाब, झील, दलदल, झरना आदि अभिप्रेत है;

(ज) "जल स्रोत" से नदी, सहायक नदी, जल धारा, नाला, नहर, झरना, तालाब, झील या अन्य स्रोत अभिप्रेत है, जिससे विद्युत उत्पादन हेतु जल उपलब्ध होता है;

(झ) "जल कर" से इस अधिनियम के अधीन नियत और विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोग किये जाने हेतु अधिरोपित दर अथवा अधिभार अभिप्रेत है।

अध्याय–2

प्रस्तावना

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य में अवस्थित प्रत्येक जल स्रोत राज्य की सम्पति है और किसी व्यक्ति, व्यक्ति समूह या अन्य निकाय, निगम, कम्पनी, सोसायटी या समुदाय में निहित ऐसे जल संसाधनों पर कोई तट स्वामित्व या उपयोग का अधिकार, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से समाप्त करते हुए सरकार में निहित समझा जायेगा। तथापि, अन्तर्राज्यीय स्वभाव की नदियों और अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के दायरे में आने वाली नदियों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार का अधिकार जल के गैर क्षयशील उपयोग तक सीमित रहेगा। सामान्य

(2) कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति समूह, सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, निगम, कम्पनी, सोसायटी या अन्य निकाय, सिवाय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य प्रकार से विद्युत उत्पादन हेतु जल का उपयोग नहीं करेगा।

अध्याय–3

जल विद्युत उत्पादन इकाई के स्थापन द्वारा जल का उपयोग

4. कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, निगम, कम्पनी, सोसायटी या अन्य निकाय, चाहे वह किसी नाम से जाना जाय (जिसे आगे अध्याय में "उपयोगकर्ता" कहा गया है) इस अध्याय में आगे उपबंधित प्राविधानों के अनुसरण में आयोग के अधीन पंजीकृत के सिवाय किसी अन्य प्रकार से विद्युत उत्पादन हेतु किसी जल स्रोत के जल के उपयोग (गैर क्षयशील उपयोग) के लिए आवश्यक योजना संस्थापित नहीं करेगा। जल के उपयोग हेतु योजना का संस्थापन

उपयोगकर्ता द्वारा जल के उपयोग हेतु स्वीकृत योजना का जमा किया जाना

5. कोई उपयोगकर्ता जो विद्युत के उत्पादन के प्रयोजन हेतु जल के उपयोग (गैर क्षयशील उपयोग) की आवश्यकता के लिए योजना संस्थापित करना चाहता हो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत, योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करेगा जिसके साथ पंजीकरण हेतु आयोग द्वारा नियत शुल्क और अधिभार संलग्न किया जायेगा।

योजना की स्वीकारोक्ति

6. किसी उपयोगकर्ता से योजना प्रारूप प्राप्त करने के पश्चात् आयोग अधिनियम के अधीन योजना को स्वीकार किये जाने के लिए विचार करेगा।

उपयोगकर्ता को सूचना

7. धारा–6 के अधीन जल आयोग द्वारा योजना स्वीकार कर लेने के पश्चात् आयोग योजना को पंजीकृत करेगा और उपयोगकर्ता को सूचित करेगा कि वह–

(क) निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से आयोग के साथ करार करे, और

(ख) अधिनियम के अध्याय–4 के अधीन निर्धारित शुल्क और जल कर का भुगतान करे।

योजना के संस्थापन का निषेध

8. धारा–10 की अपेक्षाओं का पालन किये बिना जल के उपयोग आवश्यकता हेतु कोई उपयोगकर्ता योजना संस्थापित नहीं करेगा।

जल के उपयोग हेतु पंजीकरण

9. कोई व्यक्ति जल का अपेक्षित उपयोग अथवा जल का किसी अन्य रीति से उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह धारा–10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु इसके लिये प्राधिकृत न हो।

रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र प्रदान करना

10. विद्युत उत्पादन हेतु जल के उपयोग (गैर क्षयशील उपयोग) के इच्छुक व्यक्ति को अधिनियम के अधीन उपयोगकर्ता और आयोग के मध्य करार हो जाने के पश्चात् एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता हेतु कुछ निषेध

11. कोई भी रजिस्ट्रीकरण उपयोगकर्ता राज्य जल आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना–

(क) किसी अन्य उपयोगकर्ता की कंपनी को क्रय द्वारा अधिग्रहीत करने या अन्यथा प्राप्त करने के लिये लेनदेन नहीं करेगा; या

(ख) अपनी उपयोगिता का किसी अन्य उपयोगकर्ता की उपयोगिता के साथ विलयन नहीं करेगा;

12\. (1) रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विद्युत उत्पादन के लिए जल के उपयोग हेतु जल कर का भुगतान करने का दायी होगा। रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के कर्तव्य, दायित्व और उत्तरदायित्व

(2) जहाँ अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किसी उपयोगकर्ता ने जल विद्युत योजना का निर्माण किया है वहाँ ऐसा उपयोगकर्ता, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से छः महीने के भीतर, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करेगा तथा आयोग, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आवेदन प्राप्ति की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रीकरण करने के लिए, आदेश पारित करेगा।

(3) यदि उपयोगकर्ता, उपधारा (2) में उल्लिखित आवेदन करने में या नियत समय में रजिस्ट्रीकरण में विफल रहता है तो आयोग तत्काल उपयुक्त दंड अधिरोपित करेगा जिसे निरन्तर चूक होने पर बढ़ाया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण उपयोगकर्ता किसी भी समय योजना क्षेत्र के निवासियों के जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दायित्व के अधीन होगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण उपयोगकर्ता किसी भी समय योजना क्षेत्र के भीतर प्रवेश हेतु प्राधिकारी या अन्य अधिकारियों को उनकी संतुष्टि हेतु अनुमति देने के लिये आबद्ध होगा।

13\. (1) आयोग, उपयोगकर्ता को लिखित नोटिस दे कर अपेक्षा कर सकता है कि वह– नियंत्रण और सुरक्षा प्रावधान

(क) आयोग की संतुष्टि हेतु प्रक्रिया के अनुसार तथा आयोग द्वारा योजना हेतु विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तराल में, एक विशेषज्ञ द्वारा आवधिक निरीक्षण करवाये।

(2) उपयोगकर्ता निम्नलिखित कार्यकलापों के संचालन हेतु आयोग द्वारा इस निमित्त निर्धारित शुल्क व अन्य प्रभारों का आयोग को भुगतान करेगा–

(क) आयोग का इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी का विशेषज्ञ द्वारा आवधिक निरीक्षण;

(ख) उपयोगकर्ता की योजना के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन आयोग द्वारा निष्पादित या निष्पादित करवाये जाने के लिये कोई अन्य क्रियाकलाप।

अध्याय–4

उपयोगकर्ता द्वारा लिए जाने वाले जल का निर्धारण

उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किये जाने वाले जल का निर्धारण

14. (1) आयोग योजना के परिक्षेत्र के भीतर या विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग के जल के मापन के उद्देश्य से आयोग जहां उचित समझे, प्रवाह मापन उपकरण संस्थापित करेगा, या करायेगा या उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किये गये जल के निर्धारण हेतु कोई अप्रत्यक्ष तरीका अपना सकेगा।

(2) आयोग, उपयोगकर्ता के परिक्षेत्र में या उसके स्थल पर या आयोग द्वारा निर्देशित स्थान पर आयोग द्वारा अनुमोदित विशिष्टताओं के अनुरूप प्रवाह मापन उपकरण लगवायेगा या उपयोगकर्ता से लगवायेगा तथा इसके पश्चात् उस उपयोगकर्ता द्वारा इसके लिये किये गये व्यय को उपयोगकर्ता द्वारा देय जल कर में समायोजन किये जाने का निर्देश दे सकेगा।

प्रवाह मापन उपकरण या किसी अन्य फिटिंग को क्षतिग्रस्त करना

15. कोई भी व्यक्ति उपकरण या उपकरण की किसी फिटिंग को जानबूझकर कर क्षतिग्रस्त नहीं करेगा या करायेगा।

जल प्रवाह मापन के उपकरणों में धोखाधड़ी

16. कोई भी व्यक्ति कपट पूर्वक या बईमानी से–

(क) प्रवाह मापन उपकरण के सूचकांक में परिवर्तन नहीं करेगा या आपूर्ति किये गये जल की वास्तविक मात्रा को रिकार्ड करने से नहीं रोकेगा;

(ख) रिकार्ड करने के उद्देश्य से लगाये गये मापन उपकरण द्वारा रिकार्ड किये जाने से पहले जल प्राप्त नहीं करेगा;

(ग) मापन उपकरण से छेड़छाड़ नहीं करेगा या छेड़छाड़ किये गये उपकरण को संस्थापित नहीं करेगा; या

(घ) किसी ऐसे अन्य उपकरण या तरीके का उपयोग नहीं करेगा जो आपूर्ति किये गये जल के सही व उचित अंकन, अंश शोधन या मीटरिंग में व्यवधान डालता हो।

अध्याय–5

जल कर

17. (1) उपयोगकर्ता ऐसी दर से जैसा सरकार इस हेतु अधिसूचना द्वारा नियत करे, जल कर का भुगतान किये जाने हेतु दायी होगा । — जल कर का नियतन

(2) इस धारा के अधीन निर्धारित जल कर की राज्य सरकार समय–समय पर जैसा वह उचित समझे इस धारा के अधीन नियत जलकर की दरों को परिवर्धित, बढ़ा, घटा अथवा अन्तर कर सकेगी।

18. विद्युत उत्पादन के लिये उपयोगकर्ता द्वारा जब कभी जल निकाला जायेगा, आयोग द्वारा प्रत्येक उपयोगकर्ता से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार जल कर की वसूली की जायेगी। — जल कर की वसूली

19. (1) विद्युत उत्पादन के लिये उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गये जल का निर्धारण और उसके जल कर की संगणना आयोग द्वारा की जायेगी। — निर्धारण हेतु प्रक्रिया

(2) उपयोगकर्ता, राज्य जल आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपधारा (1) के अधीन निर्धारित रूप में जल कर का भुगतान करेगा।

(3) यदि कोई उपयोगकर्ता, उस पर देय जल कर का भुगतान नहीं कर पाता है तो उस पर राज्य जल आयोग द्वारा अवधारित किये अनुसार दंड अधिरोपित किया जायेगा। उपयोगकर्ता को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार विस्तारित अवधि के भीतर जल कर के साथ दंड का भुगतान करना होगा। यदि उपयोगकर्ता विस्तारित अवधि के भीतर जल कर के साथ दंड का भुगतान करने में पुनः विफल रहता है तो देयों की वसूली सम्बन्धित जिले के जिला कलेक्टर के माध्यम से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

अध्याय–6

विद्युत उत्पादन पर जल कर के लिए उत्तराखण्ड राज्य आयोग

आयोग की स्थापना

20. (1) सरकार, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से तीन माह के भीतर, अधिसूचना जारी कर अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और निष्पादन करने के लिए विद्युत उत्पादन पर जल कर के लिए राज्य आयोग ज्ञात नाम से एक आयोग की स्थापना कर सकेगी;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन आयोग की स्थापना होने तक प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, अधिनियम के अधीन आयोग की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित आयोग पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा। जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी, इसके पास चल व अचल संपत्ति दोनों के प्राप्त करने, धारण और व्यय करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा इस नाम से वाद लाया या चलाया जा सकेगा।

(3) आयोग का मुख्य कार्यालय उस स्थान पर होगा जिस पर अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार निश्चित करें।

(4) राज्य जल आयोग में एक अध्यक्ष और निर्धारित किये अनुसार अधिकतम दो सदस्य होंगे।

(5) राज्य जल आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा–22 की उपधारा (1) में संदर्भित चयन समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं

21. (1) अध्यक्ष की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जायेगी जो राज्य सरकार में सचिव या उससे उच्च पद पर कार्यरत हैं या रहे हैं तथा जिन्हें इन्जीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि प्रशासन या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव है या जिन्होंने इन समस्याओं से निपटने की क्षमता प्रदर्शित की है

(2) आयोग के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ और अनुभवी होंगे जिन्होंने इन्जीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि प्रशासन या प्रबंधन से सम्बन्धित कठिनाई से निपटने की क्षमता प्रदर्शित की है;

परन्तु यह कि इन व्यक्तियों में से न्यूनतम एक सदस्य जो मुख्य अभियन्ता स्तर के श्रेणी से नीचे का पद धारण न करता हो अथवा इसके समकक्ष जल विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अर्हता और अनुभव प्राप्त हो, नियुक्त किया जायेगा;

(3) आयोग का अध्यक्ष या इसके सदस्य कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे

(4) अध्यक्ष, आयोग का मुख्य कार्यापालक होगा।

22. (1) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के उद्देश्य से, सरकार एक तलाश समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित से संरचित होगी :– सर्च समिति का गठन

(क) मुख्य सचिव	–अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सचिव/सचिव वित्त उत्तराखण्ड	–सदस्य
(ग) प्रमुख सचिव/सचिव सिंचाई उत्तराखण्ड शासन	–सदस्य
(घ) प्रमुख सचिव/सचिव ऊर्जा उत्तराखण्ड शासन	–सदस्य
(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव विधि उत्तराखण्ड शासन	–सदस्य

(2) सरकार, अधयक्ष या किसी सदस्य के निधन, इस्तीफे या हटाये जाने के कारण रिक्त होने की तिथि से एक माह के भीतर तथा अध्यक्ष या किसी सदस्य के अवकाश प्राप्ति या कार्यकाल समाप्त होने से छः माह पूर्व, रिक्ति को भरने के लिए सर्च समिति को निर्देश देगी।

(3) सर्च समिति, निर्देश प्राप्त करने की तिथि से दो माह भीतर अध्यक्ष या सदस्यों का चयन पूर्ण करेगी।

(4) अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति की संस्तुति करने से पूर्व चयन समिति अपनी संतुष्टि करेगी कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उस के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

पद की अवधि और सेवा की शर्तें

23. (1) अध्यक्ष और सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि हेतु पद धारण करेंगे।

परन्तु अध्यक्ष या कोई सदस्य 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेंगे।

परन्तु यह और कि सरकार किसी भी समय लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए सुनवाई का समुचित अवसर देकर अध्यक्ष सदस्य को तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व यथासमिति कार्यावधि निर्धारित कर सकती है।

परन्तु यह भी कि सरकार अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के, जिनकी प्रस्तावित कार्यावधि आदेश द्वारा निर्धारित कर दी गई है, के आदेश को निलम्बित कर सकती है, अथवा यदि सरकार की राय में अध्यक्ष अथवा सदस्य को निलम्बित करने के पर्याप्त और साम्य आधार है।

(2) अध्यक्ष और सदस्यों की वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय;

परन्तु यह कि अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किये जा सकेंगे।

(3) अपने पद में प्रवेश से पूर्व अध्यक्ष और सदस्य ऐसे निर्धारित प्रारूप पर तथा ऐसी रीति से ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, जैसा विहित किया जाय।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या कोई सदस्य न्यूनतम तीन माह का नोटिस सरकार को लिखित में दे कर अपना पद त्याग सकते हैं;

(5) इस पद पर न बने रहने वाला अध्यक्ष या कोई सदस्य–

(क) उस पद को धारण करना बंद करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक सरकार के अधीन नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगा; और

(ख) ऐसे पद को धारण करना बंद करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि हेतु कोई वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार नहीं करेगा।

24. (1) सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकती है यदि वह– *अध्यक्ष अथवा सदस्य को हटाया जाना*

(क) दिवालिया न्यायनिर्णित कर दिया गया हो; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोष हो;

(ग) इस रूप में कार्य करने के लिये शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त कर लिये हों जो कि प्राधिकार में उसमें कार्य करने में प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना रखते हों; या

(2) जहाँ यह प्रश्न आता हो कि यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन करने में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से उपयुक्त न हो अथवा आयोग के कृत्यों में उसका कोई वित्तीय लाभ या अन्य हित निहित हेतु इस विषय में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसका आदेश अन्तिम होगा।

25. (1) आयोग का एक सचिव होगा जो अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन कर्तव्यों का निर्वाह करेगा जो इस हेतु विहित की जायें। *आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारियाँ*

(2) सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी।

(3) अपने कार्यों के निष्पादन में आयोग को सहायता करने के लिये आवश्यक अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, स्वभाव और श्रेणियां, निर्धारित किये अनुसार होंगे।

(4) सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, निर्धारित किये अनुसार होंगी।

(5) आयोग निर्धारित की गई शर्तों और निबंधनों पर आयोग के कार्यों में निष्पादन में उनको सहायता करने के लिये, उपयोगकर्ताओं द्वारा लिये गये जल के निर्धारण और अन्य तकनीकी क्रियाकलापों के लिये इन्जीनियर्स तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति करेगा।

आयोग के कृत्य

26. राज्य जल आयोग निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा; अर्थात्

(क) अधिनियम के अधीन जारी निर्णयों और आदेशों का प्रवर्तन करना ।

(ख) जल कर के सम्बन्धित विवादों का न्याय निर्णय करना।

(ग) शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वाह करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

(घ) विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग में लाये गये जल के प्रवर्तन, नियन्त्रण और मापन हेतु प्रणाली की स्थापना करना।

(ङ) सरकार द्वारा उसको सौंपे गये या निर्धारित किये गये अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

आयोग की शक्तियां

27. (1) अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या कोई कार्यवाही आरम्भ करने के प्रयोजन हेतु आयोग के पास वे ही शक्तियां होंगी जो कि निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किये जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ की खोज और प्रस्तुति;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख की अध्यपेक्षा;

(ङ) साथियों के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना;

(च) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना;

(छ) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाये।

(2) आयोग के पास उसके समक्ष किसी कार्यवाही, सुनवाई या मामले में जैसा वह उचित समझे वैसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी।

(3) आयोग अपने समक्ष कार्यवाहियों में जिसे उचित समझे ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

28. आयोग के समक्ष कार्यवाहियों को न्यायिक–कल्प कार्यवाहियाँ माना जायेगा तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन प्रशासन के अपराधिक प्रभाव के प्रयोजनों हेतु आयोग को सिविल न्यायालय माना जायेगा। आयोग के समक्ष प्रक्रिया

29. आयोग या कोई अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी से नीचे के पद का न हो तथा जिसे आयोग द्वारा विशेष रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, ऐसे किसी स्थान पर भवन में प्रवेश कर सकता है जहां आयोग के पास वह विश्वास करने का कारण हो कि जांच के मामले के विषय से सम्बन्धित दस्तावेज पाया जा सकता है तथा ऐसे किसी दस्तावेज को वह अभिग्रहित कर सकता है या भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन उसकी प्रतियां निकाल सकता है। प्रवेश और जब्त करने की शक्ति

30. आयोग, लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तें, यदि कोई हैं, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, के अधीन अध्यक्ष, किसी सदस्य, सचिव आयोग के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कार्यों धारा–26 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन विवादों के न्याय–निर्णय की शक्तियों को छोड़ कर को प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे। प्रतिनिधायन

31. (1) आयोग के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील योजित नहीं है। उच्च न्यायालय को अपील

(2) ऐसे व्यक्ति को ऐसे निर्णय या आदेश द्वारा उस को आयोग के निर्णय या आदेश के संप्रेषण की तिथि से नब्बे दिन के भीतर उपधारा (1) के अधीन अपील करनी होगी।

32. यदि आयोग के समक्ष कोई शिकायत प्रस्तुत होती है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है अथवा आयोग को उसके द्वारा जारी कोई निर्देश अथवा अधिनियम, आयोग के निर्देशों की अवज्ञा के लिए दण्ड

नियम अथवा विनियोगों के उपबंधों का उल्लंघन करने की सन्तुष्टि हो जाती है तो आयोग ऐसे व्यक्ति को समुचित अवसर देते हुए लिखित में आदेश द्वारा किसी अन्य दण्ड के प्रभावित हुए बिना इस अधिनियम के अधीन दण्ड के लिए दायी होगा और ऐसा व्यक्ति दण्ड के रूप में ऐसी राशि को जैसा आयोग द्वारा प्रत्येक उल्लंघन के लिए निर्धारित किया जाय, भुगतान के लिये दायी होगा और ऐसे दण्ड के भुगतान करने तक असफलता के लिए प्रत्येक दिन हेतु आयोग अधिनियम लगा सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

न्याय निर्णयन की शक्ति

33. (1) अधिनियम के अधीन न्याय निर्णय के प्रयोजन से राज्य जल आयोग सम्बन्धित व्यक्ति को दण्ड के अधिरोपण के प्रयोजन से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् निर्धारित तरीके से जांच करने के लिये अपने किसी सदस्य को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त करेगा।

(2) जांच करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी के पास ऐसे साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उस मामले व उसके तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को बुलाने और हाजिर करने की शक्ति होगी जो साक्ष्य न्याय निर्णायक अधिकारी की राय में जांच के मामले में उपयोगी अथवा सुसंगत हो सकते हैं, तथा यदि ऐसी जांच में वह इस बात से संतुष्ट हो कि वह व्यक्ति अधिनियम के किसी उपबंध के अनुपालन में विफल रहा है तो वह ऐसा दंड अधिरोपित कर सकता है जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वह उचित समझे।

(3) कोई व्यक्ति जो उपधारा (2) के अधीन आदेश से व्यथित है ऐसे आदेश के उपान्तरण या विखण्डन हेतु राज्य जल आयोग के समक्ष, आदेश के तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है।

परन्तु आयोग यथास्थिति अन्य पक्ष या पक्षों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

34. धारा–35 के अधीन दंड की मात्रा अधिनिर्णीत करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी निम्नलिखित कारकों का उचित रूप से ध्यान रखेगा– न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखने योग्य कारक

(क) चूक के परिणाम स्वरूप जहां कहीं मात्रात्मक हो वहां गैर आनुपातिक प्राप्ति या अनुचित लाभ की राशि;

(ख) चूक का पुनरावृत्ति स्वभाव।

35. अधिनियम के अधीन अधिरोपित दंड, प्रतिपूर्ति के भुगतान या उपयोगकर्ता के मामले में उसके पंजीकरण का प्रतिसंहरण जो कि अपराधी को हुआ हो, को सम्बन्ध में कोई अल्पीकरण न हो कर दायित्व के अतिरिक्त होंगे। अन्य दायित्वों पर दंड प्रभावहीन

36. अनुदान, निधियां, लेखे, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट राज्य विधान मंडल द्वारा इस निमित्त किये गये उचित विनियोग के पश्चात् सरकार आयोग को उतनी राशि के अनुदान और ऋण प्रदान कर सकती है जितनी सरकार उचित समझे। सरकार द्वारा अनुदान और ऋण

37. (1) एक निधि की स्थापना की जायेगी जिसका नाम आयोग निधि होगा निम्नलिखित राशियों को जमा किया जायेगा– सरकार द्वारा निधि की स्थापना

(क) सरकार द्वारा आयोग को दिये गये कोई अनुदान और ऋण;

(ख) अधिनियम आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस;

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से राज्य जल आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियां;

(2) इस निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जायेगा :–

(क) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते;

(ख) अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निष्पादन हेतु आयोग के व्यय;

(ग) वस्तुओं तथा अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों पर व्यय।

(3) सरकार, भारत के नियंत्रक ओर महालेखा परीक्षक से परामर्श कर उपधारा के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट व्ययों को पूरा करने के लिये निधि को लागू करने का तरीका निर्धारित कर सकती है।

आयोग के लेखे

38. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सम्बन्धित अभिलेख अनुरक्षित करेगा तथा लेखे के वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूपों में तैयार करेगा जैसे विहित किया जाय।

(2) आयोग के वार्षिक लेखे तथा तुलन पत्र सरकार को अग्रेषित किये जायेंगे और राज्य सरकार इसे प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखेगी।

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

39. (1) आयोग वर्ष में एक बार निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित समय पर पिछले वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को प्रेषित की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति यथा शीघ्र संभव हो, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेंगी।

आयोग का बजट

40. आयोग प्रत्येक वित्त वर्ष में अगले वित्त वर्ष के लिए अपना बजट निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित समय पर तैयार करेगा जिसमें आयोग को अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दिखाये जायेंगे तथा इसे सरकार को अग्रसारित किया जायेगा।

सरकार द्वारा निर्देश

41. (1) अपने कार्य के निष्पादन हेतु राज्य जल आयोग को जनहित के नीति सम्बन्धी मामलों पर समय पर सरकार द्वारा लिखित में दिशा निर्देश दिये जायेंगे।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या किसी दिशा निर्देश में जनहित से सम्बन्धित मामला है या नहीं तो इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

सदभाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण

42. अधिनियम, नियमों या विनियमों के अधीन तात्पर्यित सदभाव में किये गये किसी कार्य के विरूद्ध सरकार या आयोग या सरकार के किसी अधिकारी या आयोग के किसी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या जन सेवक पर कोई वाद, अभियोजन या कार्रवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

सदस्य, अधिकारी इत्यादि जन सेवक होंगे

43. आयोग का अध्यक्ष, इसके सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अधिनियम के किन्ही उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते हुए या तात्पर्यित कार्य करते हुए दंड संहिता 1860 के अधीन लोक सेवक समझे जायेंगे।

44. इस अधिनियम के उपबंध राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त हैं न कि उसके अल्पीकरण में। अधिनियम के उपबंध अन्य विधियों के अतिरिक्त हैं न कि उनके अल्पीकरण में

45. (1) अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिये सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। सरकार की नियम बनाने की शक्ति

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी या किसी मामले में उपबंध कर सकेंगे–

(क) वह प्रपत्र और तरीका जिसमें धारा–7 के खण्ड (ख) के अधीन करार निष्पादित किया जाना है;

(ख) आवेदन का प्रपत्र व तरीका और धारा–10 के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के लिये भुगतान किये जाने वाला शुल्क;

(ग) धारा–23 के अधीन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन व शर्तें;

(घ) धारा–23 की उप धारा (3) के अधीन वह प्रपत्र और तरीका तथा वह प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत व समक्ष अध्यक्ष और सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे;

(ङ) धारा–25 की उप धारा (1) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निष्पादित किये जाने वाले कर्तव्य;

(च) धारा–25 के उप धारा (2) के अधीन राज्य जल आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का संख्या, स्वभाव और श्रेणियां;

(छ) धारा–25 के उप धारा (4) के अधीन आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें;

(ज) धारा–40 के उप धारा (3) के अधीन आयोग निधि को लागू करने का तरीका; और

(झ) कोई अन्य मामला जो आवश्यक है या निर्धारित किया जाना है।

आयोग की विनियम बनाने की शक्तियां

46\. (1) राज्य जल आयोग सामान्य रूप से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिये अधिसूचना द्वारा अधिनियम से संगत विनियम बना सकते हैं।

(2) अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाये गये सभी विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

नियमों और विनियमों को विधान मंडल के समक्ष रखा जाना

47\. शासन द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम इसके बनने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष रखा जायेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

48\. (1) यदि अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो सरकार शासकीय गजट में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्रावधान निर्मित कर सकती है जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत होते हैं;

परन्तु अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दो वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश इस निर्माण के पश्चात् यथाशीघ्र विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–48 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्रीमति इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अगर सब माननीय सदस्यों की राय हो तो पूरा कर लिया जाय, यदि किसी को कष्ट न हो तो

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012

बाढ़ प्रन्धन मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

मान्यवर उत्तराखण्ड प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। राज्य का अधिकांश भाग उससे आच्छादित है। मान्यवर, मानसून की अवधि के पश्चात् जब नदियों में पानी सीमित मात्रा में रह जाता है तो नदी के भराव क्षेत्र में मानवीय गतिविधि बढ़ जाती है, जिससे अनाधिकृत निर्माण होने लगते हैं तथा नदियों का जल भराव का क्षेत्र अत्यन्त सीमित हो जाता है। वर्तमान में जल भराव क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करने व बाढ़ मैदान के क्षेत्र को जोन के रूप में चिन्हित करना आवश्यक हो गया है, जिससे नदियाँ अपने प्राकृतिक स्वरूप में अवरोधमुक्त बह सकें। मान्यवर, जिन राज्यों में उक्त बिल पारित है वहाँ बाढ़ कार्यों हेतु केन्द्रीय सहायता दिये जाने में भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता प्रदान की जाती है। दिनांक 05.02.2008 को गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की 39वीं बैठक के कार्यवृत्त में बिन्दु संख्या 39.20 से विदित होता है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक का गठन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा उन्हीं राज्यों को बाढ़ योजनाओं के वित्त पोषण में वरीयता दी जाती है जिन राज्यों में उक्त विधेयक गठित हुए हैं। मान्यवर, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित बाढ़ सुरक्षा योजनाओं हेतु निर्गत लाइंस के प्रस्तर 4.5 में व्यवस्था दी गयी है कि जिन राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक पारित किया गया है, उन्हें अन्य राज्यों की तुलना में अधिक महत्व दिया जायेगा। मान्यवर, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 को विधान सभा के समक्ष पुरःस्थापित किये जाने का निर्णय मंत्रि मण्डल द्वारा दिनांक 21.11.2011 को लिया गया था। इसके उपरान्त दिनांक 09.12.2011 को उक्त विधेयक को अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किये जाने का निर्णय माननीय मंत्रि मण्डल द्वारा लिया गया। किन्तु तत्पश्चात् राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप महामहिम राज्यपाल द्वारा उक्त अध्यादेश को वापस किया गया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। इसमें एक चीज देखनी होगी। (व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह संशोधन का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ठीक है। मान्यवर, इसमें एक चीज देखनी होगी। मान्यवर, इसके अध्याय पांच में दिया है, उपयोग, प्रतिषेध और निर्बन्धन या अध्याय चार में भी दिया है। इसमें ऐसा न हो कि जितनी नदियां या क्षेत्र है आजकल वहां पर बसासत बसती है। आपने कहा कि इस तरह के जितने लोग हैं उनको अधिकार देंगे। दूसरी तरफ यह एक कानून बन जायेगा तो उनको आप वहां से हटा देंगे, कहीं उसमें ये लोग फंसे ना, आपको यह भी देखना पड़ेगा। (व्यवधान) इसको कानूनी रूप से देखना पड़ेगा। हमारा इस पर कोई विरोध नहीं है या तो इसको प्रवर समिति को दे दें। अगर प्रवर समिति को देते हैं तो अध्ययन करके यह आ जायेगा, अगर प्रवर समिति को नहीं देना चाहते हैं तो यह आप देख लीजिए, सरकार के सामने कोई दिक्कत खड़ी न हो जाय।

श्री राजकुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूँगा कि देहरादून शहर की जो रिस्पना एवं बिंदाल प्रमुख दो नदियां हैं। मान्यवर, जो इसमें लिया गया है, वहाँ पर लगभग 30 से 40 वर्षों से लोग रह रहे हैं, सरकार द्वारा पानी, बिजली, सड़क सभी मुहैया करा दिया गया है, पुस्ते भी दे दिये गये हैं, तो उन नदियों को इस विधेयक से निकाला जाए, मेरा यह सुझाव है।

*मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक सदन में इसलिए चर्चा और स्वीकृति के लिए लाया गया है, कि जो नदियां हैं वह अपनी सोर्सेज कुछ बदल चुकी हैं। अभी तक हमने इसका कोई परीक्षण नहीं किया है भारत सरकार कहती है कि आप बाढ़ नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठायें, कुछ नदियों ने तो अपना सोर्स ऐसा बदल दिया है कि जहाँ पर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

लोग रह रहे हैं वहाँ पर ये नदियां कभी जायेंगी ही नहीं लेकिन उसको भी ये बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत मानतें हैं, इसमें हमारा जो निरीक्षण होगा उसके विरूद्ध आपत्ति भी होगी, आपत्ति राज्य सरकार में आयेगी, हम यह चाहते हैं कि जहाँ नदी अब बह रही है, जैसा आपने उत्तरकाशी में देखा, कितनी बड़ी तबाही हो गई, जो नदी का बहाव है उसकी तरफ तो हम कोई निर्माण कार्य नहीं होने देंगे, लेकिन जहाँ से नदी हट गई है वहाँ निर्माण कार्य होंगे तो निश्चित रूप से उनको नहीं छेड़ेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो निर्माण हुये हैं ?

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, जी हाँ, जो निर्माण हुये हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, ठीक है, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। प्रस्ताव को वापस लेने की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012" पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–31 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012

(उत्तराखण्ड विधेयक सं0....वर्ष, 2012)

उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख से प्रवृत होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परन्तु यह कि विभिन्न नदियों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों हेतु भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "बाढ़ मैदान" में जल सारणी, बाढ़ सारणी और लगभग जब तक कि प्रसंग या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में नीची भूमि का वह क्षेत्र सम्मिलित है, जो जलप्लावन के कारण आने वाली बाढ़ के लिए सुग्राही हो;

(ख) "बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण" से किस नदी के बाढ़ मैदानों में जहां नदियों और जलधाराओं से जल के अधिप्लावन के कारण मैदान बन जाते हैं, मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध अभिप्रेत है;

(ग) 'बाढ़ क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिससे अधिकतम सम्भावित बाढ़ प्रवाह बहा ले जाना अपेक्षित है;

(घ) 'बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी' से नदी के सम्बन्ध में धारा –3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) 'भूमि' में भूमि के हित, भूमि से उत्पन्न फायदे या भूमि से संलग्न या भूमि से संलग्न किसी भी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी चीजों का समावेश है;

(च) 'अधिभोगी' किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका किसी भूमि में हित है और वह उस भूमि पर स्वयं खेती करता है, अपने सेवक या भाड़े के मजदूर से खेती करवाता है। इसमें काश्तकार भी शामिल है;

(छ) 'स्वामी' से किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका ऐसी भूमि में हित है;

(ज) 'विहित' से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) 'नदी' में उसकी सहायक नदियों का समावेश है;

(ञ) 'जल सरणी' से ऐसी सारणी अभिप्रेत है, जिसमें साधारणः नदी का प्रवाह परिरूद्ध रहता है।

अध्याय–दो

बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी तथा उसकी शक्तियां

3. (1) जहाँ राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह सरकारी राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसी रीति से जो इस अधिनियम में आगे विनिर्दिष्ट की गई है, बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण किया जायेगा। बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की घोषणा

(2) राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि जिन सीमाओं के निर्धारण हेतु नदी का सर्वेक्षण किया जाय, उसके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबंध चार्ट और पंजियां (रजिस्टर) तैयार किये जायं, समस्त सीमाएं, भूमि–चिन्ह और ऐसी सीमाएं अभिनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक कोई अन्य विषय विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में अधिकारी या सरकार के ऐसे अन्य प्राधिकारी को उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के प्रयोजनों के लिए बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसी अधिसूचना में वह उक्त प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्त्तव्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य

4. बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन धारा–3 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों और निबन्धनों के अनुसार करेगा।

अध्याय–तीन

बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के सर्वेक्षण एवं चित्रण

सर्वेक्षण

5. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, नदियों के बाढ़ मैदानों का सर्वेक्षण करेगा और नदियों के बाढ़ मैदानों के स्वरूप और सीमा का अवधारण करेगा।

(2) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किये गये सर्वेक्षण के आधार पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रों की स्थापना करेगा और उन क्षेत्रों का आंकलन करेगा, जिसमें जनसाधारण के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्पत्ति की अभिरक्षा के आशय से बाढ़ मैदान के उपयोग के आपेक्षिक जोखिम के सन्दर्भ में भूमि के वर्गीकरण का भी समावेश होगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन वर्णित क्षेत्र दर्शाते हुए चार्ट और पंजिकाएं तैयार करेगा।

सर्वेक्षण की शक्ति

6. बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा अन्य इस निमित्त सामान्य या विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिये यह विधि पूर्ण होगा कि वह–

(क) अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर प्रवेश करे और उसका सर्वेक्षण कर और उसका स्तर नापे;

(ख) ऐसे स्तरों, सीमाओं और सीमा रेखाओं को चिन्ह अथवा सीमा पत्थर लगाकर चिन्हित करना;

(ग) भूमि नापना;

(घ) धारा–3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सीमाएं अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए समस्त अन्य आवश्यक कार्य करना;

(ङ) जहाँ सर्वेक्षण और स्तर नापना अन्यथा पूर्ण नहीं किया जा सकता और किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल को काटना या उसके किसी भाग को साफ करना विधि सम्मत होगा:

परन्तु यह कि भूमि के ऐसे अधिभोगी को कम से कम इस आशय का सात दिन का नोटिस दिए बगैर (अधिभोगी की इसके लिए सहमति के बिना) कोई बाढ़ परिक्षेत्रण अथवा कोई अन्य अधिकारी या किसी निवास गृह से संलग्न किसी भवन, किसी बगीचे या खुले या बन्द प्रांगण में प्रवेश नहीं करेगा।

नुकसानी का संदाय

7. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा इस निमित्त सामान्य अथवा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जिसने धारा–5 के अधीन किसी भूमि पर प्रवेश किया है, उसे छोड़ने के पूर्व ऐसे किसी भी नुकसान के लिए जो कि भारित हुआ हो, ऐसी भूमि के स्वामी अथवा अधिभोगी को प्रतिकर देगा और इस प्रकार दी गयी राशि की पर्याप्तता के बारे में कोई विवाद होने की स्थिति में बाढ़ परिक्षेत्र प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मामला विनिश्चय हेतु राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसे अपास्त या उपान्तरित कराने के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई भी वाद नहीं लाया जा सकेगा।

अध्याय–चार

बाढ़ मैदानों की परिसीमाओं की अधिसूचना

बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित करने के राज्य सरकार के आशय की घोषणा

8. राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित करने और उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

सार्वजनिक सूचनाएं

9\. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, धारा–8 के अधीन अधिसूचना जारी करने पर क्षेत्र के सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी अधिसूचना का सारांश सार्वजनिक रूप से सूचित करेगा।

(2) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, क्षेत्र में स्थित भूमियों के स्वामियों को सूचनायें व्यष्टितः भी देगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अभिलेख, चार्ट नक्शे, पंजिकायें और अन्य दस्तावेज, नदी सरणी/बाढ़ सरणी और बाढ़ मैदान दर्शाते हुए क्षेत्र का स्वरूप और जिस सीमा तक उसका उपयोग प्रतिषिद्ध अथवा प्रतिबन्धित है, विनिर्दिष्ट करते हुए विनिर्दिष्ट समयों पर आम जनता की जानकारी हेतु कार्यालय में प्रदर्शित करेगा।

आक्षेप

10\. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा–9 में निर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के प्रतिबन्धों या निर्बन्धनों के प्रति आक्षेप करना चाहता हो, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर अपने आक्षेप उपवर्णित करते हुए लिखित विवरण बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा।

(2) उपरोक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी विहित रीति से नोटिस जारी करेगा और सम्बन्धित पक्ष को मामले की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर देने के पश्चात् आक्षेपों पर विचार करेगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, धारा–9 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ उसके अपने प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

राज्य सरकार का विनिश्चय

11\. (1) राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् क्षेत्र की परिसीमाओं में ऐसे परिवर्तन करने का आदेश देगी, जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित करेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध विनिर्दिष्ट सीमाओं परिसीमाओं सहित उक्त नदी पर लागू होंगे:

परन्तु यह कि नदी के भराव क्षेत्र में पूर्व से अवस्थित मानवीय बस्तियों को पुनर्वासित किए जाने की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा अंकित और अनुमोदित क्षेत्र बाढ़ मैदान समझे जायेंगे और सीमाएं, जहाँ आवश्यक हो, सीमा के पत्थरों या अन्य उपयुक्त चिन्हों द्वारा चिन्हित की जायेगी।

(5) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस प्रकार वर्णित ऐसे क्षेत्रों के मानचित्र और पंजिकाएं रखेगा और ऐसे मानचित्र तथा पंजिकाएं कार्यालय के स्थायी अभिलेखों का भाग समझी जायेंगी।

(6) उपधारा (5) के अधीन रखे गये मानचित्र और पंजिकाएं उस जिले के जिलाधिकारी को प्रयुक्त की जायेगी, जिसमें नदी का कोई भाग स्थित है और ऐसे समय पर आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे, जैसा विहित किया जाये।

अध्याय–पाँच

बाढ़ मैदानों के उपयोग का प्रतिषेध एवं निर्बन्धन

बाढ़ मैदान में बाधा आदि के प्रतिषेध की शक्ति

12. (1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सम्पत्ति के हित में या आम जनता की असुविधा को कम करने के हित में बाढ़ मैदानों में गतिविधियाँ प्रतिषेध या निर्बन्धित करना आवश्यक है, वहाँ सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा वह क्षेत्र, जिसमें प्रतिषेध या निर्बन्धन प्रवृत्त किया जाना है और ऐसे प्रतिषेध या निर्बन्धन का स्वरूप और सीमा विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, धारा–8 के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः मास की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं की जायेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, रूढ़ि, करार अथवा लिखित में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बन्धन अभिभावी रहेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना निर्बन्धित अथवा प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कोई गतिविधि आरम्भ नहीं करेगा।

परन्तु यह कि जब कोई व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को इस धारा के अधीन कोई गतिविधि आरम्भ करने के लिए अनुज्ञा के लिए आवेदन करता है और बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के कालावधि के भीतर उक्त व्यक्ति को संसूचित नहीं करता है कि आवेदित अनुज्ञा अस्वीकृत कर दी गई है, वहाँ यह उपधारित किया जायेगा कि बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी ने उक्त अनुज्ञा दे दी है।

शास्ति

13. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा–12 की उपधारा (1) कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों और शर्तों के प्रतिकूल कोई गतिविधि प्रारम्भ या कार्यान्वित करता है या करने का प्रयत्न है तो वह–

(क) जुर्माने से , जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने पर साधारण कारावास से, जो दो मास तक हो सकेगा; और

(ख) खण्ड (क) के अधीन दोष सिद्ध के पश्चात उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रूपये तक का हो सकेगा।

अपराध शमन करने की शक्ति

14. (1) राज्य सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसी शर्तों के, जो कि विहित की जाये, अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ संस्थित होने के पूर्व या पश्चात उस व्यक्ति से, जिसने अपराध किया है या जिस पर कोई अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह है, एक हजार रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकेगा।

(2) ऐसी धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर ऐसे व्यक्ति को अपराध से उन्मोचित कर दिया जायेगा और ऐसे अपराध के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

15. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस तारीख से, जिसको उसे उक्त विनिश्चय की संसूचना दी गई थी, नब्बे दिन की कालावधि के भीतर उस प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाये: — अपील

परन्तु यह कि यदि विहित प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो जाये कि अपीलार्थी ससमय किसी कारणवश नहीं कर पाया था, अपील दाखिल, तो वह नब्बे दिन की कालावधि की समाप्ति पर भी अपील पर विचार कर सकेगा।

(2) विहित प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

16. (1) जहां धारा–15 के अधीन कोई अपील नहीं की गयी है, वहाँ राज्य सरकार बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के किसी आदेश, जाँच या कार्यवाहियों की वैधता, औचित्य या शुद्धता के परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की जांच या कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगी और मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह उचित समझे: — पुनरीक्षण

परन्तु यह कि ऐसे आदेश की तारीख से छः मास समाप्त हो जाने के पश्चात् ऐसा कोई अभिलेख नहीं मंगाया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के किसी भी आदेश में किसी भी व्यक्ति को मामले में सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

अध्याय–छः

प्रतिकर

17. (1) जहां किसी भी व्यक्ति को बाढ़ मैदान में कोई कार्यकलाप हाथ में लेने की अनुज्ञा देने से इन्कार कर दिया गया हो या जहां इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर अधिरोपित, प्रतिषेद्ध या निर्बन्धन के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति का — प्रतिकर का संदाय

कोई नुकसान होता हो तो वहाँ वह ऐसे प्रतिकर के संदाय का हकदार होगा, जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 1 वर्ष 1894) की धारा–23 एवं 24 के अधीन अवधारित भूमि के मूल्य और उस मूल्य के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगा, जो कि उसे उस तिथि में मिलता कि जब किसी कार्यकलाप के क्रियान्वयन की अनुज्ञा मिल गई होती या जब निर्बन्धन अथवा प्रतिषेध अधिरोपित नहीं किया गया होता।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर की धनराशि का आवरण करने में ऐसे किसी भी निर्बन्धन पर विचार किया जायेगा, जिसके कि अध्यधीन वह भूमि, प्रतिकर का दावा करने वाले व्यक्ति के, उस भूमि पर कोई भी कार्य करने या उस भूमि के अन्यथा उपयोग के अधिकार के सम्बन्ध में, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि कि अधीन है।

सहमति से प्रतिकर और प्रभाजन की अवधारण

18. (1) जिस व्यक्ति को धारा–17 के अधीन प्रतिकर संदत्त किया जाना है तथा ऐसी धनराशि का प्रभाजन, जिनमें व्यक्ति हितबद्ध है, उसका निर्धारण प्रतिकर में हितबद्धता का दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी द्वारा, करार द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(2) ऐसे किसी करार के अभाव में, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, ऐसी जाँच जो वह आवश्यक समझे–

(क) धारा–17 के अधीन दिये जाने वाले प्रतिकर की राशि;

(ख) प्रतिकर का ऐसे व्यक्तियों में, जिनका उसमें हितलाभ होने की जानकारी अथवा विश्वास किया जाता है, प्रभाजन अवधारण कर, अधिनिर्णय (अवार्ड) देगा।

परन्तु यह कि जहां प्रतिकर की राशि दस हजार रूपये से अधिक हो, वहाँ राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई अवार्ड नहीं किया जायेगा।

19. (1) कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा, यदि– *प्रतिकर का ग्राह्य नहीं होना*

(क) जहां तक भूमि उस तारीख को जिस दिन इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निर्बन्धन अधिरोपित किये गये थे, प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रवृत्त सारतः वैसे ही निर्बन्धनों के अध्यधीन है; या

(ख) यदि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पूर्णतः–समान निर्बन्धनों के सम्बन्ध में दावेदार या उसके पूर्वाधिकारी, जिसका दावे में हितबद्धता है, भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का पहले ही संदाय कर दिया गया है;

(ग) किसी भी अतिक्रमण को हटाने के लिए।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से कोई गतिविधि आरम्भ की गयी है तो ऐसी गतिविधि से भूमि के मूल्य में वृद्धि पर भूमि के मूल्य का आंकलन करते समय विचार नहीं किया जायेगा।

20. (1) धारा–18 की उपधारा (2) के अधीन बाढ़ परिक्षेत्रण के अवार्ड से व्यथित कोई भी व्यक्ति, लिखित आवेदन द्वारा राज्य सरकार अथवा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार, इस निमित्त प्राधिकृत करे, आवेदन कर सकेगा। *अधिनिर्णय (अवार्ड) के विरूद्ध आवेदन*

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाये और अवार्ड की संसूचना प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन के अन्दर किया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन किये गये आवेदन का निपटारा ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाये।

21. (1) धारा–20 के अधीन आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 05 वर्ष 1908) की धारा 141 के अर्थान्तर्गत कार्यवाहियाँ समझा जायेगा और उसका विचारण करने में निर्देश विनिश्चय करने के लिये सशक्त प्राधिकारी सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। *धारा 20 के अधीन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्राधिकारियों की शक्तियाँ*

(2) जाँच का क्षेत्र राज्य सरकार अथवा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य ऐसे अधिकारी को विनिर्दिष्ट मामले पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा।

विनिश्चय का सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप पर प्रवर्तनीय होना

22. धारा–21 के अधीन निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में प्रवर्तनीय होगा।

अधिनिर्णय के अधीन संदाय

23. धारा–18 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित प्रतिकर अथवा धारा–18 की उपधारा (2) के अधीन अभिनिर्णय दे दिये जाने पर या ऐसे अभिनिर्णय के विरूद्ध धारा–20 के अधीन कोई आवेदन किया जाता है तो प्राधिकृत के विनिश्चय के पश्चात् बाढ़ परिक्षेत्र प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर का संदाय किया जायेगा और ऐसे संदाय पर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 01, वर्ष 1894) की धारा 31 से 35 के उपबन्ध लागू होंगे।

अध्याय–सात

प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति

प्रतिषेद्ध के पश्चात बाधाएं हटाने की शक्ति

24. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन भूमि के किसी स्वामी अथवा अधिभोगी को कोई कार्य करने या अनधिकृत अवरोध हटाने का ऐसे समय के अन्दर जैसे विनिर्दिष्ट किया जाय, निदेश दे सकता है और भूमि का स्वामी अथवा अधिभोगी ऐसा कार्य करेगा और अवरोध हटायेगा।

(2) यदि स्वामी या अधिभोगी, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के अन्दर बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी वह कार्य करवा सकेगा और अवरोध हटवा सकेगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किया गया समस्त व्यय ऐसे स्वामी अथवा अधिभोगी से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

अध्याय–आठ

विविध

25. कोई भी व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन ऐसे प्राधिकारी पर अधिरोपित किसी कार्य का निर्वहन करने से रोकता है, उसके लिये यह समझा जायेगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 45 वर्ष 1860) की धारा 186 के अधीन अपराध किया है। — बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को कोई कार्य करने से रोकना अपराध होगा

26. बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 45 वर्ष 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे। — बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना

27. (1) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, जो ऐसे किसी भी बात के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम अथवा आदेश के अनुश्रवण में सद्भावपूर्वक की गयी हो, या की जानी आशयित हो राज्य सरकार ऐसे किसी प्राधिकारी अथवा व्यक्ति के विरूद्ध नहीं हो सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग या किसी भी कर्तव्य का पालन कर रहा हो। — सद्भाव से कार्यवाही का संरक्षण

(2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसी किसी वाद के लिए कारित या कारित होने के लिए सम्भाव्य किसी नुकसान के कारण राज्य सरकार के विरूद्ध नहीं हो सकेगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम या आदेश के अनुश्रवण में सद्भावपूर्वक की गयी हो या की जानी हो।

28. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित सभी जुर्माने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 2 वर्ष 1974) में उपबंधित रीति से वसूल किये जायेंगे। — जुर्माने की वसूली

29. सिविल न्यायालय को किसी प्रश्न के निस्तारण, विनिश्चित करने या उस पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी, जिसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी — न्यायालय की शक्ति

अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, निस्तारित, विनिश्चित किया जाना या जिस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

नियम बनाने की शक्ति

30. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से पूर्वोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध किए जा सकेंगे–

(क) वह रीति जिससे चार्ट और अभिलेख रखे जायेंगे।

(क) वह प्ररूप और रीति, जिससे धारा–20 के अधीन आवेदन किया जायेगा और वह रीति, जिससे ऐसे आवेदन का निस्तारण किया जायेगा; तथा

(ग) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना हो या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया जाने वाला प्रत्येक नियम बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र 14 दिन की कुल अवधि के एक या दो या अनुवर्ती सत्रों में हो, प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपरोक्त सत्र या अनुवर्ती सत्र के तुरन्त कि नियम न बनाया जाय तो तत्पश्चात् यथास्थिति नियम ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभावित हो जायेगा तथापि ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलकरण का इस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हो। बाद के सत्रों के अवसान से पूर्व यदि सदन उक्त नियम में कोई उपान्तरण के लिये सहमत हो जाता है तथा सदन सहमत हो जाता है।

निरसन और अपवाद

31. (1) उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अध्यादेश, 2012 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–31 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 को प्रवर समिति के सुपुर्द सम्बन्धी प्रस्ताव

राजस्व एवं भूप्रबन्धन मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में राजस्व वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्व के क्षेत्र में लगातार विचार किया जा रहा है। विकास प्राधिकरण और विनियमिति क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन का शुल्क लिया जाता है, इसी तर्ज पर विकास प्राधिकरण और नगर पालिका क्षेत्रों और विनियमिति क्षेत्रों की सीमा के बाहर कृषि के अकृषक कार्य हेतु लैण्ड यूज भू–उपयोग परिवर्तन के लिए इस विधेयक के माध्यम से प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस विधेयक में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–142–143 में संशोधन और इसके अलावा धारा–143–क, 143–ख नाम की नई धारा इसमें सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, धारा–142 का संशोधन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है कि धारा–142 की उपधारा–1 में शब्द "एकान्तिक कब्जे का और उसका" के पश्चात् शब्द "इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन" अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक

प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।) मान्यवर, इस एक्ट पर जो संशोधन विधेयक आज यहां पर लाया जा रहा है, इसमें आज अपनी भूमि पर भी टैक्स देना है, यदि आप अकृषिक कर रहे हैं। ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ। मान्यवर, इसकी धारा–143 में आज तक कभी संशोधन नहीं हुआ उत्तर प्रदेश से लेकर यहां तक। यह अपनी जमीन है, हमारी जमीन है, हमारी घर की जमीन है अगर इस पर टैक्स देना पड़ गया तो यह बड़ी अजीब बात है। मान्यवर, आपने धारा–142 (1) का हवाला दिया। इसमें पहले क्या था कि सक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी समस्त भूमि पर, जिसका वह भूमिधर हो एकान्तिक कब्जे (एलक्यूनिव पजीशन) का किसी भी प्रयोजन हेतु उपयोग करने का अधिकार था। मान्यवर, पूरा अधिकार हमको था, हमारी जमीन है, हम कुछ भी करें, उसमें चाहे मकान बनायें, धान लगायें, फैक्ट्री लगायें, हम कुछ करें यह हमारी जमीन थी, हमें अधिकार था। अब इसमें आप जो संशोधन ला रहे हैं, इसमें आप यह कर रहे हैं कि अब सक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी समस्त भूमि पर, जिसका वह भूमिधर हो एकान्तिक कब्जे का और उसका "इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन" यह आपने नया जोड़ दिया है आपने "इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन" किसी भी प्रयोजन के लिये उपयोग करने का अधिकार होगा। मान्यवर, इससे आपने पूरे एक्ट को प्रभावित कर दिया है। मान्यवर, धारा–143 (1) पहले क्या था जब कोई सक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर अपने खाते या उसमें किसी धारा को कृषि बागवानी अथवा पशु पालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य सम्बर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से असम्बद्ध प्रयोजन के लिये प्रयुक्त करता है तो परगने का अधिकारी सहायक कलैक्टर स्वयमेव अथवा प्रार्थना पत्र पर और जांच करने के पश्चात्, जो नियत की जाय इस आशय का प्राख्यापन कर सकता है।

मान्यवर, इस तरह पहले हम एक साधारण सी अर्जी देते थे और 143 (1) में हम अकृषित घोषित कर देते थे या डिस्ट्रिक कलैक्टर या सहायक कलैक्टर को भी अधिकार था, ये अपनी जांच सरसरी तौर पर करवा सकते थे, मौखिक जांच करवा सकते थे। अगर वे देखते थे कि वास्तव में भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं करवाया जा रहा है तो एक झटके में अकृषित घोषित कर देते थे। मान्यवर, अब आपने साफ लिख दिया है जो धारा 143 (1) आपने बनायी है– जब कोई सक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर अपने खाते या किसी भाग को कृषि बागवानी अथवा पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से असम्बद्ध प्रयोजन के लिये प्रयुक्त करता है तो उसके द्वारा प्रारूप जैसा निर्धारित किया जाय, पर भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में परगने के अधिकारी सहायक कलैक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं ऐसे सक्राम्य अधिकार के

भूमिधर से धारा–143 (क) द्वारा निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त करने के पश्चात इस आशय का प्रख्यान कर सकता है। मान्यवर, यानि कि शुल्क लेना अति आवश्यक है। अब आप एक निर्धारित प्रारूप भी बना रहे हैं। मान्यवर, गांव का एक गरीब आदमी है, वह एक अर्जी देता है कि मेरी इस भूमि को धारा 143 (क) में जेड एल. आर. एक्ट की धारा–143 में अकृषिक कर दिया जाय। आज तक एक अर्जी देता था। मान्यवर, अब उसको निश्चित प्रारूप में अर्जी बनानी है। प्रारूप कब बनेगा, जब नियम प्राख्यापित होंगे तब बनेगा।

मान्यवर, प्रारूप के लिए एक गांव वाले को जाना है, यह कितना जटिल है, दूरदराज में जिसको केवल अर्जी किसी के भी हाथ दे देता था, प्रधान जी, मेरी अर्जी ले जा दीजिए, कोर्ट में लगा दीजिए, इसको अकृषिक घोषित करवाना है, इसको करवा दीजिए, लेकिन अब आपको एक फार्म बनाना है और उसके बाद शुल्क देने के पश्चात ही अपना लेण्ड यूज परिवर्तन कर सकते हैं। यह बहुत ही खराब कानून है, इसका मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया है, यह कानून यहां के हित में नहीं है। इससे पूरे राज्य में यह मैसेज जायेगा कि यह भू–कानून है, हम तो इसे भू–कानून कहेंगे। मान्यवर, क्योंकि अपनी जमीन के लिए निश्चित प्रोफार्मा में हमको अर्जी देनी होगी। अर्जी देने के बाद हमको शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। शुल्क जमा करने के बाद ही अकृषिक हो सकेगी। मैं उसका भूमिधारी अधिकार रखने वाला, स्वामित्व रखने वाला मालिक हूँ लेकिन अंग्रेजों के जमाने से आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार इस सरकार में ऐसा हो रहा है, जो खेदजनक है। उत्तराखण्ड के लिए बहुत ही विपरीत है, यहाँ के लिए किसी भी मायने में ठीक नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, यह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मान्यवर, इसमें धारा–143 (क) आपने जो जोड़ी है, 1000 वर्गमीटर तक आपने शून्य कर दिया "अन्य आवसीय प्रयोजन हेतु सम्बन्धित जिले के कलैक्टर द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्राविधानों के अन्तर्गत, निर्धारित आदेश के दिनांक को प्रचलित सर्किल रेट का 15 प्रतिशत" यानि कि अगर 10 प्रतिशत में किसी की जमीन की कॉस्ट एक लाख रूपये आ रही है, उस दिन सर्किल रेट में तो उसको 10 हजार रूपया देना होगा। अगर कॉस्ट एक करोड़ आ रही है तो पहले दस लाख रूपये प्रबन्ध करना होगा।

मान्यवर, यह तो बिल्कुल गलत है। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, जो धारा 143–ख है, "जाँच एवं शास्ति की शक्ति" इसमें जांच के बाद आप शास्ति कैसे करेंगे, इसमें लिखा है–"यदि कोई संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर कृषि भूमि के अ–कृषिक प्रयोजन हेतु प्रयोग के तीन माह के अन्तर्गत धारा–143 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विहित भू–उपयोग प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित परगने के अधिकारी सहायक कलैक्टर को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण की जाँच करायी जायेगी एवं धारा–143–क द्वारा निर्धारित भू–उपयोग

परिवर्तन शुल्क एवं उपरोक्त प्रयोग की तिथि के दिनांक से नोटिस के दिनांक तक प्रतिमाह भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का 2 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा रूपया 1000 जो भी अधिक हो, शास्ति आरोपित करते हुए तद्नुसार प्राख्यापन किया जायेगा। यदि भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं शास्ति की धनराशि आदेश के तामील के दिनांक से एक माह तक जमा नहीं की जाती है तो इसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।" मेरी जमीन, मैं मालिक और मुझसे मेरी जमीन का टैक्स वसूला जाएगा, भू–राजस्व की तरह से। मान्यवर, यह बिल्कुल काला कानून है, यह किसी भी मायने में पास नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ, हर हालत में इसको वापस लें। अब मैं एक निवेदन और करता हूँ, इसके बजाय आप जेड0ए0एल0आर0 एक्ट की धारा–157 (क) में परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के भाईयों पर रोक लगी हुई है कि वे अपनी जमीन नहीं बेच सकते हैं। इसमें रोक इसलिए लगाई गयी थी कि उस समय स्थितियाँ खराब थीं, लोग डरा धमका कर ले लेते थे, जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। लेकिन आज हमारे लोकतंत्र की 60–65 साल की उम्र हो गयी है लेकिन आज ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं, कई लोग बेचना चाहते हैं, कई लोग उस पर उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन वे लगा नहीं सकते हैं, इसमें शिथिलता क्यों नहीं करते हैं? एक कमेटी बना लें, हमारे जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई हैं, उनकी कमेटी के सामने यह प्रस्ताव रखें तो नम्बर एक पर वह इसको स्वीकार कर लेंगे। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि आज डिजिटल गैप बनाए बिना पी0डब्लू0डी0 की सड़कें स्वीकार नहीं हो रही हैं। अब अगर कहीं से सड़क जा रही है, नाप क्षेत्र में, वहाँ पर और लोगों ने तो अपना अमल दरामद कर दिया और पी0डब्लू0डी0 के नाम पर अपनी जमीन हस्तांतरित कर दी। लेकिन अगर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के भाईयों की जमीन आ गयी, तो वह हस्तांतरित नहीं हो सकती हैं। यह टैक्निकल प्वाइंट है। इससे कई सड़कें रूक गयी हैं। ऐसे प्रोविजन को सब लोग मिल बैठकर ठीक कराएं। यह प्रोविजन बिल्कुल उत्तराखण्ड के विरोध में है और हमारा सख्त ऐतराज है। यह किसी भी मायने में नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आज जितने भी 7–8 एक्ट आए हैं, सब में भू वसूली, सबमें पैसा, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार एक्ट, उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर एक्ट, उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था एक्ट, इसमें पैसा वसूलना उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर, उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की पर कर, यह सब के सब एक्ट आ रहे हैं। जो उत्तराखण्ड के गरीब लोगों को प्रभावित करता है, इसे प्रवर समिति को जाना चाहिए, इसे निरस्त होना चाहिये, मैं यह प्रार्थना आपके माध्यम से सरकार से करता हूँ कि कम से कम ऐसे प्रोविजन तो इसमें नहीं आने चाहिये, यह काला कानून है, अभी तक तीन–चार काले कानून आ चुके हैं, उनसे भी भंयकर है। उत्तराखण्ड में आम आदमी उद्वेलित हो जायेगा, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसे हर हालत में प्रवर समिति को सौंपा जाय।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसे दो तरीके से देखना पड़ेगा, एक तरफ तो सरकार की लगातार चिन्ता रहती है। पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर रोक लगाने का प्रयास किया था, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊधमसिंह नगर से बयान आया था कि हम उत्तराखण्ड की जमीनों को बचाने का प्रयास करेंगे। इस कानून के बनने के बाद हम लोगों को तो दिक्कत होगी ही, लेकिन इस पूरे प्रदेश की जमीन आप अगले चार–पांच साल भी नहीं बचा पायेंगे, यह सारी जमीनें समाप्त हो जायेंगी। अभी 143 कराने के लिये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि दो प्रतिशत भी नहीं हो पाती है। उसमें दुनिया भर के नोटिस आते हैं, जो अवैध माना जाता है, तो उसको समाप्त भी किया जाता है। लेकिन आज आप इसे कानून के रूप में ले आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जायेगा, एप्लीकेशन देगा कि यह 100 बीघा जमीन है, इसको 143 कर दो, 10 परसेन्ट क्या, आप 50 परसेन्ट लगा दो। जायेगा तो वह जनता पर ही, 50 परसेन्ट भी जमा कर देगा, तो जो आप चिन्ता करते हो, जो बची–खुची जमीनें है, आज इस कानून को बनाने से वह समाप्त हो जायेंगी, इससे उत्तराखण्ड के अन्दर जमीनें नहीं बचने वाली हैं। माननीय नेता सदन भी यहां पर बैठे हैं, निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि 143 को आप इस रूप में लेकर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आवासीय प्रयोजन हेतु 10 प्रतिशत, इसकी पावर कलैक्टर को है, जितनी भी प्रदेश में जमीन है, अभी बड़े–बड़े प्रोपर्टी डीलर आयेंगे, दिल्ली से और कहीं और से तथा एक एप्लीकेशन कलैक्टर को देंगे, 10 परसेन्ट उसी दिन जमा कर देंगे और जमीन में कालोनी काट देंगें। तो यह तो आपने खुली छूट दे दी, यह छूट मिल गई तो कोई भी जमीन नहीं मिलेगी। मान्यवर, केवल चिन्ता करने से चिन्ता नहीं होगी, अगर वास्तव में चिन्ता करनी है तो देखना पड़ेगा, मेरी समझ में यह नहीं आया कि ऐसा कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, किसने शिकायत की, सरकार को कहां महसूस हुआ कि इस कानून से हमें दिक्कत आ रही है। कानून बनाने के पीछे कुछ हित होते हैं, लोक हित आते हैं, जनता के हित हैं, इसमें किसका हित प्रभावित हो रहा है, केवल कुछ प्रोपर्टी डीलर का हित हो रहा है, केवल उन लोगों का जो इस प्रदेश को तबाह करना चाहते हैं। मान्यवर, आज हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर में कितनी जमीन बची हुई है, अध्यक्ष जी, यदि यह कानून बन जाता है तो वास्तव में कोई फसल नहीं बचेगी, खेती के लिए कोई जमीन नहीं बचेगी, इसको कानून का रूप देकर सरकार के पास तो पैसा आ जायेगा, आप 10 प्रतिशत की जगह 50 करो, तो भी वह जमा कर देंगे, लेकिन इससे आम आदमी को परेशानी होगी। इससे कहीं न कहीं प्रदेश प्रभावित होगा, प्रदेश के हित प्रभावित होंगे तो मेरा निवेदन है कि या तो इस कानून को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये या इसे वापस ले लिया जाय।

श्री हेमेश खर्कवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन के सदस्यों की चिन्ता है, यदि कोई वर्ग 'क' में भूमिधर है, उनकी पुश्तैनी जमीन उसके पास है, उसको स्वयं का मकान बनाना है वह मकान बनाने के लिए बैंक से लोन ले रहा है, यदि उसे 143 की कार्यवाही करके अपनी पुश्तैनी जमीन में भी यह शुल्क देना पड़ता है तो यह कहीं न कहीं चिन्ता का विषय है, इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन है कि ऐसे मौकों पर, माननीय नेता सदन भी आज सदन में हों तो इसे नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिये, इसलिये इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

श्री विजय बहुगुणा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और उनके सम्मानित साथियों ने और हमारे भी कुछ मंत्रियों ने और विधायकों ने इस पर आपत्तियाँ की हैं, इसमें पुनर्विचार होना चाहिए। (विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) लेकिन मैं बताऊँ, एक हजार मीटर तक जो भी कृषक स्वयं के लिए अपना मकान बना रहा है या कोई भी उद्योग लगा रहा है उसके लिए कोई उसे अनुमति नहीं चाहिए, कोई टैक्स नहीं चाहिए। हजार मीटर के आगे क्या था, मैं अभी ऊधमसिंह नगर गया था और वहां पर लोगों ने शिकायत की कि सारी जमीनें तो जा रही हैं, लेकिन अगर आप अपनी जमीन का हजार मीटर से ऊपर सौदा करते हैं, अपने लिए, तो हजार मीटर तक एक्जम्शन है। तब फिर अगर आप उसको आवास के लिए कर रहे हैं तो 10 परसेंट और उद्योग के लिए कर रहे हैं तो 15 परसेंट, लेकिन अगर यह 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत को घटाने पर अगर आप विचार करें। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, प्रवर समिति को भेज दीजिए, जैसा समिति ठीक चाहे।

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय और माननीय अध्यक्ष जी से एक अनुरोध है कि अगले सत्र से पहले प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। जो अपना प्रतिवेदन एक माह या अगला जो हाउस होगा, उससे पहले प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

राजस्व एवं भूप्रबन्धन मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेतन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि इसमें एक शब्द का संशोधन होना है। राजस्व आयुक्त की जगह पर राजस्व परिषद शायद नाम रखना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है ये तो वापस है और सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाय।

मैं एक निवेदन माननीय नेता सदन से करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि ये प्रस्ताव आये उससे पहले किसी नियम और कानून में भी लाने की बात नहीं है कि सारे सदन की यह इच्छा है। मान्यवर, जिस तेजी और रफ्तार से आज महंगाई बढ़ रही है और इतना प्रेशर हमारे माननीय सदस्यों के ऊपर रहता है काम का, तो सबकी एक इच्छा है कि विधायक निधि में बढ़ोत्तरी करी जाय। जो सीमेन्ट का कट्टा मात्र 205 रूपये का था नहीं 100 रूपये का था वो आज दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ तक चला गया है, 305 का चला गया है तो कम से कम विधायक निधि को कम से कम 05 करोड़, क्योंकि यह जनता का पैसा जनता में लगता है। किसी की जेब में जाना नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदाशयता का परिचय देते हुए नेता सदन आज इस मायने में कोई घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री राज कुमार ठुकराल–

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि एम0एल0ए0 फंड से नगर पालिका अध्यक्षों का फंड बहुत ज्यादा है और जिला योजना में भी विधायकों का रोल नहीं रहा। माननीय अध्यक्ष जी, जिला योजना में विधायकों की स्थिति नगण्य हो गई है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, विधायक निधि के सम्बन्ध में कहना है कि धन उपलब्धता पर इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या....वर्ष 2012)

विविध राजस्व विधियों में उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विविध राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

"मुख्य राजस्व आयुक्त" के स्थान पर शब्द "राजस्व परिषद" का पढ़ा जाना

2– इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों में जहाँ–जहाँ शब्द "मुख्य राजस्व आयुक्त" आए हैं वहाँ–वहाँ वह शब्द "राजस्व परिषद" प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे।

व्यावृत्ति

3– ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियमों में कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई बात या कार्यवाही समझी जायेगी।

अनुसूची

क्र0 सं0	अधिनियम	अधिनियम संख्या	वर्ष
1.	उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम–1901 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	3	1901
2.	उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	1	1951
3.	कुमाँऊ तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1960 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	17	1960
4.	जौनसार–बावर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1956 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	11	1956
5.	उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम–1953 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	5	1954
6.	उ0प्र0 अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम–1960 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	1	1961
7.	उ0प्र0 नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1956 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	9	1957
8.	उ0प्र0 काश्तकारी अधिनियम–1939 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	17	1939

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012

*कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री– (श्री हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके पीछे सरकार की जो मंशा है कि 01 नवम्बर, 2011 को जो मण्डी एक्ट बना उसमें जो उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्य से गेहूँ, चावल और धान खरीद कर उत्तराखण्ड में लाते हैं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में मण्डी शुल्क चुकता करके लाते हैं और प्रदेश में अपनी मिलों में आटा और चावल बनाते हैं। उत्तराखण्ड के मिलों के अन्दर एक धर्मसंकट पैदा हो गया था कि अगर उत्तर प्रदेश की आटा मिल ढाई परसेन्ट मण्डी शुल्क चुकता करता है और आटा बनाता है फिर आटे को हमारे उत्तराखण्ड में सप्लाई करता है, एक उत्तराखण्ड का आटा मिल मालिक उत्तर प्रदेश से गेहूँ लाता है और ढाई परसेन्ट उत्तर प्रदेश में मण्डी शुल्क चुकता करता है और ढाई परसेन्ट यहाँ चुकता करता है तो पाँच परसेन्ट उसका हो जाता है, इससे उत्तराखण्ड की जो राइस मिल और फ्लोर मिल थी उनके सामने एक धर्म संकट उत्पन्न हो गया और वह बन्द करने के कगार पर खड़ी हो गई। इसलिए प्रदेश की राइस मिलें और प्रदेश की फ्लोर मिलें सरवाइव कर सकें और खड़ी हो सकें, इसलिए यह आंशिक संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नवप्रभात–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैंने एक आंशिक संशोधन इसमें प्रस्तुत किया है कि जो उद्योग इस प्रकार से सामान खरीद कर लाते हैं उनको इस विधेयक की परिधि में शामिल कर लिया जाये, परन्तु साधारण व्यापार, जहाँ से इस तरह से कोई आवक हो उसको इस संशोधन की परिधि से बाहर कर दिया जाय। इसका प्रस्ताव मैंने लिखित रूप में प्रस्तुत किया है। इसको पढ़ा हुआ समझा जाय या मैं पढ़ दूँ।

(व्यवधान के मध्य)

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 की धारा–27 के (3) के खण्ड (ग) के प्रस्तर चार के पश्चात् प्रस्तावित नये प्रस्तर को संशोधित कर निम्नवत् अतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

"(पाँच) यदि कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद, किसी अन्य राज्य से विक्रय, भण्डारण, संव्यवहार या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य में मण्डी शुल्क और/अथवा विकास उपकर का भुगतान करके उत्तराखण्ड राज्य के मण्डी क्षेत्र में लाया जाता है तो ऐसी आवक पर मण्डी शुल्क और विकास उपकर उद्ग्रहीत होगा। परन्तु यह कि अन्य राज्यों से प्रक्रिया या विनिर्माण के लिए सम्बन्धित राज्य में मण्डी शुल्क और/ अथवा विकास उपकर का भुगतान करके उत्तराखण्ड राज्य के मण्डी क्षेत्र में लाया जाता है, तो ऐसी आवक 'अन्य द्वितीय आवक' कहलायेगी और उस पर मण्डी शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं होगी किन्तु देय विकास उपकर उद्ग्रहणीय होगा।"]

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 की धारा–27 के (3) के खण्ड (ग) के प्रस्तर चार के पश्चात् प्रस्तावित नये प्रस्तर को संशोधित कर निम्नवत् अतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

"(पाँच) यदि कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद, किसी अन्य राज्य से विक्रय, भण्डारण, संव्यवहार या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य में मण्डी शुल्क और/अथवा विकास उपकर का भुगतान करके उत्तराखण्ड राज्य के मण्डी क्षेत्र में लाया जाता है तो ऐसी आवक पर मण्डी शुल्क और विकास उपकर उद्ग्रहीत होगा। परन्तु यह कि अन्य राज्यों से प्रक्रिया या विनिर्माण के लिए सम्बन्धित राज्य में मण्डी शुल्क और/ अथवा विकास उपकर का भुगतान करके उत्तराखण्ड राज्य के मण्डी क्षेत्र में लाया जाता है, तो ऐसी आवक 'अन्य द्वितीय आवक' कहलायेगी और उस पर मण्डी शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं होगी किन्तु देय विकास उपकर उद्ग्रहणीय होगा"

नोट–[ ] अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस विधेयक पर प्रवर समिति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है।

(किसी भी माननीय सदस्य ने इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 पर संशोधित रूप में विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–1 तक, प्रस्तावना एवं शीर्षक

"उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या.....वर्ष 2012)

[भारत गणराज्य के तिरसठ्वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित]

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2012 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2012" है।

(2) यह 01 नवम्बर, 2011 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा–27 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा–27 में–

(1) खण्ड (ग) का प्रस्तर (तीन) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

"(तीन) ऐसे कृषि उत्पाद को, जो उत्तराखण्ड राज्य में किसी अन्य राज्य से अथवा देश के बाहर से प्रथम बार विक्रय, भण्डारण, प्रक्रिया, विनिर्माण, संव्यवहार या वाणिज्यिक

प्रयोजन के लिए मण्डी क्षेत्र में आता हैं, "प्रथम आवक" के रूप में रजिस्टर्ड किया जायेगा और ऐसे उत्पाद पर मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान किया जायेगा."

(2) खण्ड (ग) का प्रस्तर (चार) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेग, अर्थात्–

"(चार) यदि कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद राज्य के भीतर के किसी मण्डी क्षेत्र में मण्डी फीस और विकास उपकर का भुगतान करके राज्य के ही किसी दूसरे मण्डी क्षेत्र से विक्रय, भण्डारण, प्रक्रिया, विनिर्माण, संव्यवहार या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लाया जाता है तो ऐसी आवक "द्वितीय आवक" कहलायेगी और उस पर कोई मण्डी फीस एवं विकास उपकर उद्ग्रहणीय नहीं होगा।"

(3) खण्ड (ग) के प्रस्तर (चार) के पश्चात् एक नया प्रस्तर निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्–

"(पाँच) यदि कोइ विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद, किसी अन्य राज्य से विक्रय, भण्डारण, प्रक्रिया, विनिर्माण, संव्यवहार या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्य में मण्डी शुल्क और/अथवा विकास उपकर का भुगतान करके उत्तराखण्ड राज्य के मण्डी क्षेत्र में लाया जाता है, तो ऐसी आवक "अन्य द्वितीय आवक" कहलायेगी और उस पर कोई मण्डी फीस उदग्रहणीय नहीं होगी किन्तु देय विकास उपकर उद्ग्रहणीय होगा;"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 खण्ड–1 तक, प्रस्तावना और शीर्षक संशोधित रूप में इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन)(संशोधन) विधेयक, 2012 यथा संशोधित पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास विनियमन)(संशोधन) विधेयक, 2012 यथा संशोधित पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूँ कि" प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।" (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों में पूर्णतया बन्द होने के कारण सामग्री की लागत बढ़ने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूँ कि "जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि के सम्बन्ध में।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(व्यवधान के मध्य)

वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक होने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा

श्री हेमेश खर्कवाल तथा श्री मयूख सिंह एवं श्री गणेश गोदियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूँ कि "वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार के निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–54 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा

*श्री हरीश धामी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूँ कि "विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि "यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-105 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री नवप्रभात-

मान्यवर, इसमें एक संशोधन है, इसमें जहाँ पर हर्रावाला लिखा है तो हर्रावाला के स्थान पर धर्मावाला पढ़ा जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाय।"

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित करने के सम्बन्ध में नियम-105 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री हरिदास-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय"

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री राज कुमार ठुकराल, श्री चन्द्र शेखर, श्री नवप्रभात, श्री अजय टम्टा, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री माल चन्द, श्री राजेश शुक्ला, श्री चन्दन राम दास, श्री सरवत करीम अंसारी, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री संजय गुप्ता, श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री प्रेमचन्द अग्रवाल की कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य, श्री सरवत करीम अंसारी की सूचना जो

प्रदेश के वक्फ बोर्ड, राज्य हज समिति, अल्पसंख्यक आयोग 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम में अधिकारी/कर्मचारियों के पद सृजन न हो पाने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री राज कुमार ठुकराल की सूचना जो कि रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में 74 खटीमा–पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 22 सम्पर्क मार्गों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

नेता प्रतिपक्ष–(श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, शेष पर ध्यानाकर्षण कर दीजिए। मान्यवर, नियम–52 और नियम–53 में परम्परा रही है कि अन्तिम दिन ले लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

पहले बहुत हो चुके हैं।

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, इसको ध्यानाकर्षण के लिए दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के तहत प्राप्त 14 सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के ग्राम पंचायत चांदा में खकरा नदी में बाढ़ आने से चांदा, मिलइया एवं बरी गांव के आस–पास के क्षेत्रों की कृषि भूमि, राजकीय भूमि एवं भवन तथा आवासीय भवनों को हुई अत्यधिक क्षति एवं किसानों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आपदा प्रबन्धन मंत्री का वक्तव्य.

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

[जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत चांदा मिलईया एवं बरी अंजनिया ग्रामों के आस–पास क्षेत्रों में बरसात के समय अत्यधिक वर्षा एवं जल भराव से खसरा नदी/नाला में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। जिससे उक्त ग्रामों की फसल जल प्रभावित हो जाती है। ग्राम पंचायत स्तर से मनरेगा योजना के तहत खकरा नाला की सफाई करवायी गयी है। वित्तीय वर्ष में दैवीय आपदा के तहत फसल क्षति/आवासीय भवन क्षति का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। नानकमत्ता विधान सभा

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के ग्राम चांदा, गिलईया व बरी ग्रामों में वर्षाकाल में खखरा नाले द्वारा भू–कटाव होता है। भूमि कटान रोकने हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण के उपरान्त यथास्थिति उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।]

जनपद पिथौरागढ़ के बड़ालू में ए0एन0एम0 ट्रैनिंग सेन्टर के भवन एवं छात्रावास के निर्माण को दो वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी उसमें ट्रैनिंग न दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विध ाान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत बड़ालू में ए0एन0एम0 ट्रैनिंग सेन्टर का जीर्णोद्धार किया गया है। उक्त भवन में छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशिक्षण केन्द्र परिसर की चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है तथा सम्पूर्ण परिसर में गाजर घास उन्मूलन के उपरान्त इन्टरलॉकिंग टाइल्स भी लगाई जानी है। उक्त कार्यों को कराये जाने हेतु धनराशि का प्रस्ताव राज्य एन0आर0एच0एम0 इकाई द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है। धनराशि स्वीकृत होने के उपरान्त उक्त कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

3–वर्तमान में ए0एन0एम0 ट्रैनिंग सेन्टर, बड़ालू जिला टी0बी0 चिकित्सालय परिसर पिथौरागढ़ में चल रहा है। चूंकि ए0एन0एम0 ट्रैनिंग सेन्टर बड़ालू में महिला अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और महिला ट्यूटर द्वारा ही प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान छात्रावास में ही निवास करना आवश्यक होता है। चूंकि ए0एन0एम0 ट्रैनिंग सेन्टर बड़ालू में अभी चाहरदीवारी का निर्माण नहीं हुआ है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से नवनिर्मित भवनों में ए0एन0एम0 ट्रैनिंग सेन्टर को स्थानान्तरित नहीं किया गया है। चाहरदीवारी का निर्माण होते ही उक्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।]

विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला तथा मुनस्यारी के अनेकों गांवो में भारी वर्षा तथा भू–स्खलन की दैवी आपदा से पेयजल स्रोतों, पैदल मार्गों, मोटर मार्गों तथा सम्पत्ति को हुए नुकसान के सम्बन्ध में श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आपदा प्रबन्धन मंत्री का वक्तव्य

आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

[उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार अवगत कराना है कि :—

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1– इस वर्षाकाल में जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला में प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान के तहत रु0 14.00 लाख की राहत राशि का वितरण किया गया है, जिसके अंतर्गत पूर्ण/ तीक्ष्ण रूप से क्षतिग्रस्त 08 आवासीय भवनों के प्रभावितों को आपदा राहत कोष के मानक के अनुरूप कुल रु0 3.66.300/–की राहत राशि प्रदान कर दी गई है। विकास खण्ड धारचूला अंतर्गत भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु अब तक रु0 10.94 लाख की धनराशि सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करा दी गई है।

2– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी में प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मद के तहत रु0 22.00 लाख की राहत राशि का वितरण किया गया है। विकास खण्ड मुनस्यारी अंतर्गत पूर्ण/तीक्ष्ण रूप से 92 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें से 57 प्रभावितों को आपदा राहत कोष के मानक के अनुरूप कुल रु0 16.018 लाख की राहत राशि प्रदान की गई है। विकास खण्ड धारचूला अंतर्गत भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु अब तक रु0 105.65 लाख की धनराशि सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करा दी गई है।

3– जनपद पिथौरागढ़ अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु शासन द्वारा रु0 400.00 लाख का बजट आंवटन किया गया है। जिसमें से विधान सभा क्षेत्र धारचूला के दोनों विकास खण्डों में विगत प्राकृतिक आपदा से हुई विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु कुल रु0 116.59 लाख की कार्ययोजनाओं हेतु धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जा चुकी है। शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।]

जनपद देहरादून तहसील विकासनगर के विकास खण्ड विकासनगर की 18 बाढ़ सुरक्षा सिंचाई योजनायें आपदा ग्रस्त होने के कारण सिंचाई विभाग के मरम्मत के प्रस्ताव के उपरान्त भी पुनः निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

[जनपद देहरादून के तहसील विकासनगर में विकास खण्ड विकासनगर में दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत 18 क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षा सिंचाई योजनायें तथा 01 सड़क

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुनर्निर्माण योजना (कुल 19 योजनायें) लागत ` 202.73 लाख तैयार कर दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उप–जिलाधिकारी, विकासनगर को प्रेषित कर दी गई है, जिन पर धनावंटन होने के उपरान्त यथाशीघ्र कार्यवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।]

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर की प्रबन्ध परिषद् में विधानसभा के दो माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा 10 (1) (जी) के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 02 माननीय विधान सभा सदस्यों को यह सदन "गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर की प्रबन्ध परिषद्" के पदेन सदस्य के रूप में नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत किया जाय तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा 10 (1) (जी) के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 02 माननीय विधान सभा सदस्यों को यह सदन "गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर की प्रबन्ध परिषद्" के पदेन सदस्य के रूप में नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत किया जाय तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

विकलांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत राज्य समन्वय समिति में विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव.

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि विकलांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–13 की उपधारा (1) व (2) के खण्ड (जी) के अन्तर्गत "राज्य समन्वय समिति" में विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाय तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न है कि विकलांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–13 की उपधारा (1) व (2) के खण्ड (जी) के अन्तर्गत "राज्य समन्वय समिति" में विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाय तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्रगान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(''राष्ट्रगान के उपरान्त सदन की कार्यवाही 2 बजकर 38 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून,
दिनांक: 14 दिसम्बर, 2012

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 विधान सभा/641–06–03–2014–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)